दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-12 दिल्ली विधान सभा के बारहवें सत्र का तीसरा दिन

अंक-87

दिल्ली विधान सभा सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

- 1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
- 2. श्री अनिल भारद्वाज
- 3. श्री अनिल झा
- 4. श्री अनिल कुमार
- 5. श्री अरविन्दर सिंह
- 6. श्री आसिफ मो. खान
- 7. श्री बलराम तंवर
- 8. श्रीमती बरखा सिंह
- 9. चौ. भरत सिंह

- 10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
- 11. श्री देवेन्द्र यादव
- 12. श्री धर्मदेव सोलंकी
- 13. श्री हरिशंकर गुप्ता
- 14. डॉ. हर्ष वर्धन
- 15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
- 16. श्री हसन अहमद
- 17. प्रो. जगदीश मुखी
- 18. श्री जयभगवान अग्रवाल
- 19. श्री जय किशन
- 20. श्री जसवंत सिंह राणा
- 21. श्री करण सिंह तंवर

उपस्थित सदस्यों की सूची

- 22. श्री कुलवंत राणा
- 23. श्री मालाराम गंगवाल
- 24. श्री मंगत राम
- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया

- 40. श्री राम सिंह नेताजी
- 41. श्री रमेश बिधूड़ी
- 42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
- 43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्ण
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-12 बृहस्पतिवार, 13 दिसम्बर, 2012/22 मार्गशीर्ष, 1934 (शक) अंक-87

(माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. योगानंद शास्त्री पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री साहब सिंह चौहानअंतरबाधा......

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 13 दिसम्बर है और पार्लियामेंट पर हमले की 11वीं बरसी है। पार्लियामेंट की रक्षा करते हुए दस आदमी शहीद हुए थे, उनको आज सारा देश श्रद्धांजिल दे रहा है, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजिल इस बात की है कि अफ़जल गुरु को फांसी दी जाये और यहां से तुरंत एक सिफारिश जाये कि अफ़जल को फांसी दो और जो लोग शहीद हुए थे उनकी शहादत के लिए, उनको सारे सदन की ओर से श्रद्धांजिल देनी चाहिए। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं। चार साल तक फाइल दबा कर रखी गयी, नहीं भेजी गयी, बाद में भेजी गयी है तो उनको तुरंत सिफारिश कर देनी चाहिए कि उसको फांसी दी जाये.....अंतरबाधा....

श्री सुनील वैद्य: अध्यक्ष महोदय, देश के दुश्मन को अभी तक फांसी नहीं दी गयी है, इसलिए हम मांग करते हैं कि सदन से एक सिफारिश जाये कि उसको तुरंत फांसी दी जाये.....अंतरबाधा....

श्री रविंद्र नाथ बंसल : अध्यक्ष महोदय, उसको फांसी दी जानी चाहिएअंतरबाधा....

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, हम यह उम्मीद करते थे कि आज उनको श्रद्धांजिल देने के लिए एक प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए था, जिसका पूरा सदन समर्थन करके शहीदों को श्रद्धांजिल दे और जैसा कि श्रीमान मल्होत्रा जी ने कहा है। सच्ची श्रद्धांजिल आज उनके लिए यही होगी कि अफजल पर निर्णय करके, सिफारिश के रूप में होम मिनिस्टर को लिखकर के भेजें, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को लिख कर के भेजें कि उसको तुरंत फांसी दी जाये, यह हमारा आप से निवेदन है.....अंतरबाधा.....

श्री साहब सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, अफजल के लिए मेन प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार थी, 5 अगस्त, 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी। साढ़े सात साल बीत जाने के बाद भी उसको फांसी नहीं दी गई है.....अंतरबाधा.....

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैंने विजय कुमार मल्होत्रा जी के खिलाफ प्रीविलेज मोशन दे रखा है आप उस पर रूलिंग दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी..... अंतरबाधा....

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी के खिलाफ नोटिस दे रखा है, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं....अंतरबाधा....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनको ऋद्धांजलि तो दे ही दीजिए.....अंतरबाधा.....

डॉ. जगदीश मुखी : ऋद्धांजलि प्रस्ताव तो लाइयेअंतरबाधा.....

(श्री शोएब इकबाल का सदन के वैल में प्रवेश)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 5 मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं.....अंतरबाधा.....

डॉ. जगदीश मुखी: श्रद्धांजिल तो लाइये.....अंतरबाधा। मिनिमम श्रद्धांजिल का प्रस्ताव तो लाइये, जो आप लाते हैं नार्मली। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजिल नहीं देंगे, एक अच्छी पिरपाटी शुरू की है, सदन का सदस्य है तो श्रद्धांजिल देते हैं। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजिल देने से बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा आप से निवेदन है कि आप अपनी ओर से प्रस्ताव लायें.....अंतरबाधा। जिन्होंने संसद की रक्षा की क्या उनके लिए आप श्रद्धांजिल प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं हैं, यहां पर कम से कम श्रद्धांजिल तो दीजिए.....अंतरबाधा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी ओर से प्रस्ताव लाइये और अपनी ओर से श्रद्धांजिल दीजिए.....अंतरबाधा। आप श्रद्धांजिल देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, शर्मनाक बात है.....अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी कह दे आप श्रद्धांजिल अर्पित कर दें और मुख्य मंत्री जी कह दें कि अफजल की फांसी के लिए सिफारिश करेंगेअंतरबाधा।

(श्री शोएब इकबाल और श्री आसिफ मोहम्म्द खान का वैल में प्रवेश)

अध्यक्ष महोदय : शोएब साहब आप और आसिफ जी अपनी सीट पर जाइए।

.....अंतरबाधा.....

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, देश की राजधानी दिल्ली की विधान सभा के अंदर, पार्लियामेंट की रक्षा जिन लोगों ने की उनके प्रति एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव भी यहाँ लाने

के लिए तैयार नहीं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है जी।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों वैल में आए हुए हैं आप बाहर जाइये।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदय: देखिये ऐसा है, सुन लीजिये बात, एक मिनट बात सुन लीजिये। देखिये, यह मसला कल मुख्यमंत्री जी के सामने आया था डीडीए वालों से बात भी हुई थी......

.....अंतरबाधा.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : श्रद्धांजलि का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट, सुन तो लीजिए। आप सुन तो लीजिए।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदय: देखिये, जहाँ तक तोड़-फोड़ की बात है वो डीडीए से बात हो गई है वो दीवार बनाकर देंगे मस्जिद की। वो दीवार बनाकर खुद देंगे।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदय : डीडीए वालों ने खुद गलती मानी है।

.....अंतरबाधा.....

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की गई)

सदन पुनः 2.42 बजे पुनः समवेत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए। शोएब साहब अपनी बात बाद में रिखयेगा।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल चलने दीजिए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं खड़ा हूँ और आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप बैठिए। आप बैठ जाइये।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: शोएब साहब बैठिए। देखिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि दिल्ली की जनता के हित में बिजली और पानी पर आपने चर्चा लगा रखी है और वो दोनों तरफ से लगा हुआ है। डॉ. हर्षवर्द्धन उसको इनिशिएट करेंगे,

.....व्यवधान.....

8

मैंने कर दिया, आपने कर दिया।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आपने कर दिया मैंने कर दिया। आप किस लिए जिद कर रहे हैं।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं आप मांग मत कीजिए। आप बैठिए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: शोएब साहब आप बैठिए। देखिये, सदन की गरिमा को आप लोग यदि सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे भी कोई... ये जिम्मेवारी केवल मेरी नहीं है। मैं अनिश्चित काल के लिए भी स्थिगित कर सकता हूँ। आपको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। रातावाल साहब क्या फायदा है?

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: शोएब साहब सुनिये, संसद की गरिमा की बात हो रही है, पहले गरिमा करना आप सीखिए। तब मुझे सिखाइये। मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े हैं। ये क्या Q

मतलब है। मैं यदि खड़ा हूँ तो बैठ जाना चाहिए आपको। जो परम्परा है, उसको तो निभाइये। मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी खड़े रहते हैं आप। ये नहीं चलेगा।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही 25 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

सदन अपरान्ह 3.20 बजे समवेत हुआ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज माननीय सदस्य डा. हर्षवर्द्धन जी का जन्मदिवस है। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से डा. हर्षवर्द्धन जी को जन्मदिवस की बधाई देता हूं। प्रोफेसर साहब, अब कहिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं आप से फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने शहादत दी थी, उन शहीदों की शहादत को यहां पर नमन करते हुए उनके प्रति सदन की ओर से श्रद्धांजिल अर्पित की जाये और सबसे अधिक महत्व की बात है, उनके परिजनों ने जितने प्रोग्राम हुए हैं, सबका बॉयकाट किया, अपने मेडल वापिस कर दिये। अफजल को फांसी देने की तुरन्त बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करें कि वे भी उनके पास सिफारिश करेंगी कि अफजल को तुरन्त फांसी दे दी जाये और इस मामले को लम्बा न लटकाया जाये और उनको यहां श्रद्धांजिल अर्पित कर दें। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, 4 साल इन्होंने उस फाईल को दबाये रखा, फाईल वापिस नहीं भेजी परन्तु अब फाईल जब वापिस भेज दी है तो उनको कह सकते हैं कि उनको तुरन्त फांसी दे दें। इस बात की घोषणा की जाये और यहां पर सदन चले।

अध्यक्ष महोदय: आप एक मिनट सुनिये। माननीय प्रो. मल्होत्रा जी ने जो बात कही है, इनको तो अधिकार है सब प्रश्न करने का, बातें कहने का लेकिन मैं भी प्रो. मल्होत्रा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या जितने भी शहीद हुए हैं, उनके यहां किसके यहां प्रो. मल्होत्रा गये हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं सबके यहां गया हूं। सबसे मिला हूं। उन सब ने अपने मेडल वापिस किय हैं। अध्यक्ष जी, मैं खुद गया हूं। अध्यक्ष जी, मुकीन चंद शर्मा का, अध्यक्ष जी, आप अपनी चेयर पर बैठ करके ऐसे सवाल करें यह आपको शोभा नहीं देता। मैंने उनके सारे परिवारजनों से बात की, लोकसभा में उनके वहां पर गये। उसी वक्त गये थे, सबके यहां भी। बहुत ही......व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे नाम दे दें तो मैं भी हो आऊंगा। मैं नहीं गया हूं, मुझे नाम दे दीजिएगा। आप नाम मुझे दे दीजिए, मैं भी जा आऊंगा।

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने जब अपने मेडल वापिस किये, उस समय भी हम उनके साथ थे। उन्होंने अपने मेडल फेंक दिये और यह कहा कि हम मेडल फेंकते हैं। आज तक अफजल गुरु को फांसी नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, आप श्रद्धांजलि का प्रस्ताव तो ले आईये।

विविध

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

उसके बाद आप अपने एजेंडा को आगे बढ़ायें। आप श्रद्धांजिल का प्रस्ताव तो लाईये। ऐसे लोग जिन्होंने देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिये, प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर को बचाने के लिए जिन्होंने शहादत दी है, आज हम उन्हें श्रद्धांजिल देने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे अफसोसजनक बात और क्या हो सकती है। मेरी आप से पुन: प्रार्थना है कि आप श्रद्धांजिल प्रस्ताव ले करके आईयेगा।

11

अध्यक्ष महोदय: शोएब साहब, आप यदि इधर आयेंगे तो मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिये कहूंगा। आप अपनी जगह पर चिलये। पहले आप अपनी जगह पर चिलये। जो कहना हो आप अपने आसन से खड़े हो कर किहये। इस तरह से वैल में आप आये तो ठीक नहीं होगा।

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट के लिए श्रद्धांजिल प्रस्ताव ला करके चर्चा कराईये, एजेंडे को आगे बढ़ाईये। क्यों आपने इसे एक प्रेस्टीज इश्यू बनाया है। ऐसे शहीदों को श्रद्धांजिल न देने के ऊपर आपने इसे प्रेस्टीज इश्यू बनाया है, यह बहुत ही लज्जाजनक है।

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

डॉ. जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा के लिये याद रखा जायेगा। इस

विधान सभा के इतिहास के अंदर यह रिकार्ड होगा कि आपने स्पीकर सीट पर बैठे हुए, ऐसे शहीदों के प्रति नमन करने के लिए आपने उनके प्रति श्रद्धांजिल देने के लिए इंकार किया है।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, शांत रहिये और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव ले आईये, प्रेस्टीज इश्यू न बनाईयेगा। यह हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के अंदर लिखा जायेगा कि शहीदों को श्रद्धांजलि न देने के लिए आपने श्रद्धांजलि प्रस्ताव लाने के लिए मना किया है।

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। शोएब साहब, आप बैठिये। आप मेरे मुंह में कुछ डाल नहीं सकते।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थित में आप बाइज्जत उनके प्रति श्रद्धांजिल प्रस्ताव ले करके आईयेगा, दो मिनट की बात है, फिर आगे हम बिजली पानी पर चर्चा शुरू करें। मेरा आपसे यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: प्रोफेसर साहब, आप बहुत पठित व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं लेकिन कृपा करके शब्द मेरे मुंह में मत डालिये। श्री रमाकांत गोस्वामी जी वक्तव्य देना चाहते हैं।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष जी, मुझे लग रहा है, आपने सभी उपाय कर लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर बोल रहे हैं।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष आज हाऊस को चलाना चाहता है। जिस प्रकार से ये सदन को चलने नहीं देना चाहते, मैं अध्यक्ष जी, प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों को दो दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया जाये।

.....अंतरबाधाएं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सदन पुनः अपराह्न 4 बजे समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्री मुकेश शर्मा: सर, सदन की अवमानना का मामला दिया है, मैं चाहता हूं कि आप सदन में इसकी रूलिंग दें। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गुजरात में चुनाव है इसलिए इनको झंडेवालान से इंस्ट्रक्शन है नागपुर से, कि पोलिंग इफेक्ट किये जाएं इसलिए यह सब नाटकबाजी हो रही है। इन लोगों को 11 साल से शहीदों की याद नहीं आई। मैंने विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव आपको दिया है।.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: मैं मुकेश जी, ये थोड़ी सी सरकारी कार्यवाही है, इसको करने के बाद आपकी व्यवस्था दूंगा......अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, पहले इसको करिये, पहले संकल्प लाइये। पहले अफजल की फांसी का प्रस्ताव आये......अंतरबाधा।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता है। मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि इनको दो दिन के लिए सदन से बाहर किया जाये.अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, बिना नेम किये कैसे रेज्योलूशन ला सकते हैं.....अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, बिना नेम किये आप कैसे कर सकते हैं.....अंतरबाधा.....

श्री साहब सिंह चौहान : नियम 277 पढ़ तो लीजए......अंतरबाधा। ऐसे तो होता ही नहीं।

(विपक्ष के सभी सदस्यों का वैल में प्रवेश)

अध्यक्ष महोदय: आप सभी वैल से निकल कर के वहां आ जाएं तो......अंतरबाधा। देखिये गोस्वामी जी मैं पहले सबको नेम कर रहा हूं, चौहान साहब ने प्रक्रिया संबंधी कुछ बताया है जो ठीक है, मैं पहले नेम करूंगा, उसके बाद आप प्रस्ताव लाएंगे। सदस्यों की सूची मेरे सामने है, उन सबको नेम कर रहा हूं, अब आप अपना प्रस्ताव लाइये। चौहान साहब अब ठीक हैं।

Sh. Rama Kant Goswami: The following Members should be suspended from the rest of two days' period.

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री श्री रमाकांत गोस्वामी का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, न कहें (सदस्यों के हां कहने पर) प्रस्ताव पास हुआ।

.....अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मंत्री ने पहले ही रेज्योलूशन रख दिया, आपने नेम नहीं किया और मंत्री को इतना भी मालूम नहीं कि बिना नेम किये हुए रेज्योलूशन नहीं आ सकता। इतने बड़े मामले में, अफजल को फांसी की बात है, ठीक है आपने.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुधार कर लिया है.....अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसे मंत्री को बाहर निकालना चाहिए......अंतरबाधा।

श्री श्याम लाल गर्ग : वहां शहीदों को गोली मार दी......अंतरबाधा।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है मैंने तो वही किया है......अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : किस-किस को निकाला.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय : दो दिन के लिए.....अंतरबाधा।

श्री रमेश विधूड़ी : क्या वो सही नहीं थे.....अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमे शहीदों के नाम पर निकाल दिया जायेगा। यह बहुत ही शर्म की बात है.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: गार्ड आप खड़े क्यों हैं, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं......अंतरबाधा। श्री हर्षवर्द्धन जी, श्री साहब सिंह चौहान जी, श्री जयभगवान अग्रवाल जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री धर्मदेव सोलंकी जी, श्री रिवन्द्र नाथ बंसल जी, श्री एस.पी. रातावाल साहब, श्री कुलवंत राणा, श्री रमेश बिधूड़ी, नरेश गौड़, श्री मनोज जी, श्री अनिल झा, श्री श्रीकृष्ण त्यागी, श्री सुनील कुमार, डॉ. एस.सी.एलण गुप्ता, श्री श्यामलाल गर्ग साहब।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुझे दो निवेदन करने हैं, 11 साल पहले पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौथी असेम्बली का थर्ड सेशन 9 दिसम्बर से 16 दिसम्बर के बीच में हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं इसिलए कहना चाहता हूँ कि 11 वर्ष में पहली दफा इनको इन शहीदों की याद आई है क्यों, क्योंकि आज गुजरात में पहले चरण का चुनाव का मतदान सुबह शुरू हुआ है वहाँ वोटों का polarization करने के लिये टैक्टिस अपनाई गई है और झंडेवालान और नागपुर से इनको इंस्ट्रक्शन है कि पार्लियामेंट और जहाँ-जहाँ स्टेट असेम्बलीज है वहाँ स्टेट असेम्बलीज को न चलने दिया जाये। यह इंस्ट्रक्शन इनको झंडेवालान और बाकायदा नागपुर से 3 संघ हैडक्वार्टर से और चूंकि गुजरात में लो पोलिंग चल रहा था इसिलए वहाँ पर polarization करने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है। यह बिजली, पानी पर बहस नहीं चाहते। सर, मैंने प्रिविलेज मोशन आपको दे रखा है मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उस पर रूलिंग दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री मुकेश शर्मा जी ने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना हमारे सेक्रेटरिएट को दी है मैं उस पर व्यवस्था दे रहा हूँ। मुझे माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा से नियम 66 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा व भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को सदन में शोर, शराबा एवं नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी तथा माननीय अध्यक्ष के प्रति असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यह विषय मेरे विचाराधीन है प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 67 के अंतर्गत मैंने इस नोटिस की प्रति नेता प्रतिपक्ष को भिजवा दी है।

17

श्री शोएब इकबाल: सर, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से आज सदन को हाईजैक किया है और जिस तरह से शहीदों का अपमान करने का काम किया है और जिस तरह से इन्होंने पूरे सदन की कार्यवाही को खराब करने का काम किया है, मैं यह चाहता हूँ कि एक निंदा प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाये और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाये। जिस तरह पिछले दो-तीन दिन से करा जा रहा है जो दिल्ली की मूल समस्याएँ हैं बिजली, पानी की तमाम इशु थे उस पर बोल सकते थे ये लोग। परन्तु इन्होंने आज भी ऐसा नहीं चाहा तो मेरी आपके सामन यह विनती है। जहाँ तक आज शहीदों का ताल्लुक था, शहीदों को हम लोग बार-बार श्रद्धांजिल दे चुके हैं, पूरा सदन दे चुका है, आप दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय और यही नहीं बिल्क इससे पहले भी कोई और मामला होता है तो हम लोग श्रद्धांजिल देते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक निन्दा प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाये और आप उसका समर्थन करियेगा यह मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बैठिये।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं शोएब साहब की बात से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि सारा सदन सहमत होगा। जैसा आचरण आज रहा है और जिस तरीके से शहीदों पर राजनीति की गई है उसके लिए सदन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की निन्दा करता है, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर वोटिंग करवा लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह निंदा प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

प्रस्ताव

श्री नसीब सिंह प्रतिवेदन पर सहमित का प्रस्ताव करेंगे।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 12.12.2012 को सदन में प्रस्तुत सरकारी आश्वासन समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

> यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

सदन पटल प्रस्तुत पत्र

अब डा. ए.के. वालिया जी, स्वास्थ्य मंत्री, सदन पटल पर कागजात प्रस्तुत करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री: Honourable Speaker, Sir, I intend to lay the copy of the papers mentioned at Item No. 4(1) (i) (ii) and (iii) on the Table of the House.

- (i) Explanatory Memorandum of Action Taken by the Govt. of NCT of Delhi on the Suggestions/Observations of the Public Grievances Commission made in its 11th Annual Report for the period 2008-09.
- (ii) Explanatory Memorandum of Action Taken by the Govt. of NCT of Delhi on the Suggestions/Observations of the Public Grievances Commission made in its 12th Annual Report for the period 2009-10.
- (iii) Notifications No. F.14(9)/LA-2012/cons2law/148 dated 01.10.2012 regarding Amendment of Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1986.

अध्यक्ष महोदय : अब ऊर्जा मंत्री श्री हारून युसूफ जी अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

ऊर्जा मंत्री : Honourable Speaker, Sir, I seek your permission to lay on the Table of the House the copies of documents mentioned in List of Business at Point No. 4 Para 2 Serial No. (i) and (ii).

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय : अब डा. वालिया जी विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री: Honourable Speaker, Sir, I hereby, move that the Delhi Value Added Tax (4th Amendment) Bill 2012 (Bill No. 15 of 2012) introduced on 12th December, 2012 be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

अब डा. वालिया जी. विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री : Honourable Speaker, Sir, amendments of Section 2 intends to delete the proviso added before the explanation occurring at the end of sub-section (1) of this section which was to give relief by exempting levy of VAT on the increased price of petrol made in 2012. As the increase has been almost done away with as a result of reduction in petrol prices in recent times.

Secondly, Sir, VAT will be calculated at the level of the petrol companies to make it easy for all the petrol pump holders.

Thirdly, Sir, Work Contract Tax will be deducted at source 4% to all the contractors and the relief of the dealers, any audit done by the Government cost will be borne by the Government itself.

Then, Sir, amendments of the Section 95 is proposed to provide for making our registration system pre-compliant with the future regime of GST where all TIN nos. shall be based on PAN no. Taking IEC code will simplify the refund process for exporters.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा— प्रश्न है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक विधेयक के अंग बनें-यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

> जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक विधेयक के अंग बन गये।
अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें।
यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें।

अब डा. वालिया जी, प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली वेल्यू एडिड टैक्स-4 अमेंडमेंट बिल 2012 को पारित किया जाये।

स्वास्थ्य मंत्री: Honourable Speaker, Sir, I hereby, move that the Delhi Value Added Tax (4th Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 15 of 2012) introduced on 12th December, 2012 be passed.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें, जो इसके विरोध में हैं, ना कहें, सदस्यों के हां कहने पर, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पारित हुआ।

अंधेरिया मोड पर मस्जिद तोड़े जाने पर चर्चा

23

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष जी, नोटिस में है कि जिस तरह से कल अंधेरिया मोड़ पर मस्जिद को शहीद किया गया और जो आस-पास लोग रहा करते थे, जिनके पास आई कार्ड थे, जिनका पहचान पत्र था, जिनके राशन कार्ड थे, वो वहां पर पिछले 30-35 साल से रहते थे। 122 साल पुरानी मस्जिद थी। तारीखी मस्जिद थी। उसको वहां तोड़ा गया। बिना बताये और बिना नोटिस के जबिक पार्लियामेंट के अंदर एक जीओ निकला हुआ है, सरकार ने एक आर्डर निकाला हुआ है कि बिना अल्टरनेटिव जगह दिये, बिना इतिला दिये आप किसी को वहां से नहीं हटा सकते। लेकिन उसके बावजूद ऐसा काम हुआ है इसकी जितनी निन्दा की जाये, कम है। माननीय अध्यक्ष जी, आप एक बड़े ही सेकुलर इंसान हैं। साथ-साथ आप हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं। पिछले कई वर्षों से यह रिकार्ड रहा है कि दिल्ली युनीवर्सिटी के अंदर हर जगह आपने अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। आज जिस तरह से डीडीए कार्रवाई कर रही है और बिना आपको बताये, मुख्य मंत्री को बताये, कौन लोग है। मुझे यह खबर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश के तहत यह काम हुआ है। क्योंकि मेरी आवाज को इन्होंने सुनने नहीं दिया। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उसमें एक-दो अफसर भी हैं। इनको दंडित करने का काम करना चाहिए। क्योंकि ये लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग मुलब्बिस हैं। इनकी जिनती निन्दा की जाये, उतनी कम है। यही लोग दायें, बायें से पहुंच कर अध्यक्ष महोदय, तमाम कार्रवाई करते रहे। अध्यक्ष महोदय, जब से यह हाऊस चल रहा है। इसका क्या मकसद हुआ। हाऊस के चलते हुए आप यह काम करो तो यहां हल्ला गुल्ला होगा और यह सरकार बदनाम होगी। बिना मुख्य मंत्री के, बिना आपको बताये,

किसी और बताये हुए चुपचाप हजारों की तादाद में पुलिस जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप डीडीए को यह ताकीद करें कि जब उस मिस्जिद के अंदर 125 साल से नमाज हो रही थी, यह एक तारीखी मिस्जिद है। डीडीए को यह कहां से हक मिल गया कि उसको जा करके तोड़े। जितने मजदूर लोग वहां मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको अकेले में ला करके डाल रखा है। उनकी तुरन्त बादाबादकारी होनी चाहिए और सरकार की तरफ से उनको खाना-पीना, टैंट की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाई की जाये। क्योंकि आपके क्षेत्र में है। कौन लोग हैं, कौन भू-माफिया के लोग हैं कौन और लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने यह काम किया है। इसकी आपसे गुजारिश है कि हाई लेवर पर इसकी इंक्वायरी करें और उस जगह को दोबारा बनवाने का काम करें। आप इसके ऊपर कुछ रूलिंग हमें दे दें, जो भी मुनासिब हो, क्योंकि आज हम टूट चुके हैं। ये अफजल गुरु पर हंगामा करते रहे, स्व. राजीव गांधी का जिन्होंने कत्ल किया था, उसके मुरगन वगैरह हैं, हम वो भी लाये हुए हैं उन पर तो बोलते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, शोएब साहब। चौ. मतीन अहमद।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, जो कल की घटना है, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। इसमें अध्यक्ष जी, दो बातें हैं। एक पहली बात तो यह है कि जब देश को आजाद कराने की लड़ाई यहां लड़ी जा रही थी तो उसमें मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बदले में अंग्रेजों ने मुसलमानों की जो प्रोपर्टीयां थीं उनको एक्वायर कर लिया। 123 प्रोपर्टी हैं जिसमें मस्जिद, मजार, दरगाहें और बहुत सी जगह हैं। जब हमारा देश आजाद हो गया वो प्रोपर्टी वापिस होनी चाहिये थी लेकिन आज तक नहीं हुई। हजारों बार मांग की गई और अब तो लिमिट यह हो गई कि हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि प्रोपर्टी वक्फ

25

बोर्ड को वापिस कर देनी चाहिये। लेकिन हम एक डेढ् साल से चक्कर लगा रहे हैं, सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन सरकार ने उसको वापस नहीं किया। दूसरा काम 25-30 साल पहले हमारी जमीनों को डीडीए ने एक्वायर कर लिया। जो कल हुआ है, वह मस्जिद 122 साल पुरानी है, उस मस्जिद को नहीं छेड़ना चाहिए था, चलिए आपने एक्वायर कर लिया, एक्वायर करना ही गलत है, वह हमारी कब्रिस्तान है, हमारे मजार हैं, वह हमारी जमीन है, हमारे पास उसका रेवैन्यू रिकार्ड है, हमारे पास गजट नोटिफिकेशन है, लेकिन जब डीडीए जाता है तो दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस तुरंत उसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड का कोई आदमी जाता है, दिल्ली पुलिस या प्रशासन के पास वह बिल्कुल स्पोट नहीं करता है। हम अपने कागज दिखाते हैं, वे हमारे कागज देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं उसकी निन्दा करता हूं और जो शोएब भाई ने मामला उठाया है मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जो ओरिजनल मस्जिद थी उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वह एक दीवार थी उसमें कंस्ट्रक्शन जरूरी था उसको उन्होंने तोड़ा है, लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस सुबह खुद गई है और उसकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन हम करवाएंगे और अध्यक्ष जी, मैं सरकार से भी कहूंगा और अपनी तरफ से भी मैं डीडीए को लिखूंगा कि जब भी कोई वक्फ बोर्ड की, मस्जिद की और कब्रिस्तान की जमीन पर कोई डेमोलिशन की बात करे तो पहले उन्हें हमसे सलाह करनी चाहिए, धन्यवाद।

श्री शोएब इकबाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल महोदय ने एक Religious Committee बनाई हुई है और जब भी कोई demolition या ऐसी कोई चीज होती है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की कुछ भी बात हो तो उससे पूछा जाता है। उनसे कहा जाता है कि यह ऐसी जगह है जो sensitive एरिया है तो इसका डेमोलिशन किया जाये या नहीं किया जाये और जिस

कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उस कम्युनिटी के मौजिज लोगों को वहां बुलवाया जाता है। परन्तु ऐसा नहीं होता, वे जहां मर्जी हो चल देते हैं। यही चीज नहीं है बिल्क देश के अंदर लॉ एण्ड आर्डर और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि गुजरात में जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, ये लोग इस तरह करना चाह रहे हैं चूंकि देश के अंदर अगले साल लोकसभा का चुनाव है, विधान सभा का चुनाव है, कुछ भी कर सकते हैं कोई भी conspiracy हो सकती है। सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और बारीकी से नजर रखनी चाहिए।

श्री आसिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब चीजें सुनने के बाद मुझे एक शेर याद रहा है कि – तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिर क्यूं लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का ख्याल है – सेन्टर में आप बैठे हो, डीडीए आपके अण्डर में, स्टेट आपके अण्डर में, हम क्या इतने बेवकूफ हैं, 20 साल से बाबरी मस्जिद को रोते चले आ रहे हैं हम लोग, आप उसी मुद्दे को हाईलाइट करते हो कि बाबरी मस्जिद इन लोगों ने जाकर शहीद कर दी, हम स्यासत नहीं करने आए, आप मेरी बात से मुतवईन नहीं हैं, मैं वाकआउट करता हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है क्योंकि वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अण्डर में है और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉज होनी चाहिए जिन्होंने डेमोलिश किया है। ऐसे कैसे आप किसी की धार्मिक भावनाओं से जाकर खिलवाड़ कर सकते हैं। कल नसीब सिंह जी कह रहे थे कि जब शोएब इकबाल साहब ने एफडीआई की मुखालफत की तो कहा कि आप अपने उसूलों से समझौता नहीं कर रहे। आप बीजेपी वालों के साथ आ गए, क्या बोल रहे हैं आप

श्री नसीब सिंह: आपको मतीन अहमद जी ने बताया।

श्री आसिफ मोहम्मद खान: आपने कल कहा, आप हमें बीजेपी का रावण दिखाते हैं। आप हमें बीजेपी का भूत दिखाकर, आप भी वहीं काम करते हो, जो बीजेपी के लोग करते हैं.....व्यवधान

27

अध्यक्ष महोदय : नसीब जी, आप बैठ जाइए.....व्यवधान

श्री आसिफ मोहम्मद खान: अध्यक्ष जी, यह आपकी जिम्मेदारी है.....व्यवधान

श्री नसीब सिंह: आप इस तरह का बयान मत दीजिए। आप गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री आसिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, मैं वाकआउट कर रहा हूं।

(माननीय विधायक श्री आसिफ मोहम्मद खान ने सदन से वाकआउट किया)

अध्यक्ष महोदय: नसीब जी, शोएब जी बैठिए। देखिए यह मसला जो उठाया गया है शोएब जी द्वारा मतीन अहमद जी द्वारा इसको तूल नहीं देना चाहिए। मुझे उसकी जड़ तक का पता है क्या है क्या नहीं है। मैं आपकी इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि डीडीए ने वहां गलत काम किया है, तोड़ना नहीं चाहिए था। 20 दिन पहले भी उस जगह को तोड़ने के लिए वहां चार जेसीबी गए थे, सीएम साहिबा ने खुद रुकवाया था और डीडीए को हिदायत दी थी कि फर्दर इस तरह की कार्रवाई वहां पर न हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, शीला जी बीमार हो गईं, डीडीए के नीचे वाले आफिसर्स ने प्रोपोजल बना करके वाइस चेयरमैन को गुमराह किया। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि वाइस चेयरमैन की गलती नहीं है उनको खुद देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। वाइस चेयरमैन को यह कह दिया कि वहां से एक रोड निकलना है जो चौड़ा रोड होगा और वह जगह उसके बीच में आ रही

है जबिक ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को यह बतला दिया था कि कोई रोड नहीं निकलना है ये केवल गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से उनको टेलीफोन गए लेकिन उसके बावजूद डीडीए वाले रुके नहीं और वहां पर तोड़ फोड़ कर दी। जहां तक मस्जिद का सवाल है एक दीवार गिर गई। गलती से गिरी या डीडीए वालों ने गिराई, वह शोएब साहब और मतीन साहब को भी पता है। कल मुख्य मंत्री साहिबा ने एकदम आर्डर किए थे कि इसको तुरंत बनाया जाये और वह बन रही है। आगे उन लोगों को बसाने की बात है जिनके सिर पर थोड़ी सी छत थी और वह गिरा दी गई। मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हम किसी को उजाड़ना नहीं चाहते और जब तक कालोनियां पूरी तरह से अप्रूव नहीं हो जातीं तब तक हम कोई भी ईंट हिलने नहीं देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि डीडीए कोआपरेट नहीं कर रहा है। पुलिस भी हमारे अण्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह गलती हुई है उसका सुधार किया जायेगा। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई हैं, तुरंत मीटिंग बुला ली जाएगी जिसमें शोएब साहब, मतीन अहमद साहब, डीडीए के अधिकारी, हमारे शहरी विकास मंत्री भाई लवली जी आदि होंगे और हम प्रयास करेंगे कि वे लोग वहीं पर बसे रहें। जैसा मतीन साहब ने बतलाया 25 वर्ष पूर्व डीडीए ने वह जगह एक्वायर कर ली थी। लेकिन उसमें ऐसी जमीन भी है जो हमारे कई साथियों को प्राइवेटली मिली हुई है। रजिस्ट्री उनके पास है, खतौनी उनके पास है और जो जो भी कागजात होने चाहिए मलिकयत के वे सब उनके पास हैं। वह जगह भी तोड़ी गई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 15 दिन, 20 दिन और महीने के बच्चों को भी उजाडा गया है, वे जहां रह रहे थे उनकी झुग्गियां भी उजाडी गई हैं। ऐसी ठिठुरती सर्दी में आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी कठिनाई होती होगी। तो इस मसले में हम सब एकजुट हैं और हम सबकी तरफ से यह प्रयास होना चाहिए कि वह जगह उसी तरह से बसी रहे। आज एक इलैक्ट्रोनिक मीडिया वाले मेरे पास आए थे उन्होंने कुछ सवाल किए और उनमें एक बात

यह भी थी कि जो मस्जिद शहीद हो गई है, देखिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा कि सबसे गलत बात तो आप कर रहे हैं, आप भावनाओं को ठेस पहुंचा करके लोगों को भड़काना चाहते हैं आपको भी संयम बरतना चाहिए। तो हम सब मिलकर के संयम रखते हुए इस मामले का हल निकालेंगे, हल जरूर निकलेगा और उन गरीब लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है वह दुरूस्त कर ली जाएगी। मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे। बोलिए।

श्री अरिवन्दर सिंह लवली (शहरी विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही विस्तारपूर्वक और बहुत अच्छे से कह दिया कि मुख्यमंत्री जी के सम्पर्क में भी हैं और सब अधिकारियों से भी आपने बात कर दी। लेकिन मैं भी इस सदन की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत हुआ है और शोएब भाई ठीक कह रहे थे कि रिलीजिएस कमेटी की एप्रूवल के बिना किसी भी रिलीजिएस स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि दीवार गलती से गिर गयी है या इन्होंने गिराई है, अगर जान-बूझकर गिराई है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम केन्द्र सरकार को भी लिखेंगे। क्योंकि बिना रिलीजिएस कमेटी में पास किए हुए किसी भी रिलीजिएस स्ट्रक्चर को वे छेड़ नहीं सकते चाहे वह दिल्ली सरकार के विभाग हों, चाहे डीडीए हो। इस मामले में आपने जैसा कहा, हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसमें कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से इसकी जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है।

मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुकेश शर्मा बिजली, पानी और एलपीजी गैस सिलैण्डर

के दामों में हुई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा शुरू करेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्टेटमैंट देने के लिए निवेदन किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में दल्लूपूरा में जो दीवार गिर गई, उसके बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद आज मैंने विपक्ष के नेता का और एमसीडी के नेता का और भी बहुत सारे लोगों का बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि रेवेन्यु डिपार्टमैंट की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिन्ता का विषय है कि हम लोग अपनी किमयों/खामियों को ठीक करने की बजाय, हम एक दूसरे के ऊपर पक्षपात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डीएमसी एक्ट जो 1957 है, जो एमसीडी को गवर्न करता है, उसकी धारा अण्डर सैक्शन 332 की जो धारा वह यही कहती है कि It is the statutory responsibility of Municipal Corporation to ensure that no building is constructed without the sanction of Commissioner as required and to take further legal action and Commissioner is authorized to take further legal action as per the provision of DMC Act, 1957 against any sort of unauthorized construction.

अध्यक्ष महोदय, यह इसिलए मैंने एक्ट पढ़ा है कि यह न केवल दिल्ली में बिल्क देश भर में जितनी भी अनाथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैं, उसको चैक करना म्युनिसिपल कार्पोरेशन की बेसिक और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां तक कि हमारे बहुत सारे मेम्बरान साहिबान बैठे हुए हैं, सब इस बात से वाकिफ होंगे, ईवन अगर हमने सरकारी जगह पर कंस्ट्रक्शन कराना है, चाहे हमें स्कूल बनवाना है, चाहे अस्पताल बनवाना है, चाहे डिस्पेन्सरी बनवानी है, वह भी हम लोग बिना एमसीडी से नक्शा पास करवाये, नहीं बनवा सकते जबकि एमसीडी का उस लैण्ड पर कोई रोल नहीं होता और वह दिल्ली सरकार की लैण्ड होती है। अध्यक्ष महोदय, चाहे अनाथराइज्ड कालोनी हो चाहे ऑथराइज्ड कालोनीज हों, और यहां तक कि फार्म हाउसेज हों जो किसी भी मायने में एमसीडी के परव्यू में नहीं आते। लेकिन फार्म हाउस के नक्शे कौन पास करता है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड वो है, फार्म हाउस के अंदर डेमोलिशन कौन कैरी आउट करता है। गांव चाहे अर्बनाइज्ड हो, गांव चाहे रूरल हो। उन तमाम जगह पर एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एमसीडी पर इल्जाम लगाने के लिए खडा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मैं रिकॉर्ड को करेक्ट करने के लिए ये स्टेटमैंट दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे भविष्य में भी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये चाहुंगा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर इस ओर कार्य करे और जरूरत अभी यह आ गयी है कि दिल्ली जिस तरह के जोन के अंदर है, हमें एक सर्वे कैरी आउट करने की भी आवश्यकता है कि वह ऐसे मकान जो डेंजरस हैं. जो गिर सकते हैं. उनके ऊपर बाकायदा सर्वे करने की जरूरत है। पीछे एलजीसाहब ने ये निर्देश भी दिये थे ये कैरी ऑन करने के लिए लेकिन हम अपने रेवेन्यू डिपार्टमैंट को कहेंगे कि एमसीडी के साथ मिलकर आने वाले समय में एक सर्वे कैरी करे कि ऐसी डेंजरस बिल्डिंग को आइटैन्टिफाई करे, जिससे उन लोगों की जान न जाये और एमसीडी को मैं ये कहना चाहुंगा कि इश्यू को पॉलिटिसाइज करने की बजाय अपनी किमयाँ/खामियाँ दूर करें और इस काम में लगें और इस किमयों और खामियों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार का जो सहयोग उनको चाहिए वह हम देने को तैयार हैं। यही अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजधानी में बिजली, पानी और गैस सिलैण्डर के बढ़े हुए दामों और बिजली, पानी की वितरण व्यवस्था और बिजली और पीने के पानी की कमी को लेकर सदन में चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी मांग की थी और अध्यक्ष महोदय, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में, ये तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा विपक्ष शुरू करेगा और नम्बर दो पर हम बोलेंगे, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन मुझे कष्ट है, दुख है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिजली और पीने के पानी को लेकर सदन के बाहर तो शोर करती है, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने से विपक्ष पहले भी भागता रहा है, और आज जिस तरह से अफजल के नाम पर बिजली और पानी जैसे अहम मुद्दे को विपक्ष ने छोड़ा है, मैं समझता हूँ कि उनकी निन्दा होने के साथ-साथ आज भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए एमएलएज ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं का और दिल्ली की जनता का अपमान किया है, इस चर्चा में भाग न लेकर। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जरूरत आम आदमी को है, जिसकी जरूरत छात्र को है, नौजवान को है, महिला को है, सभी वर्गों को है और बिजली और पीने के पानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है. ये सारी दिल्ली जानती है। क्या क्या नाटक इनके पॉलिटिकल नेता करते हैं। डीईआरसी के समक्ष स्टेज लगाकर नारेबाजी तो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे दुख है और मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। मुझे जानने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से है कि क्या दिल्ली इलैक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, दिल्ली राज्य विद्युत विनायक आयोग में रिट पैटीशन उस टैरिफ के खिलाफ क्या किसी बीजेपी के एमएलए ने डाली? हम एमएलए होने के साथ-साथ दिल्ली

के नागरिक भी हैं। और किसी डीईआरसी के एक्ट में यह नहीं लिखा हुआ है कि एमएलए पेटीशन नहीं डाल सकता। किसी ने पेटीशन नहीं डाली बीजेपी के एमएलए ने। हमारी सरकार थी हम रूलिंग पार्टी में थे। लेकिन चूंकि डीईआरसी इंडिपेन्डेन्ट बॉडी है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। टैरिफ का फैसला वे करते हैं, हमारे पूर्व विद्युत मंत्री डॉ. नरेन्द्र नाथ जी और मैंने अपनी सरकार होने के बावजूद, हमने रूलिंग पार्टी में रहकर डीईआरसी में बाकायदा नियमों में पेटीशन फाइल किया। और हमें ख़ुशी है कि पेटीशन फाइल करने के बाद वह जीरो से 200 और 200 से 400 का स्लैब दुबारा से बहाल किया गया। अध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए था कि ये वहां पेटीशन फाइल करते । इन्होंने पेटीशन फाइल नहीं की। इनकी नियत ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिजली और पानी के सवाल पर जिस तरह से ये लोग सदन के बाहर बोलते हैं। इनको चाहिए था कि तथ्यों के साथ सबूतों के आधार पर आज सदन में आते। 18 हजार लैटर की कॉपी तो ये टेबल कर सकते हैं। लेकिन सदन में बहस नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अफजल गुरु एक विषय है केन्द्र सरकार का। फैसला भारत सरकार को करना है। एमएचए को करना है, महामहिम राष्ट्रपति जी को करना है। सरकार को करना है। ये दिल्ली का सदन, दिल्ली की समस्याओं की चर्चा के लिए बना है और जो सदस्य समस्यों पर चर्चा नहीं करना चाहते। उनको माफ नहीं करना चाहिए, उनको दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली और पानी के मामले में दो तीन चीजें विशेष तौर पर आपको कहना चाहता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड हिन्दुस्तान का पहला निकाय है, जिसने 1978 करोड़ रु. की लागत से दिल्ली में इन्टरसैप्टर डालने का काम युद्धस्तर पर चालू कर रखा है। और वह इन्टरसेप्टर जो नजफगढ़ नाले के साथ-साथ डाला जा रहा है। जिसमें ७ ट्रीटमैन्ट प्लांट ७ सीवेज पम्पिंग स्टेशन बनने हैं। अध्यक्ष महोदय, वो इन्टरसेप्टर जो 2014 में बनकर जब तैयार होगा तो दिल्ली की

अनाथराइज्ड कालोनियों का नक्शा बदला हुआ होगा। दिल्ली का नक्शा बदला हुआ होगा। उस इन्टरसेप्टर में जितनी भी हमारी नहरों में, नालियों में कालोनियों के नाले जा रहे हैं, वो सब इन्टरसैप्टर के थ्रू सीवर से कनैक्ट किये जायेंगे। वह एक ऐसी दूरगामी योजना सरकार की है। जिसका नतीजा 2014 में आयेगा। 1978 करोड़ रु. की ऐसी योजना किसी राज्य सरकार की हिन्दुस्तान में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ बिजली के मामले में दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है। पॉवर आइस लैण्ड स्कीम हमारी पॉवर आइसलैण्ड स्कीम भारत सरकार ने एप्रूव की है। दिल्ली भारत का ऐसा राज्य होगा, जहाँ पर पलक झपकने के बराबर भी बिजली नहीं जाया होगी। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं कहना चाहता हूँ 1998 में जब इन्होंने सरकार छोडी, उस वक्त दिल्ली में जितनी पानी की मांग थी। उससे ज्यादा पानी उपलब्ध था। लेकिन लोगों को पीने का पानी बराबर नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय. दिल्ली की आबादी उसके बाद 75 प्रतिशत बढी है। आज हम 835 एमजीडी पानी के लगभग हम दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 33 नये यूजीआर दिल्ली के अंदर बनाये हैं। ताकि दिल्ली का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, इस डेमोक्रेसी में इल्लीगल कनैक्शन काटना भी एक बहुत बड़ा काम है। इतना आसान नहीं है। और वो जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन हमने किया है तो हमने उसे बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है। हमने देखा है कि हम बिजली की चोरी नहीं रोक पाये। लेकिन आज 53 प्रतिशत से घटकर बिजली की चोरी 4/5 या 6 प्रतिशत के करीब रह गयी है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम इस तरह का हमारा है। मैं पीने के पानी के मामले में इसलिए बात कहना चाहता हूं कि जिस पीने का पानी की आज प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को भूत दिखा रही है, हमने पानी का निजीकरण नहीं किया। हमने दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण

नहीं किया है। हमने दिल्ली में पीने के पानी का इक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि एक लोटा पानी मुकेश शर्मा को मिलता है तो एक लोटा पानी नरेन्द्र नाथ जी को भी मिलना चाहिए। उस सिस्टम को लागू करने के लिए पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने नांगलोई ट्रीटमैंट प्लांट को पीपीपी के हवाले किया है। अध्यक्ष महोदय, हम बिलिंग सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं और इक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो पानी का, यह हमारी सदन में आपके माध्यम से मांग भी है। ये कोई तरीका नहीं है कि साउथ दिल्ली के अंदर आप पानी छोड़ देंगे। आज साउथ दिल्ली मेन के अंदर रिजर्व पानी भी रखेंगे, वेस्ट दिल्ली प्यासी मरती रहे। अध्यक्ष महोदय, किसी नियम में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आज पानी को पीपीपी में लाने की जरूरत है। इक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत है आज, और उसके लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। हम उस पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि पानी के बिल या बिजली का बिल, बिजली का फैसला डीईआरसी करती है, मैं उस पर ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन पानी के विषय पर अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली जल बोर्ड ने लगभग 3600 किलोमीटर सीमेंट की लाइन, जो पुरानी लाइनें थी, टूट गयी थी। 3600 किलोमीटर पानी की लाइनों को रिप्लेस किया है। क्या उस पर पैसा खर्च नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लाण्ट के संबंध में कहना चाहता हूं सीवर लाइनों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी सीवेज प्लाण्ट की क्षमता 335 एमजीडी से बढ़कर 545 एमजीडी आज हो गयी है। कौन कर रहा है? और अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली जल बोर्ड, हम दिल्ली में कोई सुधार लाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर पैसा खर्च होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात आज और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं? ये गैस सिलैण्डर जिसको लेकर आज चर्चा लगी हुई है। ये गैस सिलेण्डर पर जब सब्सिडी हटी तो पूरे देश में शोर मच गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना। यदि आज से 15 साल पहले धीरे-धीरे खत्म की जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता। हम सब्सिडी पर सब्सिडी दिये चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पीने के पानी के मामले में कहना चाहता हूँ। यदि सब कुछ हम मुफ्त बांटते चले गये। तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो हमारे नौजवान आ रहे हैं। उनके ऊपर ऐसे ही जैसे गैस सिलैण्डरों की दरें बढ़ी, जल बोर्ड का रेट 600 गुना 2000 गुना सीधा बढ़ा हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि हर चीज में जिस-जिस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है। आज सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं और निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति सुधार की तरफ चलता है तो कुछ कडुवे घूंट भी पीने पडते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई महंगाई को या सिलैण्डर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दो तीन तरीके हैं या तो अभी इस देश में ये फैसला करना होगा, चुनी हुई सरकारों को कि हम देश को किस तरह चलाना चाहते हैं। या तो मकसद सिर्फ सरकार बनाना है। सब कुछ फ्री दीजिए, चुनाव जीतिए और चुनाव जीतने के बाद बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम वो सरकार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी देश को पहले रखती है। देश को चलाना चाहती है। सरकार में कोई दिक्कत थोड़ी बहुत दिक्कत पॉलिटिकल में आती है, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, ये हमारे विचार हैं। हमारे लिए देश पहले है। देश की अर्थव्यवस्था पहले है। हम देश की ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहते कि हम सब्सिडी देते रहें और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कुछ कडुवे फैसले सरकार को करने पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज 99.1 परसैंट बिजली के कनैक्शन दिल्ली में हैं। सिर्फ .9 परसैंट लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनैक्शन नहीं है। इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय। अनाथराइज्ड कालोनी के संबंध में कितने प्रैक्टीकल में लोग आपके पास

आते होंगे। नरेन्द्र नाथ जी को याद होगा, ये इस विभाग के मंत्री रहे हैं, हारुन साहब को भी याद है, डॉ. वालिया साहब को भी याद होगा। जब डीबीबी थी तो 368 रु. गज डेवलपमैन्ट चार्ज लगता था बिजली का। 100 गज के प्लाट वाले को 40 या 42000 रु. डेवलपमैंट चार्ज जमा करना पड़ता था। जब हमें बिजली का मीटर मिलता था। आज 3200-3800 रु. दीजिए, आपका 2000 गज का प्लाट है या 500 का है, आज जायें, सीधा आपका बिजली का मीटर मिलेगा। मुझे तो यह भी याद है कि बिजली का मीटर लगवाने के लिए डेसू के जमाने में रिश्वत देनी पड़ती थी लेकिन मीटर हमें नहीं मिलता था कि मीटर है नहीं खत्म हो गया है। आज बिजली के कनैक्शन इजी हुए हैं। आपका पान का खोका कहीं एमसीडी से एप्रूव है। वहां कनैक्शन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर कुछ इसमें खामियां हैं तो सुधार बहुत तेजी से इसमें हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं दो तीन बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1993 से 1998 में हम हारुन साहब, डॉ. वालिया साहब और हमारे कुछ सदस्य यहां पर नहीं हैं। हम लोग 5 साल यहां पर विपक्ष में बैठे थे। आज तो थोड़ा सा मार्शल कुछ कहते नहीं हैं इनको, हमारे जमाने में तो चरती लाल गोयल साहब ने मार्शल भी कहीं विदेश से मंगवा रखे थे। हमें बड़ी बेरहमी से उठा-उठाकर वे बाहर फेंका करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो 5 साल का जमाना, वालिया साहब को भी याद होगा। जो हश्र हमारा यहां होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि 1993-98 तक कांग्रेस के एमएलए 14 थे हम, हम 14 में से कोई रात को गर्मियों में सोता नहीं था। क्योंकि रात को कब किस सडक पर ट्रैफिक जाम हो जाये और कब किस इलाके में जाना पड़ जाये कुछ भरोसा नहीं होता था। 1500 पॉवर राइटिंग के केस दिल्ली पुलिस ने उन 5 सालों में दर्ज किए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2001 से आज तक पॉवर राइटिंग के मुश्किल से 17 या 18 केस

पुलिस ने दर्ज किए हैं। वह भी पॉलिटिकल लोगों ने उकसा कर राइटिंग कराई है। ये सुधार पॉवर सैक्टर में हुआ है। आज ऐसा नहीं है कि 18-18 घंटे बिजली दिल्ली में न आये। पॉवर राइटिंग होती थी, दिल्ली में बसें जलाई जाती थी। दिल्ली में हर रोज दिल्ली की 50 बसों के या तो शीशे टूटते थे, या उनके टायर्स की हवा निकाली जाती थी। ये डीटीसी से आप रिकॉर्ड पता करवा सकते हैं। आज डीटीसी की हालत क्या है? आज एक बस डीटीसी की इस बात के लिए सड़क पर नहीं रुकती कि आपके घर में बिजली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पर कैपिटा खपत बिजली की 1450 यूनिट है और पूरे हिन्दुस्तान में पर कैपिटा बिजली की खपत मात्र 775 यूनिट है। 1450 पर कैपिटा खपत बिजली की दिल्ली के अंदर है उसके बावजूद जब सरकार ने पीक डेज में 56-57-5800 मेगावाट तक सफलतापूर्वक दिल्ली को बिजली दी है और दिल्ली के लोगों ने गर्मियों में बिजली चलाई है। कहीं 8-8, 10-10 घंटे बिजली गायब नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली ट्रांस्को, हमने ट्रांसिमशन ग्रिड लगा रहे हैं, ट्रांसिमशन सिस्टम लगा रहे हैं, बवाना में लगा रहे हैं, मस्जिद मोड पर लगा रहे हैं। हर्ष विहार में लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली में लगभग 9 नये ट्रांसिमशन सिस्टम 220 केवीए 400 केवीए के हम लगा रहे हैं। हमने बवाना में प्लाण्ट चालू किया है। गैस की वजह से दिक्कत है। हम बहुत तेजी से पॉवर जनरेशन सिस्टम दिल्ली में करना चाहते हैं। हमने दिल्ली में 45 एमजीडी का रिसाइक्लिंग पानी का प्लाण्ट हमने लगाया है। हम ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं नहीं, वरना मैं उनसे अनुरोध करता कि जिस तरह से हम बिजली में और उसमें प्रयोग कर रहे हैं, हमें रिसाइक्लिंग प्लाण्ट दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा कि अध्यक्ष महोदय, जब गैस के सिलेण्डर पर सब्सिडी खत्म

होती है तो ये प्रदर्शन करते हैं। और जब मोइली साहब बयान देते हैं कि 9 कर रहा हूं तो ये इलैक्शन कमीशन में कम्पलैंट कर देते हैं। यही समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या हैं? अगर गैस सिलैण्डर 90 हो जायेंगे तो गुजरात में इनका चुनाव खराब हो जायेगा। और आरएसएस हेडक्वार्टर से नागपुर से झण्डेवालान से डायरेक्शन आयेगी कि गुजरात में पोलिंग कम हो रही है। आज सुबह से वहां पॉलराइजेशन करना है वोट का तो अफजल गुरु आ जायेगा। ये चाहते क्या हैं, अध्यक्ष महोदय? इनकी नीयत ठीक नहीं है और मैं जिम्मेदारी से यह आरोप लगाने के लिए खड़ा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों की दलाल है। इसलिए वो सदन से भागे हैं और इसलिए उन्होंने सदन में बहस नहीं की। इन्हें किसने रोका है यह ऑडिट की बात करते हैं। जब इस सदन में डीईआरसी तय है, आप रिकॉर्ड निकलवाइये, मैंने अमेंडमेंट लगाई थी जब डॉ. साहब पावर मिनिस्टर थे। मैंने कहा था कि डीईआरसी में एक एमएलए को मेम्बर बनाइए। शहरी विकास मंत्री हमारे वालिया साहब भी उस समय थे। उस समय उन्होंने उस अमेंडमेंट का विरोध किया। हमने कहा था कि डीईआरसी के मेम्बर को लोकायुक्त प्रोसीक्यूट कर सकेगा। हमने यह अमेंडमेंट लगाई थी जिसका बीजेपी ने विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। मैं दो बातें और मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनियों को हमारे पावर सेक्रेटरी यह सख्त हिदायत दें कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहे, ट्रांसफार्मर सिस्टम और मेंटेनेंस ठीक रहे। आपको प्राइवेट करना है करिये लेकिन जल बोर्ड में जल्दी से जल्दी पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो क्योंकि यह दिल्ली में बहुत जरूरी हो गया है। सबको पीने का पानी मिलना चाहिए। जो गैस सिलेंडर वाला विषय है, दिल्ली की सरकार ने जैसे ही इस पर से सब्सिडी हटी और हमने बीपीएल वालों को गरीब लोगों को उस पर सब्सिडी दी है, मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि गैस सिलेंडरों के मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार को पुन: विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. नरेंद्र नाथ जी।

डॉ. नरेन्द्र नाथ: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि बिजली पानी पर चर्चा बीजेपी पार्टी के एमएलए डॉ. हर्षवर्धन इसको शुरू करेंगे और मुकेश शर्मा जी और मैं इस पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा आज जो डॉ. हर्षवर्धन को शुरू करनी थी क्योंकि ये लोग जो पब्लिक से जुड़ी चीजें हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज इन्होंने अफजल गुरु की बात उठा ली। 11 साल पहले, आज तक तो नहीं उठाई और उसको फांसी देना या न देना सेंट्रल का काम है हमारा नहीं। दिल्ली सरकार तो इसकी फाइल एक साल पहले होम मिनिस्टरी को भेज चुकी है। अध्यक्ष महोदय, उसको फांसी देना या नहीं यह भारत सरकार ने तय करना है। न तो हमने फांसी देनी है और न ही दिल्ली सरकार ने देनी है। मुकेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, हिन्दु मुसलमान की बात करके शायद गुजरात में कुछ गेन कर लेंगे। यह तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जब 1993 में इनकी सरकार बनी थी, उस समय बिजली की क्या हालत थी? शायद कोई भी एमएलए अपने घर में नहीं सोता था। रात को एमएलएज को यह नहीं पता कि किस इलाके की बिजली गयी, कौन लोग हमारे घर पर आये और पत्थर फेंक कर चले गये, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ कर चले गये? कहां ट्रैफिक जाम हुआ, ये जो पुराने एमएलएज हैं उनको पता है कि 1993 से 1998 तक बिजली की क्या हालत थी? 1988 में हमारी सरकार आई और यह विभाग मेरे पास आया और मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के एमएलएज ने कहा कि यह आप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने कहा कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक दिन आयेगा, हम लोग दिखा देंगे, दिल्ली की बिजली की हालत अगर सुधरेगी तो कांग्रेस की सरकार ही सुधारेगी, किसी और के बस के नहीं है। बिजली में सुधार हुआ। मैं इसके

लिए अपनी मुख्यमंत्री जी को, अपने पावर मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो विकास शुल्क लगता था, उस समय अनिधकृत कालोनी के लोग कहते थे कि हम बिजली का कनैक्शन कैसे लेंगे, हमने उसका रास्ता निकाला। हमने उन्हें सिंगल पाइंट डिलीवरी दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आप सुरेन्द्र जी से भाई शर्मा जी से पूछो जो अनधिकृत कालोनियों के एमएलएज बैठे हैं उनसे पूछा, ख़ुद खड़े होकर के खंबे लगवाये, खुद तार लगवाये और सिंगल पाइंट कनैक्शन दिए जिससे उन कालोनियों के लोगों को बिजली के कनैक्शन मिले। इन्होंने जो एक पॉलिसी निकाली थी एज इज वेयर की कि दो रुपये तीन रुपये के हिसाब से चार्ज करेंगे. सही मायने में देखा जाये तो इन कालोनियों का जो बेडा गर्क किया, बीजेपी के उस समय के मुख्यमंत्री ने किया, जो उस समय फैसला लिया था। बिजली में सुधार हुआ तो उसके प्राइवेटाइजेशन से हुआ। आज लोग बिजली के टैरिफ की बात करते हैं कि पैसा बहुत बढ़ गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब केवल आठ या दस घंटे बिजली आती थी तो मीटर कितनी देर चलता था। अब बिजली 24 घंटे आती है तो मीटर 24 घंटे चलता है, जितनी बिजली आप इस्तेमाल करोगे बिल उतना ही तो आयेगा। आप ईमानदारी से पूछे कि उसके अंदर बिजली की कोस्ट बढ़ी है, फ्यूल चार्जिज बढ़ा, गैस की कीमत बढ़ी है, ट्रांस्फार्मर लगाये गये हैं। ट्रांसमीशन लाइनें बिछाई गयीं हैं। सिस्टम में सुधार हुआ है अगर यह सब सुधार होंगे तो नैचुरली टैरिफ बढ़ेगा। बीजेपी के लोगों ने एजीटेशन जरूर किये हैं कि बिजली के रेट बढ़ गये। बिजली के रेट बढ़ने की जहां तक बात आती है, 2005-06 में बहुत ही कम चार्जिज बढ़ा था, केवल फ्यूल चार्जिज बढा था। इसके बाद 1 जुलाई 2011 को टैरिफ बढा इस बात को हम लोग मानते हैं लेकिन इसमें डीईआरसी से एक गलती हुई, वो ये कि जो हमारा सैकेण्ड स्लैब जो 200 या 400 का था, वो तीसरे में मर्ज कर दिया अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये परेशानी खडी नहीं होती और जो प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं करते। इनमें से बीजेपी के कोई

विधायक ने क्या डीईआरसी के खिलाफ कोई पैटीशन फाईल की या वहां गये, अपनी आवाज को सुनाने के लिए। कोई नहीं गया। भाई मुकेश शर्मा और मैंने मिलकर के पैटीशन फाइल किया और यह उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए राहत देनी पड़ेगी। उसके अंदर हमारी सुनवाई हुई। हमने उनसे कहा कि आपकी टेक्नीकली गलती हुई है, जब मैंने डीईआरसी के चैयरमैन से बात की, मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि आपने यह स्लैब क्यों मर्ज कर दिया, आपने टैक्नीकली गलती की है और टैरिफ को डिसाइड करना दिल्ली सरकार का काम नहीं है। ये डीईआरसी करती है। दिल्ली सरकार को ब्लैम करना कि टैरिफ बढ़ा दिया। यह हमने थोड़े ही बढ़ाया है आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाओ, पैटीशन फाइल करो, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23.11.12 को दिल्ली सरकार को एप्रीशिएट किया है कि आज दिल्ली में बिजली की स्थिति सबसे बिंदया है। पूरे हिन्दुस्तान से बिंदया है दिल्ली के अंदर पावर की situation आज की तारीख में। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 23 नवम्बर, 2012 को नन्द किशोर गर्ग यहाँ से एमएलए रहे बीजेपी के, वो हाई कोर्ट में गये कि साहब जो पहले चेयरमैन थे डीईआरसी के उन्होंने कहा कि जो प्रोफिट हुआ है प्राइवेट कम्पनीज को वो करोड़ों में प्रोफिट है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने डिसिजन में यह खुद कहा है इस बात के लिए कि ऐसा नहीं है, कोई प्रोफिट नहीं है। इस बात के लिए हाई कोर्ट में जो पेटिशन उन्होंने डाला था वहां भी उनका पेटिशन डाउन गया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है अध्यक्ष महोदय कि आज जितने भी इलेक्ट्रिसटी के एप्लायंसेस हैं शायद एक गरीब आदमी भी फ्रिज इस्तेमाल करता है, टेलीविजन इस्तेमाल करता है, हीटर भी इस्तेमाल करता है तो इन सब से कंजम्पशन बढती है। 2001-2002 के अंदर जो बिजली की डिमांड थी दिल्ली के अंदर वो करीब 2900-3000 मेगावाट थी। आज यह बढ़कर 5645 मेगावाट बिजली की डिमांड दिल्ली के अंदर है। मैं तो अपनी सरकार को

बधाई देता हूं इस बात के लिए कि जो मेगावाट डिमांड बढ़ी अध्यक्ष महोदय वो पूरी डिमांड हमारी जो कम्पनीज हैं उनहोंने उसको पूरा किया और दिल्ली के लोगों को बिजली दी। बिजली के अंदर यह सुधार हुआ है। पहले 58 परसेंट लौसेस थे now it has come down to fifteen per cent और यह 15 परसेंट भी इसमें 12 परसेंट transmission losses है जो कभी कम नहीं हो सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बिजली की चोरी अभी है और प्राइवेट कम्पनीज भी कोशिश कर रही है इस बात के लिए कि हम बिजली की चोरी पर कंट्रोल करे लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं यहां पावर मिनिस्टर बैठे हैं हारुन युसुफ जी। हारुन युसुफ जी प्राइवेट कम्पनीज के लोग कुछ लोगों को harassment भी कर रहे हैं। मीटर टैम्परिंग कम्प्लेंट करता है आदमी कि मेरा मीटर चल नहीं रहा है या मेरा मीटर फूंक गया है उसके घर अगले दिन एनफोर्समेंट आ जाती है और छापा मार देती है कि आपका मीटर टैम्परिंग है तो इस चीज को देखने की जरूरत है। इस बात के लिए कि कम्पनीज लोगों का harassment न करे अगर लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मीटर टैम्परिंग करके आप उनका बिल बनाकर भेज देते हो, उसके बाद उनके सीनियर ऑफिसर्स क्या कहते हैं तुम एमएलए की चिट्ठी ले आओ। हम तुम्हारा 25-30 परसेंट कम कर देंगे। यह क्या मतलब हुआ? हमें क्यों करते हैं ब्लैम इस बात के लिए? मीटर टैम्परिंग अगर किसी का है तो उसका एक तरीका है आप उसका मीटर रिप्लेस करो, उसका जो लोड पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है उसका पिछले छ: महीने का ले लो। अगर उसका कंजम्पशन पैटर्न वो ही आ रहा है. आपका मीटर चेंज करने बाद तो फिर मीटर टैम्परिंग का मामला बनता ही नहीं है। क्यों मीटर टैम्परिंग करे और बहुत सारे लोग कम्पनीज के लोग बैज लगा-लगा कर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, जबर्दस्ती छापा मारने के लिए कि हम एन्फोर्समेंट से आए हैं और छापा मारकर कहते हैं कि या तो हमें

इतने पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारा केस दर्ज करेंगे और तुम्हारा मीटर टैम्परिंग है, तुम्हारा बिल इतने का बन जाएगा तो मैं पावर मिनिस्टर साहब से यह कहुंगा कि इस बात के लिए इन कम्पनीज को हिदायत दी जाए, इस प्रकार के लोग जो अननेसेसरी लोगों को तंग कर रहे हैं. परेशान कर रहे हैं और जो गरीब आदमी रह रहे हैं उनके टैम्परिंग के केसेस बन रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम प्राइवेट कम्पनीज के खिलाफ इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पावर मिनिस्टर साहब से कि उनको इंस्ट्रक्शन्स दी जाए, जिसका वाकई में मीटर टैम्परिंग है और अब तो इनके डर की वजह से कोई मीटर टैम्परिंग करता ही नहीं है। कोई फिल्म उसमें घुसेडता नहीं है अब उसमें फिल्म थोड़े ही जाती है। अब तो कम्प्युटराइज्ड मीटर है। जब यह मीटर लगाये तब भी बीजेपी के लोगों ने शोर मचाया था कि साहब ये मीटर फास्ट चल रहे हैं। मीटर की टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ इस बात के लिए और मीटर बिल्कुल करैक्ट पाये गये और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हारून युसूफ जी हमारे पावर मिनिस्टर साहब हैं, मैं इनको बधाई देता हूं इस बात के लिए, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हुं इस बात के लिए कि पावर के अंदर दिल्ली में बहुत सुधार हुआ है और दूसरी बात एक और है डीईआरसी में जब हम लोग गये मुकेश शर्मा जी और हम डीईआरसी ने इस बात को माना कि जो स्लैब सिस्टम है 201 का इसको वापस किया जाये और उन्होंने किया और इस स्लैब के आने से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरेक कंज्यूमर को कम से कम 20-22 परसेंट का फायदा हुआ है। जब आपके बिल आयेंगे तब पता चल जाएगा। एनडीपीएल ने तो उसको लागु कर दिया है लेकिन जो बीएसईएस है उसने अभी इसको लागू नहीं किया है शायद उनकी प्लानिंग है जो 1 जुलाई से बढे हुए पैसे आये हैं वो लोगों के हम कम करेंगे और 1 जनवरी से उनके जो बिल आयेंगे वो स्लैब के हिसाब से जो बनाया है उसी के हिसाब से आयेंगे।

अब पानी की बात करते हैं कि पानी का टैरिफ बढ़ा है, ठीक है पानी का टैरिफ बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसके बढ़ने का एक कारण है, पानी को अगर देखा जाये तो जब उसको ट्रीट करते हैं जो कोस्ट है पानी की वो भी बढ़ी है। उसके साथ-साथ पानी का टैरिफ बढा है लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी एक एनाउंसमेंट किया है कि जितना भी सरचार्ज पानी के बिलों में लगा हुआ है, अभी भी मौका है कंज्यूमर्स को, दिल्ली के लोगों को अपना वो सरचार्ज जाकर माफ करा लें और मेरा ख्याल है कि हमने एक दफा डीबीबी के अंदर यह एनाउंसमेंट किया था 400 करोड़ रुपया जो सरचार्ज लगा हुआ था लोगों का माफ करने के बाद 400 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास आया था और आज भी वो ही पानी के ऊपर है। जहाँ पानी के सरचार्ज लगे हुए हैं हमारी मुख्यमंत्री जी ने एनाउंसमेंट किया है इस बात के लिए कि सरचार्ज हटाने के बाद वो अपना पानी का बिल जमा करा दे और पिछला जितना भी सरचार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको माफ कर दिया जायेगा। लेकिन एक बात जरूर है इसके अंदर आज यह भागीरथी प्लांट, सोनिया विहार का ट्रीटमेंट प्लांट या नांगलाई का ट्रीटमेंट प्लांट यह किसने लगाया है, दिल्ली सरकार ने लगाया है। कहाँ पानी मिलता नहीं था दिल्ली के लोगों को, उस समय बीजेपी की सरकार थी 450 एमजीडी पानी कुल दिल्ली के अंदर मिलता था आज वह बढ़कर करीब-करीब 850 एमजीडी पानी दिल्ली के लोगों को मिलता है और दिल्ली के लोगों की आपूर्ति इस पानी के द्वारा कराई जाती है लेकिन उसमें एक कमी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अभी प्रोपर नहीं है। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए पानी का, ताकि बराबर सब को पानी मिले, हर कालोनी के अंदर पानी मिले। चाहे वो आदमी अनअथोराइज कालोनी में रहता है, चाहे वो जनता फ्लैट में रहता है, चाहे वो एमआईजी फ्लैट में रहता है, चाहे वो ग्रूप हाउसिंग सोसायटी में रहता है, सब को पानी पीने का हक है और पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन

होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। जो आज 850 एमजीडी पानी मिल रहा है अगर इसका इक्वल डिस्टुब्यूशन कर दिया जाये तो मैं यह समझता हूँ कि पानी की जो समस्या है उसका भी समाधान हो जायेगा। इसके लिए हमें जो पानी वेस्ट होता है उसके लिए रि-साइक्लिंग वाटर करना बहुत जरूरी है इसको हमें immediately करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको हमें बहुत लार्ज स्केल पर करना चाहिए। दूसरी चीज जो वाटर हार्वेस्टिंग है जितनी भी कंस्ट्रक्शन्स हो रही है, मैं कहता हूं कि इसको कम्पलसरी करना चाहिये कि वाटर हार्वेस्टिंग आपको कम्पलसरी है यह आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अगले दस-पंद्रह साल के बाद यह आप नोट कर लीजिये इस बात के लिये कि दिल्ली के अंदर क्या, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पानी की कमी होगी इसमें दो राय नहीं है और अगर कभी, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात के लिए अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वार हुई तो पानी के थर्ड वर्ल्ड वार होगी यह मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात के लिए। पानी की एक-एक बूँद की हमें जरूरत है। अगर पानी को हम बचाएंगे आज तो आने वाली जनरेशन के लिए यह अच्छा होगा। हमारे लवली जी अरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर बैठे हैं जो नक्शे पास से चार मंजिल बना रहे हैं वो तो चलो ठीक है. आपने नक्शा पास कर दिया। जो बगैर नक्शे के 40 गज के मकान पर, 50 गज के मकान पर, 60 गज के मकान पर चार-चार, पाँच-पाँच मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अनअथोराइज्ड बिल्डिंग बना रहे हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि बिजली, पानी आयेगा कहाँ से, सीवरेज की फैसिलिटी देंगे कहां से हम, आप मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाये जा रहे हैं। कारपोरेशन जिस प्रकार से कर रही है, अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है दबाकर। आपने देखा कल पाँच बच्चे मरे और जो अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार से हो रही है कोई बाउंडेशन प्रोपर नहीं कर रहे, कोई पिलर खड़ा नहीं कर रहे ये लोग और इसी प्रकार से बिल्डिंगें गिरती रहेंगी और जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आज दिल्ली में हो रही है

अनअथोराइत कंस्ट्रक्शन बिजली, पानी की दिक्कत दिन प्रतिदिन आनी है। और यह बढ़ती चली जायेगी। तीसरी चीज, एलपीजी सिलेंडर की बात रखी है। मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बात भी करेंगे कि जो पानी के ऊपर सर्विस टैक्स 6 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से लगाया गया, उसके बारे में सरकार विचार करे क्योंकि सीवर चार्जिज 50% था वो भी 60% हो गया है और जो 6 रुपये किलो लीटर के हिसाब से सर्विस चार्ज लगाया है उसके बारे में सरकार जरूर विचार करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बजट के अंदर दिल्ली के लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है।

तीसरा, एलपीजी सिलेंडर के बारे में कहना चाहता हूं। इस पर जो सब्सिडी खत्म हुई है, उससे पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को तकलीफ हुई है।

इसमें दो राय नहीं है और यह लोगों की नब्ज है। मैं यह समझता हूं कि या तो सब्सिडी होनी ही नहीं चाहिये थी और अगर इसको खत्म भी करना था तो इसको आहिस्ता, आहिस्ता खत्म करना चाहिये था। एकदम से सब्सिडी वाले सिलेंडर कम कर दिए और बाकी सिलेण्डर 8 सौ रुपये का, हजार रुपये का, 15-16 सौ रुपये का लोगों को ब्लैक में मिल रहा है। और ये कम्पनी वाले जितने हैं जो वितरण कर रहे हैं ये मनचाहे पैसे लोगों से ले रहे हैं। लोगों को तंग कर रहे हैं। किसी के 6 सिलेंडर इस साल गये भी नहीं हैं, कहते हैं कि तुम्हारे 6 सिलेण्डर चले गये, 7वें सिलेंडर के 8 सौ रुपये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष जी, इस बात को देखने की जरूरत है और केन्द्र सरकार इस बात के लिए कोशिश कर रही है, अभी इस बारे में जो संबंधित मंत्री हैं मोइली साहब, उन्होंने कहा था कि 9 सिलेंडर करने जा रहे हैं। बीजेपी वालों ने शोर मचाया और चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। 9 सिलेंडर कीन सा गुजरात में करने जा रहे थे। यह सुविधा तो बाकी जगह करने जा रहे थे। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद हो जायेंगे। लेकिन यह घोषणा बाद में जरूर होगी

और मैं समझता हूं कि सिलेंडरों के अंदर बढ़ोतरी भी होनी चाहिए और लोगों को जो सिलेंडर आज की तारीख में ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, उसके अंदर राहत मिलेगी और मैं समझता हूं कि अगर केन्द्र सरकार 9 सिलेंडर करती है, बहुत अच्छी बात है। तीन सिलेंडर हमारी मुख्य मंत्री जी, बीपीएल कार्डों वाले को देने की बात कर रही हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तीन सिलेंडर बढ़ाने ही हैं तो सबके लिए बढ़ाये जायें। 12 सिलेंडर तो कम से कम हों। अगर 9 सिलेंडर केन्द्र सरकार सब्सिडी के करती है।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, सम-अप कीजिए।

डॉ. नरेन्द्र नाथ : अध्यक्ष जी, दसवें सिलेंडर पर थोड़ा रेट बढ़ा दें। 11वें पर थोड़ा और बढ़ा दें। 12वें पर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दें। तािक लोगों को एकदम ज्यादा महसूस न हो। अगर यह सिंक्सिडी धीरे-धीरे खत्म होगी तो मैं यह समझता हूं िक इससे लोगों को राहत भी मिलेगी और जो सिलेंडर में ब्लैक मािकिंटिंग हो रही है जो सिलेंडर के फार्म भरवाये जा रहे हैं उससे यह जरूर होगा यह पता लग जायेगा िक कितने सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने एलपीजी के ले रखे हैं, िकतने लोगों ने ज्यादा ले रखे हैं। मैं केन्द्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं और अपनी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं िक जो आईजीएल की गैस लाईन है इसका जो प्रोसेस शुरू हो रहा है अगर यह लाईन सारी दिल्ली में प्रोपर तरीक से डाल दी जाये तो मैं समझता हूं िक एलपीजी सिलेंडर की कितनी भी कीमत बढ़े, दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिल सकती है। अध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी है। क्योंिक हमारी जो गृहिणयां हैं, उनको इस बात के लिए काफी तकलीफ होती है। उनका जब रसोई का बजट बढ़ जाता है तो काफी तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इन तीन विषयों के ऊपर जो बीजेपी के लोगों ने हंगामा किया और इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, मैं अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं िक

इन तीनों विषयों पर हमारी सरकार सोच रही है और दिल्ली के लोगों को इससे फायदा भी होगा और जो दो सौ यूनिट तक सब्सिडी बिजली के अंदर मिलती है इसके बारे में जो अगला बजट आयेगा, क्या डिसीजन सरकार लेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए इन तीनों विषयों पर एक पॉजीटिव रिजल्ट होगा और दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, ऊर्जा मंत्री बोलें, उससे पहले सुरेन्द्र जी एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, अभी डॉ. नरेन्द्र नाथ जी ने जो एनडीपीएल के बारे में बताया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने पिछली बार सदन में आपके सामने एक बात रखी थी कि हमारे जिन गांवों में चकबंदी हुई थी, वे लोग जो बिजली का कनेक्शन लेना चाह रहे थे, एनडीपीएल उनको कनेक्शन नहीं देना चाह रही थी। उन्होंने यह कहा कि हम कनेक्शन तब देंगे जब हमारे को रेवेन्यू महकमा इलेक्ट्रीफिकेशन का पैसा दे। हमारे को या तो सरकार दे या विधायक पैसा दे। तब हम इन किसानों को बिजली के कनेक्शन देंगे। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमारी बात सुनी लेकिन एनडीपीएल ने क्या किया। मगर एनडीपीएल ने क्या किया। उसने अपनी तरफ से कोई अनुमित नहीं ली। डीईआरसी से कोई अनुमित नहीं ली। मंत्री जी की नॉलेज में कुछ नहीं और 5 हजार किलोवॉट पर उन्होंने अध्यक्ष जी, क्या किया, 5 हजार किलोवॉट के हिसाब से किसानों से पैसे वसूलने शुरू कर दिये। बवाना, कंझावला और जसवंत राणा जी के यहा कई गांव हैं वहां पर भी किसानों से पैसे वसूलने शुरू कर दिये। मैं मंत्री जी, हारून युसूफ जी का धन्यवाद करने

के लिए खड़ा हूं। मैंने मंत्री जी को इस बात के बारे में बताया। इन्होंने एनडीपीएल के अधिकारियों को बुला कर कहा कि किस हैसियत से फैसला लिया है कि किसानों से पैसे वसूलोगे। इनके सारे पैसे वापिस करो और आइंदा ऐसा काम नहीं करोगे और इन्होंने काफी सख्ताई से कहा कि जबसे ये गांव दिल्ली में बसे हैं, आज तक किसी से लाल डोरे में पैसा नहीं वसूला गया। लेकिन आपने पहली दफा ये पैसे वसूले हैं, तमाम किसानों के पैसे वापिस करो। अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं शायद मंत्री जी की नॉलेज में यह बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने सख्ताई से यह बात कही कि इनके पैसे वापिस करो। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। केवल मेरा ही गांव नहीं है जिन गांवों में चकबंदी हुई थी उन्होंने सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिये।

अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर गांव में एक आदमी बिजली की चोरी करता है, आप अचम्भा मानोगे, मैं आज की बात बता रहा हूं। 5-5, 6-6 घंटे एनडीपीएल लाईट हमारे गांव के अंदर काट रहे हैं। मंत्री जी ने उनको सख्त आदेश दिये कि आज के समय तुम इनकी बिजली कैसे काट रहे हो। वे कहते हैं कि एक आध यहां पर चोरी करते हैं। अध्यक्ष जी, कोई चोरी करता है तो हम उसकी मदद नहीं करते। आप उसके घर पर छापा मारो। एक आदमी द्वारा चोरी करने पर सारे गांव की बिजली काट जी जाये, एक घंटे की बात हो, मगर 5-5, 6-6 घंटे बिजली काटी जाती है। जो लोग छापा मारते हैं, नरेन्द्र नाथ जी बता रहे थे, जो छापा मारते हैं, लाख रुपये बिजली का बिल बना कर दे दिया। फिर कहते हैं कि ऊपर से फोन करा दो, हम 50% या कुछ माफ कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आपने बहुत सुधार किया है। बिजली में इतना सुधार हुआ है कि हम स्वयं ही इस सदन में बोलते थे कि हमारी वायर टूट जाती थी, किसी पशु के ऊपर बिजली की वायर पड़ जाती थी, वो पशु मर जाता था।

सारी केबलें और ट्रांसफारमर लगाये हैं। सारी बिजली दी है, इतना अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये लोग जो ज्यादती करते हैं, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। आपके सामने दो-तीन बातें आई थीं। मंत्री जी ने तुरन्त बुला करके उनको आदेश दिये हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ऊर्जा मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज बिजली, पानी दो ऐसे विषय हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है। जो सच्चाईयां हैं, जो हकीकतें हैं बजाय इसके कि वो आम नागरिकों तक पहुंचें और नागरिकों को सही बात पता चले, आज तक इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है। आज डॉ. हर्षवर्धन जी अगर यहां होते और भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में हर बार सदन में और सदन के बाहर और एज्यूकेशन के माध्यम से और बिजली के तार लपेट कर बुग्गी पर या ट्रैक्टर पर बैठ कर इस तरह के डेमोंस्ट्रेशन करते हैं आज शायद मैं उनकी तमाम बातों का जबाव देता। यह हमेशा इनकी नीति रही है। जैसे मुकेश जी ने कहा कि हम 1993 में पहली बार चुनाव जीत कर आये थे उस समय हालत यह थी कि हम को घर जाने से पहले घर पर कम से कम 15 बार फोन करना पड़ता था कि कौन सा रास्ता खुला है और कौन से रास्ते से हम घर जा सकते हैं। और दिल्ली के लोगों को यह भी याद होगा कि दिल्ली की कोई ऐसी मार्केट नहीं थी जहां पर हर वक्त जैनरेटर सैट ना चलते हों और कैरोसीन तथा डीजल के धूएं का जो प्रदूषण था उसका सामना न करना पड़ता हो। बड़ी से बड़ी मार्केट और छोटी से छोटी मार्केट इस चीज से वंचित नहीं थी। दिल्ली के अन्दर इनवर्टर्स की सेल का हाल यह था कि जो इनवर्टर 15-20 हजार का था उसको दुकानदार

दो-चार हजार रु. बढ़ाकर बेचा करते थे। आज प्राइवेटाइजेशन के 10 वर्षों के बाद अगर पूरे देश में कहीं क्वालिटी पावन मिलती है तो वह दिल्ली राज्य में मिलती है। अगर आपको याद हो आज से 10 वर्ष पूर्व दिल्ली के अन्दर मात्र 2600 से 2800 मेगावाट बिजली की डिमाण्ड थी और वह आज बढ़कर तकरीबन 5500 मेगावाट है और नियंत्रित रूप से हम उसे पूरा करते हैं। निजीकरण की व्यवस्था पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, कोर्ट में केस किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी 23 नवम्बर को एक याचिका जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट जिसको वाच कर रहा था कि दिल्ली में क्या डवलपमेंट हो रहा है, 23 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटीशन को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में एक हजार गुना ज्यादातर बेहतर हुई है और मैं समझता हूं कि कोर्ट के बारे में आम लोग टिप्पणी न करें। इनको कोर्ट पर ज्यादा विश्वास मुझे दिखता नहीं है। इसी तरीके से जहां पर टैरिफाई की बात है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ नए नेता जो पार्टी बना कर निकले हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। वे भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते, वे देश के अन्दर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि लोग कानून अपने हाथ में लें और अपने तरीके से कानून चलाएं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक ऐसे ही नेता जो बहुत उत्साहित थे, बोले कि मैं मजदूर के घर जाकर उसका बिजली का कनेक्शन जोड़ आया हूं और मीडिया के माध्यम से चैनल्स पर और अखबारों में खूब छपा। लेकिन नतीता क्या हुआ, वह जो भानाराम मजदूर जिसका बिजली का कनेक्शन जोड़ कर आए थे, दो दिन वह स्वयं रोता हुआ गया, बिजली कम्पनी गया कि मुझको बहका दिया गया था और लोगों से भी कह रहे थे कि अब बिजली के बिल ना दो, मुफ्त में बिजली मिला करेगी। अगर इस तरह से भ्रमित करने वाला प्रचार और राजनैतिक सोच हो तो मैं नहीं समझता कि

वह देश की तरक्की के लिए और दिल्ली की तरक्की के लिए यह अच्छा होगा। आपको याद होगा जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दिल्ली में जब टैरिफ बढ़ाया गया पहली मरतबा, उस समय टैरिफ था 1.75 पैसे यूनिट 2000-2001 में। 2002-2003 में जब प्राइवेटाजेशन हुआ और रिफामर्स की शुरुआत हुई उस समय 200 यूनिट तक 2.35 पैसे बिजली की दर होती थी। 201 से 400 यूनिट तक 3.25 पैसे यूनिट होती थी। 2003-2004 में एक रु. एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया। उसके विपरीत 2004 और 2005 में जब बिजली की मांग 2670 से 3500 मेगावाट हो गई तो जो 200 यूनिट थे उसमें डीईआरसी ने 15 पैसे कम कर दिये क्योंकि डीईआरसी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस बात का निर्णय लेता है कि कितना खर्चा हुआ, खर्चा एकाउंट में लेने के बाद एआरआर दाखिल होती हैं उसकी पूरी तरीके से जांच होती है उसके बाद निर्णय लिया जाता है तो डीईआरसी ने निर्णय लिया कि 15 पैसे 200 यूनिट तक कम किए जाएं। इसी तरीके से 2006 से लेकर 2011 तक कोई एक पैसा भी टैरिफ का हाईप नहीं किया गया। ये कहते हैं इनका दावा है कि सरकार की मिलीभगत प्राइवेट कम्पनियों के साथ है और भ्रष्टाचार करके सरकार पैसा खा गई। मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं हो सकती कि जिस सरकार ने पूरी ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की दशा को जहन में रखते हुए कि किस तरीके से बिजली की वजह से दिल्ली के लोग परेशान थे, दिन-रात मेहनत करके हमारे अधिकारियों ने, चाहे वे जैनकों के हों, ट्रांस्कों के हों, डिस्टकॉम्स के हों उन्होंने दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की और जिस डीईआरसी आर्डर की बात करते हैं, वे जो पूर्व चेयरमैन डीईआरसी के थे उन्होंने कहा था कि 3700 करोड़ रु. का फायदा हुआ है तो टैरिफ 20 परसेंट नीचे आना चाहिए। आज मैं फ्लोर आफ द हाउस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि 3700 करोड़ का जो प्रोफिट था वह एक काल्पनिक था एक assumption थी, और जब वह assumption ली जा रही थी उसी समय डीईआरसी ने आर्डर किया था कि जो ग्रिड की

फ्रीक्वेंसी है वह 49.5 रहेगी और जो भी बिजली ग्रिड में आएगी वह ग्रिड से ही जाएगी और उसका यूआई रेट दिया जाएगा। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को और दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यूआई रेट जो हम बिजली 5 रु. 10 पैसे, 6 रु. या साढ़े 6 रु. में खरीदते हैं यूआई रेट कभी जाकर 50 पैसे हो जाता है कभी 1.50 पैसे हो जाता है कभी 2.00 रु. हो जाता है। ग्रिड का डिसिप्लीन मेनटेन करने के लिए वह बिजली हमें ग्रिड में छोड़नी पड़ती है। पीछे आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश, पंजाब ज्यादा बिजली ड्रा कर रहा था तो दिल्ली के अंदर बिजली का संकट हुआ, उस समय हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी केन्द्र सरकार के पास गई और वहां जाकर उन्होंने यह आग्रह किया कि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को बेहतरीन बिजली मिले, भारत सरकार ने दिल्ली सरकार की बात सुनते हुए unallocated कोटा दिल्ली को दिया। तो जो पूर्व चेयरमैन डीईआरसी की बार-बार बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि 20 परसेंट टैरिफ कम आएगा। इन्हीं के एक पूर्व विधायक श्री नन्दिकशोर गर्ग जी हाई कोर्ट गए थे कि जो आर्डर पूर्व चेयरमैन डीईआरसी ने दिया है उसको लागू किया जाए क्योंकि वह सही है। लेकिन आज ये भाग इसलिए गए क्योंकि सच्चाई ये भी जानते हैं। उस आर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर रिजैक्ट किया कि जो आर्डर एक्स चेयरमैन डीईआरसी का था वह आर्डर ही नहीं था और जो आंकड़े दिए गए थे वे सारे के सारे assumption करके एक काल्पनिक सोच के साथ दिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजली का सुधार हुआ है, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। आज दिल्ली के इण्डस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे-छोटे कारखाने या मध्यम वर्ग के कारखाने चलाते हैं. आज वे दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की मुख्यमंत्री को सलाम करते हैं कि अगर 24 घंटे बिजली मिलती है तो दिल्ली की फैक्ट्रीज को मिलती है। आज दिल्ली के अंदर बच्चों को मोमबत्ती से पढ़ना नहीं

पड़ता। आज जब इम्तहान होते हैं तो सरकार खास निर्देश डिस्टकॉम को देती है कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर इम्तहानों के दौरान आधे घंटे भी बिजली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बड़ा अजीब सा जो आंकड़ा है ये कहते हैं कि सरकार पैसा खाती है सरकार ने गड़बड़ी की। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो हर साल हम दो हजार से ढाई हजार करोड़ रु. के करीब खर्च करते जो बिजली टी एंड टी लॉशिज थे। आज दिल्ली के अंदर जो बिजली की चोरी है वह जिस हद तक कम हुई है वह तकरीबन 61 परसेंट से 17 परसेंट पर आ गई है। मैं कुछ राज्यों के आंकड़े आपको पढ़कर बताना चाहता हूं - पंजाब ने पिछले तीन वर्षों में 11,846 करोड़ रु. की सब्सिडी बिजली पर दी। उत्तर प्रदेश में 7 हजार 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। तमिलनाड़ जहां तकरीबन साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की subsidy दी गई और आज भी चाहे वो तमिलनाड़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, आज भी वहां 5 से लेकर 12 घंटे की कटौती होती है। यह दिल्ली सरकार की लोगों की देन है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो उसकी स्टडी है उसमें कहा गया है कि 2002 में दिल्ली में जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो पावर का था और 2004 में भी मुख्य मुद्दा पावर का रहा। 2006 में यह मुद्दा तीसरे नम्बर पर आ गया। पहले नम्बर पर मुद्दा हुआ एमसीडी, दूसरे नम्बर पर भ्रष्टाचार, तीसरे नम्बर पर पावर और चौथे नम्बर पर वाटर और ट्रांसपोर्ट। यह आज की डेट में घट कर 2010-2012 में दिल्ली में बिजली का मुद्दा ही नहीं है। यह बात सही है कि हमारे साथी और पूर्व मंत्री डॉ. नरेन्द्र नाथ जी ने जिस तरीके से जब निजीकरण हुआ था, अपना योगदान दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कुछ बातें जरूर कही। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर इस तरीके से डिस्काम के लोग जाकर लोगों को तंग करते हैं तो मैं अभी जैसा भाई सुरेन्द्र कुमार ने कहा जो चीज सरकार की नॉलिज में आती है वो चाहे डिस्काम हो, चाहे अपनी कम्पनियां जेनको, डीटीएल हों, बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और यह बात डिस्काम को खुले लफ्जों में कह रखी है कि किसी तरह की ज्यादती दिल्ली के लोगों के

साथ सरकार बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई इस तरह की शिकायतें होती हैं तो मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि यह हम सबका फर्ज बनता है, चुने हुए नुमाइंदे होने के नाते कि अगर ऐसी शिकायतें होती हैं तो डाइरेक्ट बिजली के अधिकारियों को डिस्काम के जो अधिकारी हैं उनको किहये। नहीं सुनते तो हम देखेंगे, मुख्यमंत्री और सरकार देखेगी कि किस तरीके से इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारी हमदर्दी दिल्ली के लोगों के साथ है। हमारी हमदर्री इस चीज में है कि दिल्ली के लोगों को अच्छी और क्वालिटी वाली पावर मिले और यह प्रयास सरकार का रहा है। आने वाली गर्मियों में बिजली की डिमांड जो अब 5500 मेगावाट है वह बढ कर अनुमान जो हम कर रहे हैं वो तकरीबन सवा छ: हजार मेगावाट का कर रहे हैं और हमने उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की है और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री शीला दीक्षित जी ने जिस तरीके से इस चीज का मुकाबला किया है और झूठ फैलाने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग, एक ऐसी पार्टी जिसका काम आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है ऐसी पार्टी का मुकाबला भी किया है और उसको मुंह तोड़ जबाव भी दिया है और पिछले 14 साल से इन बैंचों पर बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था कि आने वाले 15 साल तक यहीं बैठेंगे। यह आप और हम जरूर देखेंगे। दूसरा एलपीजी की जहां तक बात है। हमारी सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। जिस समय सबसे पहले गैस के सिलेंडर पर कीमतें बढीं थीं और केन्द्र सरकार बार-बार इस बात को कह रही थी कि जो subsidy है वो तकरीबन जिस कीमत पर हम सिलेंडर लेते हैं उतनी ही कीमत सरकार को अपनी ओर से देनी पड़ती है और उस समय क्योंकि हालात ऐसे हो गये थे कि अगर गैस कम्पनियों को अपनी जो परेशानियां थीं जो आर्थिक संकट थे, उसकी वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया था, दिल्ली सरकार पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी सरकार थी जिसने सबको 50 रुपये फी सिलेंडर subsidy दी थी और आज केरोसीन फ्री का नारा और सपना शीला दीक्षित जी ने देखा था कि गृहणी, हमारी माताएं जिस प्रदूषण के बीच में केरोसीन के चूल्हे जला कर उनकी सेहत खराब होती थी, आग लगती थी, दिल्ली के तमाम

बीपीएल झ्ग्गी झोपड़ी कार्ड, अन्त्योदया कार्ड इन सबको गैस के कनेक्शन देने का वायदा किया है और जो पहला सिलेंडर होगा, भरकर वो भी दिल्ली सरकार देगी, चूल्हा भी दिल्ली सरकार देगी। गैस का सिलेंडर भी दिल्ली सरकार देगी। रेगूलेटर भी देगी। अभी नरेन्द्र नाथ जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में सिलेंडर की संख्या बढाई जाये क्योंकि यह निर्णय भारत सरकार को लेना होता है। अपनी ओर से मुख्य मंत्री जी ने जिस दिन यह हुआ था यह ऐलान किया था कि दिल्ली के तमाम वो बीपीएल परिवार तमाम वो अन्त्योदया परिवार, तमाम वो झुग्गी राशन कार्ड वाले, जिनके पास गैस है, दिल्ली सरकार उनको 350 रुपये एक सिलेंडर के ऊपर subsidy देगी और हम अपने इस वायदे पर कायम हैं और ये भावनाएं जो दिल्ली के लोगों की हैं भारत सरकार हमेशा जानती हैं। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह जी इस बात को जानते हैं कि हम किस तरीके से आम आदमी की मदद कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस आज तक जो नीतियां लेकर आई है, वो आदिमयों के आधार पर, एक गरीब कॉमन आदमी, मजदूर तबके का आदमी, उसके लिए वो पॉलिसी बने, न कि पॉलिसियां धर्म और जाति के आधार पर बने। यही सबसे बडी चीज है जो हमारी सरकार ने इस हिन्दुस्तान को दी है। इसके अलावा पानी की बात, जैसा मुकेश शर्मा जी ने कहा तकरीबन 35 से ज्यादा यूजीआर दिल्ली में बन कर तैयार हुए, इस्तेमाल हो रहे हैं। बवाना में ओखला में जो नये प्लांट बनाये गये हैं, जिनका पानी मुनक केनाल से आना है और 80 प्रतिशत काम मुकम्मल हो चुका है वो काम भी अभी वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उसमें चर्चा में है और जल्दी उसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। जैसा डाक्टर नरेन्द्र नाथ ने कहा कि 410 एमजीडी पानी केवल दिल्ली के पास है। यह दिल्ली सरकार की लगातार कोशिशों का नतीजा था कि आज दिल्ली को 810 मेगावाट पानी दिल्ली में मिलता है। आज भागीरथी प्लांट, सोनिया विहार प्लांट जिस तरीके से शीला दीक्षित जी की मेहनत का और हम सब की सपोर्ट का नतीजा है, दिल्ली के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या पानी की जरूर है unequal डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको

लेकर अभी नांगलाई का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें मैनेजमेंट के लिए हमने एक एजेंसी को नियुक्त किया है और ये भ्रम फैलाते हैं कि हमारी सरकार जल बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। बार-बार तमाम लोगों ने कांग्रेस के और हमारी सरकार की मुखिया शीला दीक्षित जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण नहीं होने देंगे लेकिन बार-बार ये दिल्ली के लोगों में यह भ्रम फैलाते रहे हैं कि दिल्ली के अंदर निजीकरण हो गया। ये कदम इसलिए उठाये जा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को अच्छा. स्वच्छ पानी सप्लाई किया जा सके। आज जिस तेजी से दिल्ली की आबादी बढी है, आज हर साल दिल्ली के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और रुक जाते हैं और दिल्ली की सरकार अपना फर्ज समझती है कि दिल्ली के हर नागरिक को स्वच्छ पानी मिल. स्वच्छ बिजली मिले. अच्छा रहने का. उसके तरीके हों जैसे अभी अनॉथराइज्ड कालोनीज हमारी सरकार ने नियमित की हैं। यह सब उस सोच का नतीजा है जो एक आदमी को और गरीब आदमी को हमेशा जहन में रख कर नीतियां बनाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतना जरूर कहुंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इनमें हिम्मत है मोरल क्रेज है तो फिर डिबेट करें। आज भी इन्होंने सवाल लगाये थे बिजली के ऊपर और जानबूझ कर हंगामा करते रहें क्योंकि ये जानते थे कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। वो दिल्ली के लोगों को न पता चले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: सदन की कार्यवाही 14 दिसम्बर, 2012 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थिगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 14 दिसम्बर, 2012 को अपराहन 2 बजे तक स्थगित की गयी।)

59

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

41. श्री साहब सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) प्रत्येक निजी बिजली वितरण कम्पनी ने शुरू से आज तक सरकार की हिस्सेदारी का प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी राशि सरकार को दी है.
- (ख) उक्त कम्पनियों में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है तथा किस-किस क्षेत्र में किस सीमा तक है.
- (ग) क्या यह सत्य है कि निजी कम्पनियाँ विशेषकर बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड तथा बीएसईएस राजधानी मिसयूज के नाम पर उपभोक्ताओं को लूट रही है, मिसयूज का आधार व तरीका क्या है, और
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि तथाकथित अन्यूज्ड मीटर के नाम पर पिछले मालिक/उपभोक्ता के बिल का भुगतान वर्तमान मालिक/उपभोक्ता से लिया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री

(क) प्रत्येक बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने कोई लाभांश नहीं दिया है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने केवल निम्नलिखित वर्षों में लाभांश दिया है:-

वर्ष	लाभांश
2005-06	1803.20 লাভ
2006-07	2885.12 লাख
2007-08	3245.76 लाख
2008-09	3786.72 লাख

- (ख) बिजली वितरण की निजी कम्पनियों (डिस्कॉम) में सरकार का शेयर 49 प्रतिशत है। हालांकि जमीन का मालिकाना हक शत-प्रतिशत सरकार का है।
- (ग) जी नहीं। बिजली के अनाधिकृत इस्तेमाल (मिस्यूज) के लिए उपभोक्ताओं से बिजली के बिल, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम 2007 के नियम 57 के आधार पर लिये जाते हैं।
- (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम 2007 के अनुसार पुराने उपभोक्ताओं का बकाया, नये उपभोक्ता से लिया जाता है।

42. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में बसों की अत्यधिक कमी है;

- (ख) सरकार से पर्याप्त संख्या में बस मुहैया करवाने की मांग के बारे में कई पत्र लिखने के बावजूद इस समस्या का समाधान न करने के क्या कारण है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर क्षेत्र की घनी आबादी के अनुपात में पर्याप्त बस सुविधा न होने से प्राईवेट वाहनों/बस ऑपरेटरों को बढा़वा मिलता है; और
- (घ) कब तक उक्त क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दिल्ली परिवहन निगम की बसें उपलब्ध करवा दी जाएंगी?

परिवहन मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त बसें उपलब्ध है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) उक्त क्षेत्र में रूटों को युक्तिसंगत (Rationalization) की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात्, यदि आवश्यकता हुई, तो बसें उपलब्ध करा दी जाएगी।

43. श्री एस.सी.एल. गुप्ता : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों, क्लर्कों व अन्य स्टाफ की कितनी कमी है?
- (ख) इन रिक्त पदों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

62

(ग) कितने समय से ये पद रिक्त हैं?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) सम्प्रति रिक्त पदों की स्थिति निम्न है :-

 क्रम सं.	पदों का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
1.	डाक्टर	417
2.	नर्सिंग स्टॉफ	861
3.	पैरामेडिकल स्टॉफ	500
4.	लिपिकीय एवं प्रशासनिक	553

250 चिकित्सकों का चयन कर लिया गया है तथा नियुक्ति-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(ख) व (ग) पदों का सृजन, पूर्ति एवं रिक्ति एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों की संख्या, स्थानान्तरण, सेवा-निवृत्ति, त्यागपत्र आदि कारणों से बदलती रहती है। सरकार का यथा संभव प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानापन्न हों, तथापि विशेष कारणों से पद रिक्त रह जाते है। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल/नर्सिंग कर्मचारियों की समय-समय पर तदर्थ नियुक्ति भी करती रहती है।

44. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि तिकोना पार्क, सनातन धर्म मंदिर के नजदीक, तिलक नगर

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

स्थित ट्रांसफार्मर, जो तिलक नगर से न्यू मार्किट तिलक नगर के बीच जाने वाले यातायात के लिए एक बहुत बड़ा व्यावधान है, इसको हटाने के लिए प्राक्कलन तैयार किए गए हैं,

63

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि एसडीएम (सात मंजिला मंदिर) के सामने पार्क को हमेशा से विकल्प के तौर पर सुझाया गया है, यदि हाँ, तो प्राक्कलन को तैयार एवं लागू करने में देरी के क्या कारण हैं, और उपर्युक्त योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा,
- (ग) क्या यह सत्य है कि पीला साफा गुरुद्वारा, एच ब्लॉक, विकास पुरी, ब्लॉक आर. जैड.सी., आर.जैड. 5डी, जैड विष्णु गार्डन, रिव नगर एक्स., एवं न्यू कृष्णा पार्क के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाईन को स्थानान्तरित करने का मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को भेजा गया है, और
- (घ) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

ऊर्जा मंत्री

वितरण कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

- (क) जी नहीं। तिलक नगर तिकोना पार्क में एक कियोस्क सब-स्टेशन के साथ 360 केवीए के दो ट्रांसफार्मर स्थित हैं जिसके कारण यातायात बाधित नहीं होता है।
- (ख) वितरण कम्पनी को इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने तथा स्थानान्तरण हेतु उचित भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है।

(ग) एवं (घ) जी हाँ। भूमि श्रेणी जानने हेतु यह मामला शहरी विकास विभाग को भेजा गया था। हालांकि ये लाईन भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की सम्पत्ति है जोकि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

45. श्री सुभाष सचदेवा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि-

- (क) क्या सरकार ने होटलों, पब्स, बैंक्वेट हाल में सुरक्षा कर्मियों को रखने संबंधी कोई नीति बनाई है,
- (ख) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त सिक्योरिटी गार्ड्स/बाउंसर्स रखने की इजाजत सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जा रही है. और.
- (ग) यदि हां, तो भिवष्य में इसकी क्या योजना है?

मुख्यमंत्री

(क) सरकार द्वारा होटलों/पबों/बैंक्वेट हाल में सुरक्षा किमयों की तैनाती के बारे में कोई विशिष्ट नीति नहीं बनाई गई है। तब भी यह बताना उचित होगा कि भारत सरकार ने निजी सुरक्षा एजेन्सियों, जो निजी सुरक्षा सेवायें उपल्बध कराते हैं, उन्हें विनियमित करने हेतु निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 बनाया हुआ है। केन्द्रीय अधिनियम को प्रभाव देने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम 2009 को संख्या 5/72/2005/एच.पी. 1/स्थापना/2901-2908 दिनांक 08.10.2009 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- 65
- (ख) विभाग द्वारा प्राईवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के तहत प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का प्रिशिक्षण, उनके निरीक्षण व प्राइवेट गार्ड्स की किसी भी औद्योगिक व बिजनेस संस्थान या एक कम्पनी या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 व दिल्ली प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम 2009 के तहत लाईसेंस जारी किया जाता है।
- (ग) उपरोक्त 'क' व 'ख' के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

46. श्री रमेश विधूड़ी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बिजली वितरण का निजीकरण किया गया है, यदि हाँ, तो बिजली का निजीकरण किस आधार पर किया गया है एवं किन कम्पनियों को हुआ है,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि निजीकरण के लिए सरकार एवं कम्पनियों के बीच समझौता हुआ है, यदि हाँ, तो इसकी क्या शर्ते हैं,
- (ग) क्या सरकार की बिजली कम्पिनयों के साथ कोई भागीदारी है, यिद हाँ, तो सरकार और कम्पिनयों के बीच भागीदारी का क्या अनुपात है,
- (घ) दिल्ली में बिजली के निजीकरण के समय कितने प्रतिशत चोरी होती थी, सरकार को अनुमानित एक प्रतिशत चोरी पर कितना नुकसान होता है, और
- (ङ) क्या यह भी सत्य है कि बिजली चोरी में काफी कमी हुई है, यदि हाँ, तो वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और इस वर्ष अब तक चोरी पर कितनी रोक लगी है, इसका विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री

दिल्ली पावर कम्पनी लि. तथा वितरण कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

66

- (क) जी हाँ। बिजली के वितरण का निजीकरण दिनांक 01.07.2002 को, ए.टी. एण्ड सी (AT&C) घाटों को कम करने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने एवं दिल्ली की विद्युत व्यवस्था को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा दिल्ली के वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने हेतु निम्न कम्पनियों को दिया गया है।
 - 1. बीएसईएस राजधानी पावर कम्पनी लिमिटेड
 - 2. बीएसईएस यमुना पावर कम्पनी लिमिटेड
 - 3. एनडीपीएल (अब टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड)
- (ख) जी हाँ। दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी) द्वारा निजी वितरण कम्पनियों के साथ विभिन्न समझौते किए गए जैसे कि दिल्ली में वितरण कम्पनियों का निजीकरण शेयर एक्विजीशन एग्रीमेंट (Share Acquisition Agreement), बल्क सप्लाई एग्रीमेंट (Bulk Supply Agreement), शेयर्ड फेसिलीटी एग्रीमेंट (Shared Facilities Agreement), स्थानान्तरण योजना (Transfer Scheme), पॉलिसी डायरेक्शन एवं ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट (Policy Direction & Tripartite Agreement), रिफार्म एक्ट (Reform Act) के अन्तगर्त दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। मुख्यत: वितरण कम्पनियों की इक्विटी पूर्व निर्धीरत ए.टी.एण्ड सी. घाटों को कम करने की शर्तों पर किया गया था।

- (ग) जी हाँ। जैनको तथा ट्रांस्को में सरकार की भागीदारी शतप्रतिशत तथा तीनों डिस्कॉम में 49 प्रतिशत है।
- (घ) निजीकरण के समय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रारम्भिक ए.टी. एण्ड सी. (AT&C),) घाटे का स्तर तथा एक प्रतिशत घाटा कम होने पर अनुमानित आर्थिक लाभ का ब्यौरा निम्न आंका गया है :-

f	नेजीकरण के समय ए टी एण्ड सी की स्थिति	01% घाटा कम होने पर अनुमानित आर्थिक लाभ
बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लि.	48.1%	29 करोड़
बी.एस.ई.एस यमुना पावर लि.	57.2%	18 करोड़
टीपीडीडीएल	48.1%	16 करोड़

(ङ) जी हाँ। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त ए.टी. एण्ड सी. घाटों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

आंकड़े प्रतिशत में

	बीएसईएस राजधानी	बीएसईएस यमुना	एनडीपीएल
आरम्भिक स्तर वर्ष	48.10	57.20	48.10
2009-10	20.53	24.32	15.16
2010-11	18.82	21.95	13.10*
2011-12	17.81*	17.84*	11.00*

^{*} इन आंकड़ों का आयोग द्वारा अनुमोदन लम्बित है।

47. श्री जसवंत सिंह राणा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

68

- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में अभी तक मेट्रो रेल चलाने की योजना नहीं बनाई गई है;
- (ख) क्या नरेला क्षेत्र में मेट्रो रेल चलाने की कोई योजना विचाराधीन है; और
- (ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

परिवहन मंत्री

- (क) व (ख) दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार के मंत्री समूह ने मेट्रो
 फेज-IV की योजना के अंतर्गत प्रस्तावित रिठाला-बवाना मेट्रो लाईन को नरेला से
 जोड़ने का सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी है।
- (ग) विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने पर सरकार इस क्षेत्र में मेट्रो रेल चलाने की योजना को फेज-IV में क्रियान्वित करने पर विचार करेगी।

48. श्री एस.पी. रातावाल, श्री रिवन्द्र नाथ बंसल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ऑटो रिक्शा के 45 हजार नए परिमट जारी करने के आदेश दिए गए थे;

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन में 9 से 10 महीने का समय लगा;
- (ग) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण रहे;
- (घ) केवल 10 हजार ऑटो को परिमट देने के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या यह भी सत्य है कि इससे ऑटो रिक्शा की कमी बनी रही तथा ऑटो ब्लैक मार्किट में बेचने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई; और
- (च) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री

- (क) माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11.11.2011 को ऑटो रिक्शा परिमटों की संख्या की सीमा 55000 से एक लाख थी। इसके अनुसार दिल्ली में ऑटो रिक्शा के 45000 नये परिमट जारी किए जा सकते हैं।
- (ख) व (ग) उक्त आदेश में सीमित परिमट जारी करने की प्रक्रिया को क्रियान्वयन करते समय जनता को सुरक्षित एवं सुलभ यात्रा तथा दिल्ली में रहने वाले बेरोजगार (जिनके पास टी.एस.आर. लाइसेंस व बैज हो) को रोजगार प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08.08.2012 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना द्वारा नये परिमट दिये जा रहे हैं।
- (घ) पहले चरण में 45000 में से 10000 नये परिमट जारी करने का नोटिस इस बात को ध्यान में रख कर दिया कि एक साथ 45000, ऑटो रिक्शा उपलब्ध होना

संभव नहीं है तथा आरक्षण नीति के अनुसार संख्या निर्धारण में कठिनाई नहीं हो तथा एक साथ इतने परिमट जारी करना संभव नहीं है। दूसरे चरण में नये परिमटों की संख्या को 35000 तक बढा दिया गया है।

70

(ङ) व (च) जी नहीं।

49. श्री अरविन्दर सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि देवली विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या देवली विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई अस्पताल बनाने की योजना है;
- (ग) यदि हाँ, तो जनसंख्या के दृष्टिगत यहाँ कितने बिस्तरों का अस्पताल खोलने की योजना है, यदि हाँ तो क्या इसके लिये सरकार द्वारा जमीन को अधिग्रहित कर लिया है, और
- (घ) क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कब तक यहाँ अस्पताल खोल देगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ, यह सत्य है।
- (ख), (ग) एवं (घ) देवली विधान सभा क्षेत्र के संगम विहार पहाड़ी क्षेत्र में एक 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की योजना विचाराधीन थी, परन्तु उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण यह योजना अब तक क्रियान्वित नहीं हो सकी।

50. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार बेरोजगारी दूर करने की कुछ योजनाएं बना रही है, यदि हाँ, तो इनका विवरण क्या है, और
- (ख) गत वर्ष 2010 से अब तक कुल कितने बेरोजगारों को किस-किस विभाग में, कब-कब रोजगार दिलाया गया?

ऊर्जा मंत्री

(क) दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार (ऋण एवं प्रशिक्षण) हेतु कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।

रोजगार निदेशालय विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा प्रेषित की गई नियुक्ति तथा उनके मापदण्डों के अनुरूप पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम भेजने तथा रोजगार दिलाने में सहायता करता है।

(ख) रोजगार निदेशालय ने वर्ष 2010 से नवंबर 2012 तक 10,132 बेरोजगारों को रोजगार दिलाया गया जिसका विवरण वर्ष अनुसार निम्नलिखित है:-

2010-8651

2011-0175

(नवंबर 2012 तक)-1306

कुल-10,132

वर्ष अनुसार एवं विभागानुसार सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

51. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 24.09.2012 को परिवहन विभाग की बैठक के दौरान यह तय हो गया था कि तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में बस रूट नं. 152, 755, 912, 192, 185, 423, 621, 26 व 110 के समय, नए रूट चलाने, स्थान, फेरों, रूटों इत्यादि में फेर बदल एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है,
- (ख) यहा हां, तो इसके क्या कारण है; और
- (ग) इन उपरोक्त रूटों में कब तक परिवर्तन हो जाएगा?

परिवहन मंत्री

(क), (ख) एवं (ग) दिनांक 24.09.2012 को माननीय परिवहन मंत्री जी के कक्ष में माननीय विधायक जी के साथ बैठक हुई थी। उसमें नया रूट-755 चलाने तथा रूट नं.-185, 26, 26ए पर बस सर्विस में शीघ्रातिशीघ्र कुछ बढ़ोत्तरी करने का निर्णय हुआ था। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा रूट सं.-185, 26 तथा 26ए की बसों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है तथा रूट सं.-755 का परिचालन दिनांक 14.12.2012 से शुरू कर दिया जाएगा।

52. श्री चौधरी मतीन अहमद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि कान्ट्रैक्ट पर नर्सिंग अर्दली, सुरक्षा गार्ड व अन्य पदों पर रखे जाने वाले लोगों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलता है।

- (ख) यदि हाँ, तो यह राशि कितनी है, और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री

- (क) जी हाँ, इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिये ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।
- (ख) 01.10.2012 से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किये गये हैं:-

वर्ग ⁄ श्रेणी	प्रति दिन रुपये	प्रति माह रुपये
- अकुशल	279	7254
अर्द्ध कुशल	308	8008
कुशल	339	8814
नॉन मैट्रीकुलेशन	308	8008
मैट्रीकुलेशन, किन्तु स्नातक नहीं	339	8814
स्नातक व इसके ऊपर	369	9594

(ग) लागू नहीं है।

53. श्री अनिल झा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्वचालित स्वास्थ्य गाड़ियों एवं उनके स्थान पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विवरण क्या है,

- (ख) एम्बुलैंस किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ खड़े होते हैं, उनका गंतव्य क्या है, संबंधित प्रभारी का विवरण क्या है?
- (ग) दिल्ली सरकार द्वारा कुल कितनी चलती-फिरती डिस्पैंसरियाँ और एम्बुलैंस चलाई जा रही है, विधान सभा क्षेत्र अनुसार ब्यौरा क्या है, और
- (घ) दिल्ली सरकार द्वारा कितने अस्पतालों के लिये एम्बुलैंस कौन-कौन से नियमानुसार खरीदी गई, इसका विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में निम्न स्थानों पर स्वचालित स्वास्थ्य गाड़ियों से चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं:—

क्रम सं.	स्थान का नाम	दिवस
1.	इन्द्रा एन्कलेव	सोमवार, गुरुवार
2.	करण विहार, फेज-5	सोमवार, गुरुवार
3.	निशांत पब्लिक स्कूल, प्रेम नगर	मंगलवार, शुक्रवार
4.	टी.आर.सी. पब्लिक स्कूल, प्रेम नगर	मंगलवार, शुक्रवार
5.	प्रेम नगर	बुधवार, शनिवार
6.	अगर नगर	बुधवार, शनिवार

(ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में एम्बुलैंस नं. 9 डीएल 1ए-2423 प्रेम नगर में खड़ी होती है। संबंधित प्रभारी का विवरण निम्न है :-

- 1. श्री हबीब रजा, ZAO (W) मोबायल नं. 9717682333
- (ग) दिल्ली सरकार द्वारा 90 चलती-फिरती डिस्पैंसरियाँ तथा 101 एम्बुलैंस सेवाओं का संचालन किया जाता है। विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (घ) दिल्ली सरकार के जिन अस्पतालों में एम्बुलैंस की आवश्यकता होती है, वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात् तथा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए एम्बुलैंस खरीदी जाती है।

55. श्री नसीब सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) शाहदरा साउथ जोन में कितने यूनीक पोल कहाँ-कहाँ हैं तथा किस-किस कम्पनी को आबंटित हैं. और
- (ख) इनमें से कितने किराए पर आबंटित हैं, इनका पूर्ण विवरण क्या है?

शहरी विकास मंत्री

- (क) विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) उपरोक्तानुसार

56. श्री कुलवंत राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि जनसंख्या के अनुपात में दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, (ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण से रोहिणी आवासीय योजना के सैक्टर 23 व 24 में स्थित भू-खण्डों को प्राप्त करने की योजना बना रहा है, और

76

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से यह भू-खण्ड प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, इन भू-खण्डों को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा, इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) वर्तमान परिस्थितियों में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

57. श्री भरत सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिपो घूमनहेड़ा एवं दिचांऊ कलां क्षेत्र में सिर्फ पुरानी बसें भेजी जाती है;
- (ख) इस क्षेत्र में लो-फ्लोर/सेमी लो-फ्लोर बसों की कम संख्या होने के क्या कारण हैं:
- (ग) क्या सरकार इन बसों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी; और
- (घ) दिचांक कलां डिपो को सी.एन.जी. डिपो कब तक बना दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री

- दिनांक 5-12-2012 को दिल्ली परिवहन निगम के घुम्मनहेडा़ डिपो में 112 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें हैं तथा दिचांऊकलां डिपो में 111 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें हैं।
- (ख) इस क्षेत्र में पर्याप्त 75 लो-फ्लोर बसें चल रहीं हैं।
- (ग) उक्त क्षेत्र में रूटों को युक्तिसंगत (rationalization) की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् यदि आवश्यकता हुई, तो और बसें उपलब्ध करायी जाएगी।
- (घ) इन्द्रप्रस्थ गैस लि. ने सूचित किया है कि दिचांऊकलां डिपो में 15.12.2012 तक सी.एन.जी. फिलिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

58. श्री विपिन शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) शाहदरा स्थित वार्ड सं. 245, 246, 247 तथा 248 में दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली सरकार द्वारा कुल कितनी डिस्पैंसरियां कार्यरत हैं,
- प्रत्येक डिस्पेंसरी में कुल कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त हैं, कितने डॉक्टर/वैद्य/हकीम कार्यरत हैं.
- (ग) क्या इन डिस्पेंसरियों में मरीजों की आवश्यकतानुसार दवाइयां उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो प्रत्येक डिस्पेंसरी में औसतन प्रतिदिन कितने मरीजों को दवाइयां बांटी जाती है, और
- क्या दिल्ली सरकार की नई डिस्पेंसरी खोलने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के उक्त वार्डों में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की निम्नवत डिस्पैंसरियाँ कार्यरत हैं :-

वार्ड सं. एवं क्षेत्र	एलोपैथी	होमियोपैथी	यूनानी
245 दुर्गापुरी	01	_	_
246	-	_	_
247 अशोक नगर	01	_	_
248 सीलमपुर	01	01	01

दिल्ली नगर निगम की उपरोक्त वार्डों में कोई डिस्पैंसरी कार्यरत नहीं है।

(ख) उपरोक्त डिस्पैंसरियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से है :-

पद का नाम	एलोपैथी	होमियोपैथी	यूनानी
चिकि. अधि.	02	01	01
फार्मासिस्ट	02	0	_
ए.एन.एम.	01	_	_
लैब. सहायक	01	_	_
ड्रैसर	01	_	_
नर्सिंग अर्दली	02	01	01
एस.सी.सी.	03	_	_

79

(ग) जी हाँ। प्रत्येक डिस्पैंसरी में प्रतिदिन औसतन निम्न संख्या के मरीजों को दवाइयां वितरित की जाती हैं:-

क्षेत्र का नाम	मरीजों की औसत संख्या		
	एलोपैथी	होमियोपैथी	यूनानी
दुर्गापुरी	159	_	_
अशोक नगर	213	_	_
सीलमपुर	218	85	80

(घ) जी हाँ। वर्तमान समय में उत्तर पूर्वी जिले में शिव विहार तिराहा एवं ए-ब्लॉक शास्त्री पार्क नजदीक बुलंद मस्जिद में डिस्पैंसरी बनाने की योजना है।

59. श्री डॉ हर्ष वर्धन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या मुख्यमंत्री ने दिल्ली में निजी बिजली वितरण कम्पनियों के खातो की जांच सी.ए.जी से करवाने का आश्वासन दिया था,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या वह जांच करवा ली गई है, उसका पूर्ण विवरण क्या है, और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ऊर्जामंत्री

(क,ख, ग) जी हां। निजी कम्पनियों के खातो की जांच सी.ए.जी से करवाने का मामला

80

दिल्ली उच्च न्यायालय में (सी.डब्ल्यू.पी नम्बर 895/2011) लम्बित है। हालांकि ऊर्जा विभाग द्वारा दायर किये गये हल्फ नामे में यह कहा गया है कि इन कम्पनियों का ऑडिट सी.ए.जी. द्वारा होना चाहिए।

60. श्री जय किशन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुर माजरा स्थित सुल्तान पुरी बस टर्मिनल एवं शैल्टरों की हालत बहुत खराब है;
- (ख) यदि हां, तो इस टर्मिनल का सुधार कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि गत मानसून सत्र में इस कार्य को शीघ्र डी.एस.आई.आई. डी.सी. द्वारा शुरू करने का आश्वासन दिया गया था?

परिवहन मंत्री

- (क व ख) इस बस टर्मिनल पर सुधार का कार्य डी.एस.आई.डी.सी. को दिया जा चुका है और यह शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।
- (ख) जी हां।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

- 61. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-
- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग ने त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू अशोक

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 81

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

नगर, चिल्ला गांव, ब्लॉक 23 में एक-एक डिस्पेंसरी बनाने की सहमित प्रदान की है, जिसका मेरे साथ आपके विभाग और Land Owning Agency के साथ दौरा कर आपको अवगत भी करवाया गया था,

- (ख) यदि हां, तो ये तीनों डिसपेंसरी कब तक बन जांएगी?
- (ग) Land Owning Agency से इस संबंध में हुए अभी तक के पत्राचार की प्रति उपलब्ध करवाएं,
- (घ) इस योजना में चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई है, और
- (ड) भविष्य में इन योजनाओं के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) अभी तक भूमि का आंबटन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: वर्तमान स्थिति में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।
- (ग) इस संबंध में पत्राचार की प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ व ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Dated: 22.2.2012

Govt. of N.C.T. of Delhi. DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES SWASTHAYA SEWA NIDESHALAYA BHAWAN, F-17, KARKARDOOMA, SHAHADARA, DELHI-110032.

E-mail: cmoplgdhs.delhi@nic.in, Ph: 22301248

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10273

To,

The Director (IL), Institutional Branch, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110002.

- Sub:- (i) Allotment of plot behind Janta Flats, Chilla measuring 800 sqm. (appox) for construction of Delhi Govt. Dispensary Building.
 - (ii) Allotment of plot opposite C-2/41 & C-2/51 New Ashok Nagar measuring 1000 sqm. for construction of Delhi Govt. Dispensary Building.

Sir,

Apropos as decided in the meeting held with Hon'ble Health Minister, GNCTD a joint inspection was carried out on 11.08.11 led by Hon'ble MLA, Sh. Sunil Kumar Vaid to identify the land in Assembly constituency of Trilokpuri. 02 plots were identified and found suitable for construction of Delhi Govt. Dispensary. Moreover, Delhi Govt. has accorded in principle approval establishment of these units on the above said plos to fulfill the needs of free medical health facilities to the residents of Trilokpuri and nearby areas.

In this regard, you are requested to kindly allot the above said 02 plots to Director Health Service GNCTD for the requisite purposes at the earliest in the public interest.

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

The matter may kindly by taken on TOP PRIORITY

Yours faithfully

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar)

Chief Medical Officer (Plg.)

Dated: 22.2.2012

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10274-10278

Dated: 22.2.2012

Copy to:-

- 1. Sh. Sunil Kumar Vaid, Hon'ble MLA, 21/73-73, Trilokpuri, Delhi-110091 for kind information.
- 2. Director (Plg.), TYA, DDA, Vikas Sadan, New Delhi with reference to letter dated 31.03.11 as mentioned above-to expedite the matter.
- 3. The Deputy Director (IL), (Institutional Branch) Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi- to expedite the matter.
- 4. CDMO (East), A-Block, Dispensary Complex, Surajmal Vihar, Delhi, for follow up action.
- 5. PS to Pr. Secy (H& FW), Health & Family Welfare Deptt., GNCTD, 9th level, A-Wing, Delhi Sectt., New Delhi-110002 for information.

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

Dated: 22.2.2012

Govt. of N.C.T. of Delhi. DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES SWASTHAYA SEWA NIDESHALAYA BHAWAN, F-17, KARKARDOOMA, SHAHADARA, DELHI-110032.

E-mail: cmoplgdhs.delhi@nic.in, Ph: 22301248

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10285

To,

The Director (IA), Delhi Urban Shelter Improvement Board. (Institutional Allotment Branch-JJ) R.No. C-5, Vikas Kuteer, ITO New Delhi-110002.

- Sub:- (i) Allotment of plot adjacent to PS Mayur Vihar, Ph-1 measuring 2000 sqm (approx) for establishing a Mother & Child Hospital
 - (ii) Allotment of plot in front of Block-23, Trilokpuri measuring 1000 sqm (approx) for construction of Delhi Govt. Dispensary Building
 - (iii) Allotment of plot in front of Block-19, Trilokpuri measuring 2 acre (approx) for construction of at least 100 bedded general hospital.

Sir.

Apropos as decided in the meeting held with Hon'ble Health Minister, GNCTD a joint inspection was carried out on 11.08.11 led by Hon'ble MLA, Sh. Sunil Kumar Vaid to identify the land in Assembly constituency of Trilokpuri. 02 plos were identified and found suitable for construction of Delhi Govt. Dispensary. Moreover, Delhi Govt. has accorded in principle

approval establishment of these units on the above said plos to fulfill the needs of free medical health facilities to the residents of Trilokpuri and nearby areas.

85

In this regard, you are requested to kindly allot the above said 02 plots to Director Health Service GNCTD for the requisite purposes at the earliest in the public interest.

The matter may kindly by taken on **TOP PRIORITY**

Yours faithfully Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

Dated: 22.2.2012

Dated: 22.2.2012

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10286-10289

Copy to:-

- 1. Sh. Sunil Kumar Vaid, Hon'ble MLA, 21/73-73, Trilokpuri, Delhi-110091 for kind information
- 2. The Deputy Director (IL), Delhi Urban Shelter Improvement Board, (Institutional Allotment Branch JJ) R. No. C-5, Vikas Kuteer, ITO, New Delhi, ITO, New Delhi-110002 to expedite the matter.
- 3. CDMO (East), A-Block, Dispensary Complex, Surajmal Vihar, Delhi- for follow up action.
- 4. PS to Pr. Secy (H& FW), Health & Family Welfare Deptt., GNCTD, 9th level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi-110002 for information.

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

62. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग ने त्रिलोकपुरी में ब्लॉक एक्स्ट्रा 30 के साथ वाली जमीन पर 150 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण की सहमित प्रदान की है। इस संबंध में आपके विभाग के अधिकारी Land Owning Agency व मेरे साथ दौरा भी कर चुके हैं व आपके साथ भी इस संबंध में कई बार मीटिंग हो चुकी है.
- (ख) यदि हां, तो यह अस्पताल कब तक बन जाएगा,
- (ग) Land Owning Agency से इस संबंध में हुए अभी तक के पत्राचार की प्रति उपलब्ध करवाएं
- (घ) इस योजना में चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई है, और
- (ड) भविष्य में इन योजनाओं के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) ब्लॉक 19 के सामने वाली जमीन पर एक 100 बिस्तरों का अस्पताल प्रस्तावित है।
- (ख) अभी तक उक्त भूमि का आंबटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वर्तमान स्थिति में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।
- (ग) पत्राचार की प्रतिलिपि संलग्न है।

(घवड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Dated: 22.2.2012

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI. DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES SWASTHAYA SEWA NIDESHALAYA BHAWAN, F-17, KARKARDOOMA, SHAHADARA, DELHI-110032.

87

E-mail: cmoplgdhs.delhi@nic.in, Ph: 22301248

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10285

To,

The Director (IA), Delhi Urban Shelter Improvement Board. (Institutional Allotment Branch-JJ) R.No. C-5, Vikas Kuteer, ITO New Delhi-110002.

- Sub:- (i) Alltement of plot adjacent to PS Mayur Vihar, Ph-1 measuring 2000 sqm (approx) for establishing a Mother & Child Hospital
 - (ii) Allotment of plot in front of Block-23, Trilokpuri measuring 1000 sqm (approx) for construction of Delhi Govt. Dispanesary Building
 - (iii) Allotment of plot in ront of Block-19, Trilokpuri measuring 2 acre (approx) for construction of at least 100 bedded general hospital.

Sir,

Apropos as decided in the meeting held with Hon'ble Health Minister, GNCTD a joint inspection was carried out on 11.08.11 led by Hon'ble MLA, Sh. Sunil Kumar Vaid to identify the land in Assembly constituency of Trilokpuri. 02 plots were identified and found suitable for construction of Delhi Govt. Dispensary. Moreover, Delhi Govt. has accorded in principle approval establishment of these units on the above said plos to fulfill the needs of free medical health facilities to the residents of Trilokpuri and nearby areas.

13 दिसम्बर, 2012

In this regard, you are requested to kindly allot the above said 02 plots to Director Health Service GNCTD for the requisite purposes at the earliest in the public interest.

The matter may kindly by taken on **TOP PRIORITY**

Yours faithfully

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

Dated: 22.2.2012

Dated: 22.2.2012

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10286-10289

Copy to:-

- 1. Sh. Sunil Kumar Vaid, Hon'ble MLA, 21/73-73, Trilokpuri, Delhi-110091 for kind information
- 2. The Deputy Director (IL), Delhi Urban Shelter Improvment Board, (Institutional Allotment Branch JJ) R. No. C-5, Vikas Kuteer, ITO, New Delhi, ITO, New Delhi-110002 to expedite the matter.
- 3. CDMO (East), A-Block, Dispensary Complex, Surajmal Viharl, Delhi- for follow up action.
- 4. PS to Pr. Secy (H& FW), Health & Family Welfare Deptt., GNCTD, 9th level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi-110002 for information.

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

63. श्री सुनील कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग ने त्रिलोकपुरी में मयुर विहार थाने के साथ खाली पड़े प्लॉट में एस.सी. सब-प्लान के अन्तर्गत Mother and Child Care Hospital बनाने की सहमित दी है, जिसके संबंध में आपके साथ व सम्बन्धित विभागों के साथ मेरी कई मीटिंग भी हो चुकी है,
- (ख) यदि हाँ, तो 50 बिस्तर वाला Mother and child Care Hospital कब तक बनकर तैयार हो जाएगा,
- (ग) इस संबंध में Land Owning Agency से अभी तक के पत्राचार की प्रति उपलब्ध करवाएं, और
- (घ) इस योजना में चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि आबंटित की गई है, अथवा भविष्य में कितनी राशि का प्रावधान है, ब्यौरा दें।

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) मयूर विहार पुलिस स्टेशन के निकट प्लॉट पर एक मातृ एवं शिशु चिकित्सालय प्रस्तावित है।
- (ख) अभी तक प्रस्तावित भूमि का आंबटन प्राप्त नहीं हुआ है। सम्प्रति समय निर्धारित करना संभव नहीं है।
- (ग) पत्राचार की प्रतिलिपी संलग्न है।
- (घ) नये अस्पताल व डिस्पैंसरी के निर्माण हेतु दिल्ली सरकार द्वारा एक ही बजट हैड मे धनराशि आबंटित की जाती है।

Dated: 22.2.2012

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI. DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES SWASTHAYA SEWA NIDESHALAYA BHAWAN, F-17, KARKARDOOMA, SHAHADARA, DELHI-110032.

E-mail: cmoplgdhs.delhi@nic.in, Ph: 22301248

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10285

To,

The Director (IA), Delhi Urban Shelter Improvement Board. (Institutional Allotment Branch-JJ) R.No. C-5, Vikas Kuteer, ITO New Delhi-110002.

- Sub:- (i) Allotment of plot adjacent to PS Mayur Vihar, Ph-1 measuring 2000 sqm (approx) for establishing a Mother & Child Hospital
 - (ii) Allotment of plot in front of Block-23, Trilokpuri measuring 1000 sqm (approx) for construction of Delhi Govt. Dispanesary Building
 - (iii) Allotment of plot in ront of Block-19, Trilokpuri measuring 2 acre (approx) for construction of at least 100 bedded general hospital.

Sir,

Apropos as a decided in the meeting held with Hon'ble Health Minister, GNCTD a joint inspection was carried out on 11.08.11led by Hon'ble MLA, Sh. Sunil Kumar Vaid to identify the land in Assembly constituency of Trilokpuri. 02 plos were identified and found suitable for construction of Delhi Govt. Dispensary. Moreover, Delhi Govt. has accorded in principle approval establishment of these units on the above said plos to fulfill the needs of free medical health facilities to the residents of Trilokpuri and nearby areas.

In this regard, you are requested to kindly allot the above said 02 plots to Director Health Service GNCTD for the requisite purposes at the earliest in the public interest.

91

The matter may kindly by taken on **TOP PRIORITY**

Yours faithfully

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar) Chief Medical Officer (Plg.)

Dated: 22.2.2012

No. F.16/7/89/DHS/P&S/10286-10289

Dated:22.2.2012

Copy to :-

- 1. Sh. Sunil Kumar Vaid, Hon'ble MLA, 21/73-73, Trilokpuri, Delhi-110091 for kind information
- 2. The Deputy Director (IL), Delhi Urban Shelter Improvment Board, (Institutional Allotment Branch JJ) R. No. C-5, Vikas Kuteer, ITO, New Delhi, ITO, New Delhi-110002 to expedite the matter.
- 3. CDMO (East), A-Block, Dispensary Complex, Surajmal Viharl, Delhi- for follow up action.
- 4. PS to Pr. Secy (H& FW), Health & Family Welfare Deptt., GNCTD, 9th level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi-110002 for information.

Sd/-

(Dr. Sunil Bhatnagar)

Chief Medical Officer (Plg.)

64. श्री अनिल कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्य यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा गंभीर बिमारियों के लिये जैसे (कैंसर, हार्ट, दिमाग, लीवर) इन्हें किसी प्रकार की आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है, और
- (ख) यदि हां, तो क्या-क्या और उनके लिये क्या प्रक्रिया है, विस्तार पूर्वक बतायें?

स्वास्थ्य मंत्री

(क व ख) जी हाँ । दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली आरोग्य कोष एवं दिल्ली आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है।

दिल्ली अरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की विधि परिशिष्ट 'क' पर है।

दिल्ली आरोग्य कोष के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की विधि परिशिष्ट 'ख' पर है।

परिशिष्ठ 'क'

दिल्ली अरोग्य निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की विधि

पात्रता

- रोगी पिछले 03 वर्षों से मूल रूप से दिल्ली में निवास करता हो इसके लिए उसे दिल्ली मे लगातार रहने का निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
- 2. रोगी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- 3. रोगी का इलाज दिल्ली में स्थित किसी सरकारी अस्पताल में हो रहा हो।
- 4. रोगी किसी खतारनाक बीमारी से ग्रस्त हो।

आर्थिक सहायता की राशि

रूपये 1.5 लाख तक

आवेदन करने का तरीका

आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिल्ली आरोग्य निधि के लोकनायक अस्पताल, दिल्ली गेट, लोक निर्माण विभाग ब्लॉक 24 घंटे विभागीय कैटीन के पास स्थित कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में जमा करायें। आवेदन के साथ निम्न दसतावेज लगाने जरूरी है:-

1. पिछले 03 वर्षो से लगातार दिल्ली में निवास का प्रमाण; राशन कार्ड या निर्वाचन

फोटो पहचान पत्र (अव्यस्कों के मामले में जन्म प्रमाण पत्र) आवेदन पत्र के साथ जमा करायें। दस्तावेजो की फोटो प्रति लगाये तथा मूल दस्तावेज आवेदन जमा कराने के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। यदि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वोटर लिस्ट उद्गरण साथ लगायें।

- 2. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / परामर्शदाता के द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित खर्चे का मूल अनुमान ।
- 3. इलाज कर रहे डाक्टर द्वारा रोगी के दो सत्यापित फोटो।
- 4. इलाज के ब्यौरे की फोटोप्रति
- 5. बी.पी.एल राशन कार्ड की छायाप्रति; बी.पी.एल राशन कार्ड मूल रूप से प्रस्तुत करना जरूरी है। और यदि बी.पी.एल राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो इलाके के उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मूल रूप से जमा करवायें।
- 6. यदि आवेदक सेवा में हो तो नियोक्ता द्वारा जारी दस्तावेज।
- 7. आवेदक द्वारा अपने हस्ताक्षर सत्यापन हेतु आवेदन पत्र में दिय गये फारमेट के अनुसार शपथ पत्र

परिशिष्ठ 'ख'

दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की विधि

पात्रता

- रोगी का इलाज दिल्ली में स्थित किसी सरकारी अस्पताल अथवा सरकारी निकाय के अस्पताल में हो रहा हो। अधिसूचित अस्पतालों में डायिलिसिस के लिये भी यह आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
- 2. रोगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार का सदस्य हो या उसके पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड अथवा अत्योदया अन्न योजना राशन कार्ड हो या इलाके के उपमंडल दंडाधिकारी / राजस्व विभाग से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (रोगी की सभी स्त्रोतों से पारिवारिक आय 2 लाख रूपये या उससे कम हो)।
- 3. रोगी आवेदन की तिथि से पिछले 03 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो और इसके प्रमाण में उसके पास निम्न में से कोई एक प्रमाण हो:-

दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर लिस्ट उद्वरण।

आर्थिक सहायता की राशि

रूपये 5 लाख तक

आवेदन करने का तरीका

आर्थिक सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे मुख्य चिकित्या (दिल्ली आरोग्य निधि) लोकनायक अस्पताल, दिल्ली गेट, लोक निर्माण विभाग ब्लॉक 24 घंटे विभागीय कैटीन के समीप स्थित कार्यालय मे जमा करायें। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाने जरूरी है:-

- वी.पी.एल कार्ड या अंत्योदया अन्न योजना कार्ड: यदि रोगी के पास उपरोक्त कार्ड नहीं है तो इलाके के उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मूल रूप से जमा करवायें। (आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो प्रति लगाये तथा मूल दस्तावेज आवेदन जमा कराने के समय पात्रता सत्यापन हेतु मुख्य चिकित्या आधिकारी (दिल्ली आरोग्य निधि) के समक्ष प्रस्तुत करें।
- 2. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से प्रमाणित खर्चे का मूल अनुमान, जिसमें मरीज की बीमारी, इलाज व अनुमानित खर्चा प्रदर्शित हो।
- 3. इलाज कर रहे डाक्टर द्वारा रोगी के दो सत्यापित फोटो।
- 4. इलाज के ब्यौरे की छायाप्रति।
- 5. आवेदक को अपने हस्ताक्षर सत्यापन हेतु आवेदन पत्र में दिये गये फारमेट के अनुसार शपथ पत्र देना होगा तथा जिसमें पिरवार के सभी सदस्यों जैसे पित, पत्नी और आश्रित बच्चों (21 साल की आयु तक) की कुल आय घोषित हो।

65. श्री अनिल झा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- दिल्ली के कुल कितने अस्पतालों में एक्स-रे मशीन है और कितने अस्पतालों में एक्स-रे मशीन खराब पडी है। इन मशीनों को किन-किन कम्पनियों से खरीदा गया और इसकी मेंटीनैंस की जाती है।
- (ख) सरकार ने अपने कितने अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें खरीदी गई, कौन-कौन से अस्पतालों में डायलिसिस की जाती हैं. पिछले तीन वर्षों मे वार्षिक ब्यौरा दें कि किन-किन मरीजों को डायलिसिस किया गया।
- (ग) पिछले तीन वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडैंट की डायलिसिस की गई, सम्पूर्ण ब्यौरा देने का कष्ट करें, और
- (घ) दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों मे दवाईयों की खरीद की क्या प्रक्रिया है, पिछले तीन वर्षों में किन अस्पतालों में कौन-कौन सी दवाइयाँ किस-किस एजेंसी से कितने भुगतान देकर खरीदी गई, विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) (ख) (ग) एवं (घ) सचूना एकत्रित की जा रही है।

66. श्री सत प्रकाश राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहां-कहां पर कुल कितने अस्पतालों व डिस्पेंसरियों का संचालन किया जा रहा है।

(ख) इन सभी अस्पतालों व डिस्पेंसिरयों के लिये कुल कितने डॉक्टरों, नर्सो, टैक्नीशियनों आदि के कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान मे कितने पदों पर नियुक्तियां हैं, और

98

(ग) किस-किस अस्पताल, डिसपेंसरी आदि में कुल कितने डाक्टरों, नर्सों व टैक्नीशियनों आदि की पोस्ट खाली है?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) अस्पतालों की सूची डिस्पेंसरीयों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
(ख एवं ग) विवरण निम्न है:-

क्र.स	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	डॉक्टर्स	2296	1879	417
2.	नर्सिग स्टाफ	8145	7294	851
3.	पैरामेडिकल स्टाफ	3625	3125	500

67. श्री सत प्रकाश राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) द्वारका में 750 बिस्तर, बामनौली में 200 बिस्तर व महिपालपुर में 200 बिस्तर के अस्पतालों के निर्माण पर कब तक कार्य प्रारम्भ करने की योजना है,
- (ख) क्या बामनौली के अस्पताल के निर्माण में ग्रीन बेल्ट को लेकर अड़चन आ रही है, यदि हाँ तो क्या मास्टर प्लान 2021 के अनुसार उक्त ग्रीन बेल्ट के इलाके में जन सुविधायें जैसे स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण पर भी पाबन्दी लगाई गई है,

(ग) यदि हां, तो क्या अब बामनौली में अस्पताल बनाने की योजना रदद कर दी गई है और क्या भविष्य में दिल्ली के बार्डर के 54 गांव में, जो कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिये गये हैं, कोई जन सुविधाओं के लिये भवनों का निर्माण नहीं किया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) द्वारका सैक्टर-9 में बनने वाले अस्पताल के संशोधित अनुमान (RPE) विचाराधीन है।

बामनौली में प्रस्तावित अस्पताल की भूमि हरित पट्टी में आने के कारण वर्तमान में निर्माण संभव नहीं है।

महीपालपुर के प्रस्तावित अस्पताल के लिये अभी भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। इन सभी मामलों में सम्प्रति समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

- (ख) जी हां। (प्रतिलिपि संलग्न है।)
- (ग) बामनौली में अस्पताल निर्माण के संबंध में दिनांक 29.11.12 को मीटिंग के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के समक्ष पुन: विचार व निवारण हेतु निवेदन किया गया है।

13 दिसम्बर, 2012

Dated: 26.5.2011

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DWARKA PLANNING OFFICE MANGLA PURI, PALAM, NEW DELHI

Ph: 25036238 FAX: 250363216

No. F.13(01)/2011/MP/465

To,

Sh. N.V. Kamat.

Director (Health Services),

Govt. of NCT of Delhi,

Swassthaya Sewa Nideshalaya Bhawan,

F-17, Karkardooma, Shahadara, (Planning/Hospital Branch)

Status of land use for the proposed Delhi Govt. Hospital Project at Village Bamnoli

Ref: No. F.10/687/2008/DHS/P&S/19290 dated 11/4/2011 Sir,

This is with reference to above forwarding, the details of land allotted to Directorate of Health Services, GNCTD at village Bamnoli. The land under reference was jointly identified by officers from this office and Health Department, GNCTD on 9.5.2011.

The land proposed for 200 bed hospital is part of the Green Belt as per MPD-2021 and notified Zonal Development Plan for Zone K-II. As per provisions in MPD-2021, Hospital is not permitted in Green Belt. This was also informed during the meeting held under the Chiarmanship of Vide Chairman, DDA on 13.5.2011 where Hon'ble Health Minister, GNCTD was present.

Your faithfully Sd/- (S.P. Pathak) Director (Plg.)/Dwk

Copy for information to:

Director (Panchayat, GNCTD), Room No. 11-12, Old Civil Supply Building, Tiz Hazari, Delhi-110054 P.S. to Hon'ble Health Minister, GNCTD Dy. Director (Plg.), V.C. DDA Office

68. श्री सत प्रकाश राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) फोर्टिस नाम से बसंत कुंज व द्वारका क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबांटित भूमि पर जो निजी अस्पताल चल रहे हैं, क्या ये गरीब लागों को मुफ्त इलाज के कानून का पालन कर रहे हैं,
- (ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में प्रति अस्पताल कुल कितने व किन-किन मरीजों का इलाज किया गया, नाम व पते सहित पूरा ब्यौरा क्या है, और
- (ग) इन अस्पतालों में कुल कितने-कितने कमरे गरीब लोगों के इलाज के लिये आरिक्षित किये गये हैं और किस-किस मरीज को यह कमरे कब-कब आंबटित किये गये, पूरा ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्री

(क एवं ख) फोर्टिस नाम से बसंत कुंज में स्थित Fit. Lt. Rajan Dhall Ch. Trust (Forties Vasant Kunj) अस्पताल है तथा द्वारका क्षेत्र में इस नाम से कोई अस्पताल नहीं है। यह अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजो, जिनकी मासिक आय रू. 7254/- या उससे कम है, को 10 प्रतिशत आई.पी.डी. मे व 25 प्रतिशत ओ.पी.डी. में नि:शुल्क इलाज प्रदान करता है।

इस अस्पताल का पिछले वर्ष का आई.पी.डी. व ओ.पी.डी. मे नि:शुल्क इलाज कराने वाले मरीजो की संख्या का विवरण निम्न है:-

अस्पताल का नाम	आई.पी.डी.	ओ.पी.डी.
Flt.Lt. Rajan	64	10866
Dhall Ch.		
Trust (Fortis Vasant Kunj)		

(ग) इस अस्पताल में कुल बिस्तरों के 10 प्रतिशत बिस्तर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिये आरक्षित रखे गये हैं। एक वर्ष का आबंटित बिस्तरों का माहवार ब्यौरा निम्न है:-

माह	नि:शुल्क बिस्तरों	आबंटित बिस्तरों
	की संख्या	की संख्या
जनवरी, 2011	11	4
फरवरी, 2011	11	11
मार्च, 2011	11	5
अप्रैल, 2011	11	4
मई, 2011	11	3
जून, 2011	11	6
जुलाई, 2011	11	5
अगस्त, 2011	11	5
सितम्बर, 2011	11	3
अक्तूबर, 2011	11	7
नवम्बर, 2011	11	9
दिसम्बर, 2011	11	2
कुल		64

69. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

103

- (क) क्या यह सत्य है कि मेरे क्षेत्र के गाँव बख्तावरपुर में दिल्ली सरकार का चिकित्सा केन्द्र है,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इस चिकित्सा केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं एवं दवाईयों की कमी है.
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि चिकित्सा केन्द्र की मुख्य चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है और स्थानीय लोग इनसे बहुत दुखी हैं और इसकी शिकायत दूरभाष पर सी.डी.एम.ओ. से कर चुके हैं, और
- (घ) इस चिकित्सा केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं तथा इवाईयों की कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) इस संबंध में सी.डी.एम.ओ. द्वारा जाँच कराई गई, आरोप तथ्यगत नहीं पाया गया।
- (घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं।

70. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर के सामने मेडिकल काउंसिल तथा नर्सिंग स्कूल के भवन योजना की प्राथमिक तैयारी के लिये पी. डब्यू.डी. द्वारा वास्तुविद को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था,
- (ख) उपरोक्त प्राथमिक भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है,
- (ग) क्या यह सत्य है कि इस प्लाट के लैंड यूज को खुले क्षेत्र से अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है,
- (घ) इस प्लॉट पर भवन-निर्माण में कितना समय लिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) भवन निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन अभी लंबित है। इस संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 29. 11.12 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह पता लगा है कि उपरोक्त प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी कमेटी द्वारा पास करना लंबित है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) मौजूदा स्थिति में यह बताना संभव नहीं है।

71. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि एस.डी.एम.सी. की स्थायी सिमित के द्वारा गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर, नई दिल्ली में 150 बिस्तरों का प्रसूति एवं शिशु ब्लॉक बनाने के लिये कोई भवन योजना है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि इस योजना में उम्मीद से ज्यादा देरी हो रही है,
- (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली ने भवन योजना की शीघ्र स्वीकृति के लिये कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को एस.डी.एम.सी. के मेयर के सथ इस मामले को देखने के लिये नियुक्त किया है,

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) एवं (ग) जी हाँ। उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि स्टैंडिंग कमेटी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में उपरोक्त परियोजना का लेआउट प्लान दिनांक 25.09.2012 को स्वीकृत कर दिया है। फ्लोर प्लान, भवन विभाग, एस.डी.एम.सी. से स्वीकृत होना बाकी है।

72. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि तिलक नगर कालोनी अस्पताल को 100 बिस्तर में अपग्रेड किया जाना था,

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इस अस्पताल के भवन निर्माण के लिये धनराशि भी आबंटित की जा चुकी है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि पेड़ों के कारण भवन निर्माण कार्य रूक गया है, चूंकिइसके लिये वन विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि तिलक नगर अस्पताल के लिये जो स्थान चुना गया है वह उपयुक्त नहीं है और वहां असामाजिक तत्वों के कारण वहां रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय स्थिति में आ गया है.
- (इ) एस.डी.एम.सी. द्वारा इस स्थान में दीवारों का निर्माण एवं मरम्मत करने एवं स्थानीय लोगों के सहायतार्थ गार्ड नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और
- (च) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) एवं (ख) जी हां।

यह अस्पताल दिल्ली नगर निगम दक्षिण के अतंर्गत है। निगम से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार।

- (ग) जी हां। वन विभाग से पेड़ों की कटाई की अनुमति अभी नहीं प्राप्त हुई है।
- (घ) यह सत्य नहीं है, क्योंकि तिलक नगर कॉलोनी अस्पताल पिछले 50 सालों से उसी स्थान पर चल रहा है और अब तक विभाग के पास ऐसी कोई घटना की शिकायत

- (ङ) इस स्थान पर दीवारों का निर्माण और मरम्मत कर दी गई है और दीवारों पर कांटेदार तारों की व्यवस्था कर दी गई है। असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को सूचना दी जा चुकी है।
- (च) पेड़ काटने की अनुमित वन विभाग द्वारा न मिलने के कारण इसके निर्माण का कार्य लिम्बत है।

73. श्री साहब सिंह चौहान: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कुछ अस्पतालों विशेष को निजी हाथों या किन्हीं सोसाईटीज आदि को देने की योजना बनाई है,
- (ख) यदि हां, तो किन-किन अस्पतालों को किसे किन-किन शर्तों पर दिया जा रहा है व इसके क्या कारण हैं,
- (ग) सरकार के किन-किन अस्पतालों में कुछ प्राईवेट वार्डो की व्यवस्था Pay and get treatment के आधार पर की है, और
- (घ) इन अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में वर्षानुसार कितने मरीज आए व कितनी आय हुई, ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) जी नहीं।

- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ग) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निम्न अस्पतालों में प्राईवेट वार्डो की व्यवस्था है:-
 - 1. भगवान महावीर अस्पताल
 - 2. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय
 - 3. डॉ. हैडग्वार आरोग्य संस्थान
 - 4. गुरूनानक नेत्र केन्द्र
 - 5. गुरू तेग बहादुर अस्पताल
 - 6. गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल
 - 7. लोक नायक अस्पताल
 - 8. चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुवेदिक चरक संस्थान
 - 9. आई.एल.बी.एस
 - 10. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीटियूट
 - 11. मौलाना आजाद डैंटल इंस्टीटियूट
 - 12. इहबास
- (घ) उपरोक्त अस्पतालों का पिछले पांच वर्ष का मरीजों एवं आय का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है

•	į 8
	<u>مالح</u>
(얃
1	┝
٠	É

		••	अतारांकित विधानसभा प्रश्न सं. 109 का (घ)	विधानसभ	मा प्रश्न स	मं. 109 क	ন (ঘ)				
क्रम सं. अ	अस्पताल का नाम	<i>ा</i> म	वर्षवार	वर्षवार मरीजों की संख्या	' संख्या		वर्ष	वार मरीजों	से प्राप्त अ	वर्षवार मरीजों से प्राप्त आय (लाख में)	में)
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1. भगवान महा	भगवान महावीर अस्पताल	13.1	13.11.11 से 06.12.12 तक		कुल 704 मरीज	<u>ा</u> ज					11.73
2. चाचा नेहरू	बाल चिकित्सालय	लय 18	209	151	119	83	0.33	3.75	3.46	3.04	2.50
3. डॉ. हैडग्वार	हैडग्वार आरोग्य संस्थान		80	89	92	89	1	1.54	1.30	1.55	1.20
4. गुरूनानक नेत्र केन्द्र	त्र केन्द्र	214850	200700	198433	201855	207156	06.50	18.61	36.07	36.93	1
5. गुरू तेग बह	बहादुर अस्पताल	1261	1225	1328	1241	1107	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40
6. गोविंद बल्ल	बल्लभ पंत अस्पताल	٦ 2010	1704	1904	1373	1373	0.26	0.29	0:30	0.3	0.40
7. लोक नायक	. अस्पताल	297	336	350	316	464	1.93	2.18	2.27	2.05	4.46
8. चौ. ब्रह्म प्रब संस्थान	प्रकाश आयुवेदिक	चरक वर्ष 2010 से आरंभ किया है।	। किया है।	2057	5043	6009	ı	ı	ı	20.91	43.69
9. आई.एल.बी.एस	्र तस	वर्ष 2009 से आरंभ किया है। 1104	ा किया है। 1104	2872	3737	2827	ı	721.00	2634.00	4461.00	I
10. दिल्ली स्टेट केंसर इंस्टीटियूट	केंसर	वर्ष 2011 से आरंभ किया है।	। किया है।		292	722	ı	ı	ı	13.76	86.37
 मौलाना आजाद डेंटल इंस्टीटियूट 	ज्ञाद डेंटल	वर्ष 2009 से आरंभ किया है। 23378	ा किया है। 233783	261906	245737	196185	1	11.60	19.44	45.18	44.80
12. इहवास		82	282	232	252	226	7.39	30.46	18.00	21.67	15.48

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 109 मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

74. श्री विपिन शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर क्षेत्र संख्या-64 में जनिहत के विषय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 50 या 100 बिस्तर वाला अस्पताल किसी उचित स्थल पर बनाने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है,
- (ख) यदि हां, तो कहां पर और कब तक इस विषय पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा?
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि शाहदरा में जी.टी.बी. अस्पताल में मरीजों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि किसी अन्य अस्पताल का उचित स्थल पर निर्माण करने हेतु कदम उठाए जायें? यदि नहीं तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ग) एवं (घ) वर्तमान में रोहताश नगर क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्रों में गुरू तेग बहादुर अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल, इहबास, राजीव गाँधी सुपर स्पेशिलटी अस्पताल एवं शाहदरा स्थित चैस्ट क्लीनिक (सिविल अस्पताल) कार्यरत है। इन अस्पतालों के होते हुए अभी तक नए अस्पताल का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

75. चौ. भरत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक मात्र अस्पताल राव तुलाराम अस्पताल में दवाईयों का अभाव है, पिछले वर्ष कितनी दवाईयां लोकल परचेज की गई, इसकी जानकारी दी जाए व अस्पताल की देखरेख के लिये कितना फंड खर्च किया गया, इस अस्पताल में आज भी मरीज बुखार की दवाई भी बाहर से खरीद रहे हैं, केवल पर्ची पर दवाईयां लिख दी जाती हैं, अस्पताल की हालत जर्जर हो गई है, क्या मंत्री जी यह बतायेंगें कि पिछले चार साल में इस अस्पताल में आपने कितने दौरे किए.
- (ख) यहां सौ बैड का विस्तार होने वाला था, उसकी प्रोग्रेस क्या है,
- (ग) यहां पर कितने डॉक्टर कार्यरत हैं,
- (घ) कितनी नर्स कार्यरत हैं, ब्यौरा देने की कृपा करें?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) जी नहीं।

वर्ष 2011-12 में दवाईयों एवं अन्य खर्च का विवरण निम्न है:-

वेतन में : रू. 16.85 करोड़

वेतन के अतिरिक्त : रू. 16.91 करोड़

- 3. उक्त अविध में रू. 23,27,459 विभिन्न प्रकार की दवाईयों के स्थानीय (लोकल) क्रय पर व्यय हुए।
 - माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सभी अस्पतालों की कार्य समीक्षा निरन्तर अंतराल पर की जाती है।
- (ख) अस्पताल प्राधिकारी द्वारा ड्राईग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अन्य विभिन्न निकायों की स्वीकृति अभी लम्बित है। 70.92 करोड़ के आरम्भिक अनुमान प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी संवीक्षा की जा रही है।
- (ग) एवं (घ) इस अस्पताल में 77 डॉक्टर्स तथा 87 नर्स कार्यरत हैं।

76. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में गोकुलपुर गांव में डिस्पेंसरी खोलने की योजना थी,
- (ख) यदि हां, तो डिस्पेंसरी अब तक नहीं खोलने के क्या कारण हैं, और
- (ग) ये डिस्पेंसरी कब तक खोल दी जायेगी?

स्वास्थ्य मंत्री

(क) एवं (ख)

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

77. श्री कुलवन्त राणा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं व प्रत्येक कॉलेज में कितनी-कितनी सीटें हैं,
- (ख) क्या यह सत्य है कि जनसंख्या के अनुपात में दिल्ली में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम है,
- (ग) क्या दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस अनुपात को कम करने के लिये नये मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई योजना बना रहा है, यदि हां तो किन-किन स्थानों पर नये मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है,
- (घ) नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के नियम व शर्ते क्या है,
- (इ) क्या यह भी सत्य है कि रोहिणी, सैक्टर-6 में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया है यदि हां तो क्या इसके लिये सभी औपचारिकाताएं पूरी कर ली गई हैं तथा इसमें मेडिकल की क्लासें कब से प्रारम्भ हो जायेंगी व इसके प्रथम वर्ष में कुल कितनी सीटें होंगी?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) दिल्ली में स्थित मेडिकल कॉलेजों का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) जी हाँ।
- (ग) जी हाँ।

दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन नये मेडिकल कॉलेज विचाराधीन है,

- 1. भारत रत्न इंदिरा गाँधी मल्टी स्पेयालिटी अस्पताल, सैक्टर-9 द्वारका,
- 2. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरी नगर
- 3. डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी।
- (घ) नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम शर्तें पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ड़) डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज विचाराधीन है। लेकिन इसके लिये औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं।

78. चौ. मतीन अहमद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि जगप्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क में डॉक्टरों, अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे टैकनीशियनों की काफी कमी है,

- अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर
- (ख) यदि हां, तो कमी कितनी है, और
- (ग) इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) एवं (ग) पदों का सृजन, पूर्ति एवं रिक्ति एक सत्त प्रक्रिया है। रिक्त पदों की संख्या, स्थानान्तरण, सेवा-निवृति, त्यागपत्र आदि कारणों से बदलती रहती है। सरकार का यथा सम्भव प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानापत्र हों, तथापि विशष कारणों से पद रिक्त रह जाते हैं। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल/नर्सिंग कर्मचारियों की समय-समय पर तदर्थ नियुक्ति भी करती रहती है।

115

79. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के गाँव ताहिरपुर में स्व. राजीव गांधी जी के नाम पर सुपर स्पेशैलिटी अस्पताल बनाया है,
- (ख) यदि हाँ, जो उक्त अस्पताल में आम जनता को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अस्पताल को बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह शुरू नहीं किया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल को पूरी तरह कब तक शुरु करायेगी?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) इस अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग में मरीजों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है:-
 - 1. हृदय रोग एवं गेस्ट्रोइन्ट्रोलोजी सुविधाएं
 - 2. ईको, ई.सी.जी., टी.एम.टी., अल्ट्रासाऊंड, हॉल्टर, कारडियक रीडर, स्पीरोमैट्री तथा विभिन्न प्रयोगशाला जाँचों के साथ-साथ बाह्य रोगी विभाग के मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- (ग) एवं (घ) सरकार का पूरा प्रयास है कि अस्पताल को पूर्णत: शीघ्र आरम्भ कर दिया जाए। अस्पताल के निदेशक के चयन के लिये विज्ञापन दिया जा चुका है तथा विभिन्न विभागों, जिनकी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी हैं, को चिन्हित कर लिया गया है। डॉक्टरों के चयन एवं अन्य सेवाओं के आरंभ की प्रक्रिया जारी है।

80. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार आबादी पर नियंत्रण रखने के कोई प्रयास कर रही है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है,

- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के कुछ नतीजे आये हैं, और
- (ग) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों में आबादी के बढ़ने व घटने के क्या आंकड़े हैं, विवरण दिया जाये?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) एवं (ख) जी हाँ। विवरण संलग्न है।
- (ग) पिछले सात वर्षों में दिल्ली में आबादी की वृद्धि की दर निम्न प्रकार से है:-

ਕੁਖ	प्रतिशत
2005	3.33
2006	3.26
2007	2.91
2008	2.50
2009	2.21
2010	2.70
2011	2.79

परिवार कल्याण द्वारा चलाई जा रहे जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम

दिल्ली एक ऐसा महानगर है जो कि आसपास के राज्यों से लाखों की संख्या में प्रवासियों को रोजगार और रोजी-रोटी के लिए आकर्षित करता है। दिल्ली की जनसंख्या 1991 में 94 लाख, 2001 में 121 लाख थी। जो कि वर्ष 2011 में 16753235 हो चुकी है। इस हिसाब से दिल्ली की जनसंख्या 2021 में 244 लाख होने का अनुमान है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1486 वर्ग किलामीटर है जिसमें से 924.68 वर्ग किलोमीटर शहरी है।

दिल्ली की प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि दर देश में सर्वाधिक है, जिसमें आधे से ज्यादा प्रवासियों का योगदान है। पिछले 1 दशक में दिल्ली की शहरी जनसंख्या 2001-2011 के बीच 17.32 गुना बढ़ी है। भारी वार्षिक प्रवासी जनसंख्या के बावजूद दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि सूचक जैसे कि कुल प्रजनन दर (TFR) जोिक 1.9 है, पहले ही प्राप्त कर लिया है (कुल प्रजनन दर-औसतन बच्चे जिनको एक वैवाहिक स्त्री प्रजनन की उम्र (15-49) में जन्म देती है)। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2.0 का लक्ष्य है जोिक प्राप्त किया है। दिल्ली की जन्म दर 20.96 है (जन्म दर-कुल जीवित जन्में बच्चे प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या)। परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार, विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम भारत सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शुरू से ही चल रहा है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Reproductive and Child Health) के अंतंगत परिवार नियोजन (स्थायी व अस्थायी गर्भिनरोधक तरीके), किशोर स्वास्थ्य, शिशु बचाव व सुरक्षित मातृत्व आदि सुविधाएं दिल्ली के निवासियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों, झुग्गी-झोपड़ी वासियों को। शिशु बचाव का सीधा संबंध

छोटे परिवार से है। एक दंपित को अगर उसके बच्चे की सुरक्षा निश्चित कर दी जाए तो उन्हें परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्सिहित किया जा सकता है। अन्य नीतियां हैं- सामुदायिक भागीदारी, गैर-सरकारी व निजी संस्थाओं का योगदान व प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुधार। उद्देश्य केवल प्रजनन दर को कम करना ही नहीं है बिल्क शिशु व बाल मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करना भी है।

परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली की उपरोक्त नीतियों के पालन हेतु गतिविधियाँ

- जननी सुरक्षा योजनाः इसके अंतर्गत छह सौ रूपये की प्रोत्साहन राशि गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने के लिए दी जाती है। इसके लिए महिला 19 वर्ष से अधिक, अनुसुचित जाति व जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। यह सुविधा पहले दो जीवित बच्चों तक है। इसके अलावा पाँच सौ रूपये की राशि उन उपरोक्त महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है जो किसी कारणवश घर पर प्रसव कराती है।
- 2. ममता योजना: सार्वजिनक-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत 2007 में यह योजना शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ व नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या स्थिर करना है। इसके अंतर्गत SC/ST/BPL वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित निजी अस्पतालों में संपूर्ण गर्भावस्था में देखभाल, जाँच व प्रसव की सुविधा का प्रावधान है। इन अस्पतालों को इस सब प्रयोजन के लिए निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है।

- 3. आशा: लगभग 2300 आशा जो कि उसी समुदाय से चुनी जाती है, को प्रशिक्षण देकर कमजोर वर्ग की स्वास्थ्य संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। इससे बाल टीकाकरण, पूर्व प्रसव देखभाल, संस्थागत प्रसव, गर्भिनरोधक तरीके, जन्म के पश्चात् माँ व शिशु की देखभाल में काफी सुधार आया है। 2500 अतिरिक्त आशाओं को वर्ष 2009-10 में भर्ती किया जाएगा, जिससे 110 लाख कमजोर जनसंख्या का अतिरिक्त फायदा होगा।
- 4. परिवार कल्याण निदेशालय ने CATS एम्ब्यूलेंस से एक प्रावधान किया है जिसके अंर्तगत प्रसव संबंधित किसी भी इमरजैंसी की अवस्था में निकटतम अस्पताल तक ले जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा हर किसी वर्ग को 24×7 उपलब्ध है।
- 5. परिवार कल्याण निवेशालय: समय-समय पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन, झुग्गी-झोपड़ी, पुर्नवास कालोनियों में करता है, जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधाएं व जानकारी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
- 6. ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (Village Health & Nutrition Day): सभी आगनवाड़ियों व पिछड़ी कालोनियों में मनाता है, जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की पूर्ण जानकारी व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- 7. परिवार कल्याण निदेशालय, सरकारी अस्पताल, नगर-निगम, नई दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पुरुष नसबंदी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए 1100/- रू. की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

- 8. परिवार कल्याण निदेशालय के माध्यम से महिला नलबंदी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए 600रू. की नगद प्रोत्साहन राशि गरीबी रेखा से नीचे तथा
 - है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत लोगों को नसबंदी व नलबंदी के प्ररित करने

250रू. की नगद राशि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती

- वाले लागों के लिए भी तुरंत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
- 9. गुणवत्ता आश्वासन कमेटी (Quality Assurance Committee): गुणवत्ता के लिए नौ जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है। किसी भी नसबंदी या नलबंदी ऑपरेशन के असफल होने या उससें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की स्थिति में इन कमेटियों द्वारा इन मामलों की पूर्ण जांच के पश्चात् इस तरह के असफल ऑपरेशन के मरीजों को ICICI Lombard कंपनी से मुआवजा राशि भी
 - उपलब्ध कराई जाती है।
- 10. टीकारण: इसके अंतर्गत बच्चों को टाकीकरण द्वारा रोकी जाने वाली 10 बिमारियां जैसे—टी.बी., टाईफाइड, खसरा, कनफंड, रूबेला, हैपेटाईटिस आदि के लिए टीकाकरण करवाता है। दिल्ली राज्य ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए MMR व टाईफाइड वैक्सीन लाने की विशेष पहल भी की है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे, किसी कारणवश टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जाता है। अभी हाल ही में 14-21 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें हजारों बच्चे लाभांवित हुए।
- 11. **घर में जन्में नवजात शिशु देखभाल हेतु:** सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंर्तगत आवश्यक नवजात शिशु देखभाल प्रस्तावित है। सरकारी अस्पतालों की नर्सरियों का

विस्तार करने की भी योजना है। बच्चों में होने वाली बिमारियों जैसे कि अतिसार व निमोनिया के इलाज के लिए भी सार्वजनिक निजी भीगीदारी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतंगत प्रयास जारी है।

- 12. परिवार कल्याण निदेशालय के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सभी सरकारी व कुछ निजी चिकित्सकों व अन्य Para Medical कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 13. स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रचार : निदेशालय, परफैक्ट हैल्थ मेला, परफैक्ट हैल्थ परेड, भारतीय अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेला आदि में भाग लेता है और वे इससे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों और प्रर्दशनियों का आयोजन भी करता है।
- 14. खरीदारी: निदेशालय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित दवाएं व संबंधित सामग्री जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए, लैपरोस्कोप, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर-टी, वैक्सिन, शीत-श्रृंखला उपकरण आदि दिल्ली सरकार की डिस्पैंसरी, नगर-निगम, कर्मचारी बीमा राज्य निगम, रेलवे व गैर सरकारी संस्थाओं को देता है। यदि उपरोक्त दवाईयां/उपकरण/सामग्री केन्द्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उस अवस्था में निदेशालय अपने स्तर पर खरीदकर उपलब्ध कराता है।
- 15. महिला नलबंदी के लिए लैपरोकटर व लैपरोस्कोप की रख-रखाव का दायित्व भी निदेशालय पर है।
- NGOs: निदेशालय विभिन्न Grantee NGOs (Nari Raksha Samiti, URIDA, Indcare, SOSVA, Jan Jagriti Education Society, DISHA) को अनुदान

प्रदान करता है। उपरोक्त NGOs दिल्ली के आठ जिलों में कार्यरत हैं। इसके अलावा सहायता अनुदान (GIA) NGOs (19 केन्द्रों) के द्वारा भी परिवार कल्याण की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

17. निदेशालय ने दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम में उपरोक्त परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार के लिए विभिन्न पदों के लिए भर्तियां की हैं जैसे—

पद संख्या

मेडिकल ऑफिसर

ए.एन.एम.एस

मेडिकल लेक्चर

कम्यूटर डाटा एन्टरी ऑपरेटर

लेब टेक्निशन

स्टैनो

स्टैबलिशमैंट क्लर्क

पीउन

पब्लिक हैल्थ नर्स

एकाउंट क्लर्क

81. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) परिवार कल्याण निदेशालय में कुल कितने कर्मचारी हैं व उनकी पोस्टिंग कहां-कहां पर हैं,
- (ख) इस कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो कि मेडिकल ग्राउंड पर कार्य करने में असमर्थता जाहिर करते हैं,
- (ग) क्या विभाग ऐसे कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने पर विचार कर रहा है, और
- (घ) यदि हां. तो कब तक?

स्वास्थ्य मंत्री

- (क) परिवार कल्याण विभाग में कुल 91 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति का विवरण पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) केवल एक।
- (ग)एवं(घ) मामला विचाराधीन है।

82. श्री मोहन सिंह विष्ट : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) दिल्ली में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कितने मजदूर है। क्या सरकार के पास इसका विधान सभा क्षेत्रानुसार आंकड़ा उपलब्ध है,

- (ख) श्रिमिक की परिभाषा क्या है और श्रिमिकों को कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है तथा उनकी दैनिक मजदुरी कितनी निर्धारित की गई है,
- (ग) पिछले पांच वर्षों में मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को अभी तक सजा मिली है.
- (घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर रखे गये कर्मचारियों का मासिक एवं दैनिक भुगतान विभन्न एजेसियों द्वारा वास्तव में कम किया जाता है.
- (ड़) यदि हां तो सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान इस पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाये हैं तथा यदि किसी श्रिमिक की नियोक्ता द्वारा कम मजदूरी दिये जाने की शिकायत हो तो क्या यह गोपनीय रूप से सरकार के समक्ष शिकायत कर सकता है जिससे कि नियोक्ता द्वारा जानबूझ कर उसको परेशान न किया जाये,
- (च) यदि हां, तो उसका तरीका क्या है।

श्रम मंत्री

- (क) इस संबंध में श्रम विभाग दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया
 है। अत: विधान सभा क्षेत्रानुसार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
- (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2एस के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रकार के अकुशल, अर्द्ध-कुशल व कुशल कार्य में नियुक्त है श्रमिक कहलाता है

परन्तु पर्यवेक्षक तथा प्रबंधक कार्य में नियुक्त व्यक्ति श्रिमिक नहीं। 01.10.2012 से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निम्नलिखित न्यूनतम वेतन सुनिश्चत किये गये हैं:-

वर्ग⁄श्रेणी	प्रतिदिन रू.	प्रतिमाह रू.
अकुशल	279	7254
अर्द्ध कुशल	308	8008
कुशल	339	8814
नान मैट्रीकुलेशन	308	8008
मैट्रीकुलेट किन्तु स्नातक नहीं	339	8814
स्नातक व ऊपर	369	9594

- (ग) पिछले पांच वर्षो 2008-2012 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसमें विधानसभा क्षेत्र करावल नगर भी सम्मलित है में कुल 281 चालान दर्ज किये गये तथा 21 आदेश अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं। अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के द्वारा 56 श्रिमिकों को रू0 7,46200/-का भुगतान किया गया।
- (घ) समय-समय पर श्रिमिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित शिकायतें श्रम विभाग में प्राप्त होती है। शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए श्रम विभाग संबंधित नियोक्ता का चालान अथवा दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित मैट्रोपोलिटन मैजिस्टेट के समक्ष केस दायर किये जाते है।

127

(ड) शिकायत के आधार पर समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है जिससे कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो सके। अगर कोई अनियमितता पायी जाती है तो नियोक्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु मामला मैट्रोपोलिटन मैजिस्टेट की आदालत में दायर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत बकाया राशि के लिए संयुक्त श्रमायुक्त/उप-श्रमायुक्त संबंधित जिला में दावा लगा सकता है। अधिकृत अधिकारी दोनों पक्षों को सुनकर न्युनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आदेश पारित करता है। यह कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है।

पिछले पांच वर्षो 2008-2012 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसमें विधानसभा क्षेत्र करावल नगर भी सम्मिलत है में कुल 281 चालान दर्ज किये गये तथा 21 आदेश अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये है। अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जोदशों के द्वारा 56 श्रिमिकों को कुल रू. 7,46,200/- का भुगतान किया गया।

(च) उपरोक्तानुसार

83. श्री वीर सिंह धींगान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार विभिन्न श्रेणी के मजदूरों के हितों के लिये कोई कदम उठा रही है, यदि हां तो क्या-क्या
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार स्थाई मजदूरों के कल्याण के लिये भी कोई नीति

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 128

बना रही हैं. यदि हां तो उसका विवरण क्या है.

- (ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम सिहत कई विभागों में स्थाई मजदूरों को नियमित नहीं किया जा रहा है,
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार स्थाई मजदूरों को शीघ्र नियमित करायेगी, और
- (ड) यदि हां, तो कब तक

श्रम मंत्री

(क) जी हां, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना अर्नोगनाईज सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008 के अन्तर्गत की जानी है। इस संबंध में दिल्ली सरकार को उपयुक्त शिक्तयाँ प्रदान करने हेतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की है।

इसके अतिरिक्त श्रम विभाग, दिल्ली सरकार प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी के कार्य का विनियमन व इनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले घरेलू नौकर, आया, आदि के हितों की रक्षा सुनश्चित करने हेतु प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी रेगूलेशन बिल, 2012 पर कार्य कर रही है।

(ख) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार में स्थाई मजदूरों के कल्याण के लिए कोई नई नीति विचारधीन नहीं है।

(ग व घ) ख के आधार पर लागू नही होता।

(ङ) उपरोक्तानुसार

84. श्री सत प्रकाश राणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बसंत कुंज, पालम, द्वारका व नजफगढ़ इलाके में कुल कितनी स्ट्रीट लाईट व हाई मास्ट लाईटें हैं जिनका रख-रखाव व संचालन बीएसईएस द्वारा किया जा रहा है,
- (ख) इन लाईटों के बदले में दिल्ली नगर निगम द्वारा बीएसईएस को प्रति लाईट व प्रति हाई मस्ट लाईट प्रति माह कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, और
- (ग) क्या लाईट खराब होने की सूचना के बाद दिल्ली नगर निगम, बीएसईएस को उक्त लाईट के बदले में भुगतान बन्द कर देती है, यदि हाँ, तो पिछले एक साल में कितनी लाईटें कितने-कितने दिन के लिए खराब हुई और उनके भुगतान के विषय में पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री

(क) लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को उपरोक्त क्षेत्रों में रख-रखाव हेतु दिये गये स्ट्रीट लाईट / हाई मास्ट लाईट का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

	स्ट्रीट लाईट प्वाइंट्स	सेमी हाई मास्ट लाईट	हाई मास्ट लाईट
लोक निर्माण विभाग	876	-	_
दिल्ली नगर निगम	37646	2976	185

- (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव हेतु 103 रूपये प्रति प्वाइंट वितरण कम्पनी को दिये जाते हैं। हाई मास्ट लाईट का रख-रखाव दिल्ली नगर निगम स्वयं करता है।
- (ग) स्ट्रीट लाईट खराब रहने की स्थिति में दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई उर्जा प्रभार वितरण कम्पनी को नहीं दिया जाता। गत एक वर्ष की अविध के दौरान बीएसईएस राजधानी को स्ट्रीट लाईट की 13600 शिकायतें प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा द्वारका, नजफगढ़, पालम तथा वसन्त कुंज खण्ड में स्ट्रीट लाईट खराब रहने के कारण लगभग 40.7 लाख रूपये की कटौती की गई।

85. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) त्रिलोकपुरी विधानसभा में कितने ऐसे घर हैं जहां अभी एक बिजली के मीटर नहीं लगे हैं,
- (ख) कितनी आबादी या घरों या बिजली की खपत पर कितनी पावर का ट्रांसफार्मर लगाया जाता हैं,
- (ग) त्रिलोकुपरी विधान सभा में कहां-कहां पर कितनी आबादी पर कितने एम्पेयर पावर
 के ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है,
- (घ) भविष्य में त्रिलोकपुरी विधानसभा में कितने ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है,
- (ड) वर्तमान में अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए नया टेरिफ प्लान क्या है,

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 131 मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

- (च) क्या झुग्गी वालों के लिए अलग से कोई टेरिफ प्लान है व कितनी झुग्गियों में अभी तक बिजली मीटर नहीं है. और
- (छ) ब्लॉक नं. 2, त्रिलोकपुरी में पार्क में ट्रांसफार्मर लगा है जिसको वहां से हटाया जाना था, वह कब तक हटा दिया जाएगा व इसके लिए 2 ब्लॉक झुग्गी कैम्प के पास जगह निश्चित की गई थी?

ऊर्जा मंत्री

वितरण कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार-

- (क) इस क्षेत्र में पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है तथा बिजली कनैक्शन हेतु आवेदन प्राप्ति के बाद यथोचित समय सीमा के अन्दर कनैक्शन प्रदान कर दिया जाता है।
- (ख) इस क्षेत्र में लगभग 100 घरों के कनैक्शन के लिए (अनुमानित खपत 03 किलोवाट प्रति कनैक्शन) 400 केवीए के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है।
- (ग व घ) इस क्षेत्र में एम्पेयर पावर के ट्रांसफार्मर लगाने की योजना का विवरण अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।
- (ड) टेरिफ प्लान का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।
- (च) जी नहीं। बिजली कनैक्शन हेतु आवेदन प्राप्ति के बाद यथोचित समय सीमा के अन्दर कनैक्शन प्रदान कर दिया जाता है।
- (छ) इस संदर्भ में ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित करने का कोई भी मामला वितरण कम्पनी के पास लम्बित नहीं है।

S. No.	Description
1.	AUG. OF 630 KVA TR. TO 990 KVA TR AT S/S-B PKT -2 MVR PH-1 : ID

- D MV12LT4042
- AUG. OF 630 KVA TR TO 990 KVA TR AT DP NO-2 CHILLA VILL. NEAR SCHOOL (19502537) MV12LT4052
- 3. ERECTION OF NEW 630 KVA S/S AT KOTLA VILALGE NEAR GUJAR BHAWAN MV12LT4077
- 4. AUG. OF 630 KVA TR TO 990 KVA TR. AT S/STN.-23 BLK TRILOK PURI
- 5. AUG OF 400 KVA TR TO 630 KVA AT S/STN.-134 WORK CENTRE TRILOK PURI
- AUG OF 400 KV TR TO 630 KVA AT S/STN-2 TRILOK PURI 6.
- 7. PROVISION OF ADD 630 KVA TR AT S/STN-11-12 BLK TRILOK PURI
- 8. PROVISION OF ADD 630 KVA TR AT S/STN-13 BLK TRILOK PURI.

COMPARISION OF EXISTING AND REVISED TARIFF AS MANDATED BY **DERC WITH EFFFECT FROM 01.07.2012**

	Revised Fixed Charges	Revised Energy Charges
	Rs. KW	Rs. KW
Domestic		
Domestic Lighting Fan and Power (Single Delivery Point)		
Upto 2 KW Load		
0-200 Units	40.00	3.70
201-400 Units	40.00	5.50
Above 400 Units	40.00	6.50
	Domestic Lighting Fan and Power (Single Delivery Point) Upto 2 KW Load 0-200 Units 201-400 Units	Charges Rs. KW Domestic Domestic Lighting Fan and Power (Single Delivery Point) Upto 2 KW Load 0-200 Units 40.00 201-400 Units 40.00

अतारांकि	त प्रश्नों	के	लिखित	उत्तर	133	मार्गशीर्ष	22,	1934	(शक)
	2 to 5 KV	WL	oad						
	0-200 Un	nits				100.00		3.70	
	201-400	Unit	S			100.00		5.50	
	Above 40	00 U	nits			100.00		6.50	
	Above 5	KW	Load						
	0-200 Un	nits				20.00		3.70	
	201-400	Unit	S			20.00		5.50	
	Above 40	00 U	nits			20.00		6.50	
2.	Non- Do	mes	tic						
2.1	Non-Dor	nest	ic (Low	Tension):	NDLT-1				
	UP to 10	KW	7			100.00		7.60	
	> 10 KW	to 1	00 KW			115.00		7.25	
	Above 10	00 K	W			150.00		8.50	
2.2	Non Don	nesti	ic High T	Tension (N	DHT)	125.00		7.15	
3.	Industri	al							
3.1	Small In	dust	trial Pow	er (SIP)					
	Up tgo 10	0 KV	V			80.00		7.25	
	>10 KW	to 1	00 KW			90.00		6.60	
	Above 10	00 K	V			150.00		8.00	

86. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली कोलोनियों में किन-किन कालोनियों द्वारा (दिल्ली विद्युत बोर्ड) व बीएसईएस को ट्रांसफार्मर के लिए प्लाट दिये गये थे, कालोनिवाईज उसका विवरण क्या है।
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्लाट देने के बावजूद इन कालोनियों में बीएसईएस द्वारा किन-किन कालोनियों के अन्तर्गत एचवीडीएस सिस्टम से बिजली सप्लाई की गई

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 134

है, पूरा विवरण दें,

- (ग) क्या यह भी सत्य है कि एलडी सिस्टम के प्लाट दिये जाते थे,
- (घ) यदि हां, तो एचवीडीएस कराये जाने के क्या कारण हैं और कब तक इनका एलटी सिस्टम मे तब्दील कर दिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री

- (क) जी हाँ । 11 के.वी. के सब-स्टेशन स्थापित करने हेतु,, 18 प्लॉट आर.डब्ल्यू.ए. के माध्यम से दिल्ली विद्युत बोर्ड को हस्तान्तरित किए गए थे इन प्लाटों की सूची अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।
- (ख) इन सभी कॉलोनिया मे एचवीडीएस सिस्टम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
- (ग) प्लॉट कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु दिये जाते थे।
- (घ) एल टी प्रणाली की अपेक्षा, एचवीडीएस प्रणाली के कई लाभ हैं:-
 - 1. गुणवत्ता और स्थिर विद्युत आपूर्ति
 - 2. एलटी विहीन प्रणाली हैं इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉॅंप नहीं और कोई पावर का नुकसान नहीं।
 - 3. 25 केवीए के एक छोटे आकार का एचवीडीएस ट्रांसफार्मर होने के कारण अधिकतम 10 उपभोक्ता प्रभावित ।

4. एलटी विहीन प्रणाली होने के कारण कोई अवैध हुकिंग नहीं।

उपरोक्तानुसार मौजूदा एच.वी.डी.एस प्रणाली को पारंपरिक एल टी सिस्टम में परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

LIST OF 11KV ESS AT KARAWAL NAGAR

S. No.	Location of Scheme/Project	Area (in Sqm)
1.	Nehru Vihar, Karawal Nagar	74.35
2.	11KV S/stn. Shakti Vihar, Karawal Nagar	74.35
3.	Surya Vihar, Sadatpur (East) Nagar (Encroachment is being removed with the help of Police)	66.91
4.	Near Public School, Shanti Nagar, Plot No. 1C, Karawal Nagar (Partly encroached by RWA)	139.4
5.	8/16 B-Block, Sadatpur Extn. Karawal Nagar	54.56
6.	Near Masjid Babu Ngr. Karawal Nagar Extn. No. 1	55.76
7.	Near Masjid Babu Ngr. Karawal Ngr. Extn. No-2	55.76
8.	E & F Block paschim Karawal Nagar	66.91
9.	C & D Block Paschim Karawal Nagar	64.12
10.	E-Block Khajuri Cly. Karawal Nagar	50.75
11.	Gali No. 11 Bhagirathi Vihar, Karawal Nagar	64.12
12.	Gali No. 12 Bhagirathi Vihar, Karawal Nagar	64.12
13.	Behind Maternity Hospital C Block, Aman Vihar Karawal Ngr.	81.55
14.	Gali No. * Shakti Vihar Karawal Ngr.	74.35
15.	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Nagar ESS No.1	55.76
16.	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Nagar ESS No. 2	55.76
17.	Shahid Bhagat Singh Cly. West Karawal Ngr. ESS No. 3	61.34
18.	Govind Vihar (Plot No. 250) Karawal Ngr. (Court case pending)	80.92

87. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली मेन रोड पर बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर शिफि्टंग के लिए नगर के प्रोजेक्ट द्वारा कितना पैसा लिया गया था,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट (दिल्ली नगर निगम) द्वारा बिजली विभाग को पैसा हस्तान्तरण कर दिया गया है,
- (ग) यदि हाँ, तो आज दिन तक पोल शिफ्टिंग एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक इस कार्य को पूरा कर दिया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री

- (क व ख) जी हाँ। दिल्ली नगर निगम ने इस रोड़ से विद्युत सेवाओं को हस्तानन्तरित करने के लिए 2847491/- रूपये का भुगतान वितरण कम्पनी को किया था।
- (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा ट्रांसफार्मर को स्थानान्तरित करने के लिए उपयुक्त जगह अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जैसे ही उपयुक्त जगह उपलब्ध हो जाएगी स्थानान्तरण का कार्य शीघ्र कर दिया जाएगा।

88. चौ भरत सिंह : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) नजफगढ़ विधानसभा के अन्तर्गत दिचाउं कलां में बिजली ग्रिड के लिए भूमिअधिग्रहण किया गया था,

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 137 मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

- (ख) यदि हाँ, तो यहां पर काम कब से शुरू हो जायेगा, और
- (ग) नजफगढ़ में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगने वाला ग्रिड कब तक तैयार हो जाएगा, ब्यौरा देने की कृपा करें?

ऊर्जा मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) यह कार्य दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की विषय-निर्वाचन सिमिति तथा तत्पश्चात् दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी मिलने के पश्चात् कर्यान्वित किया जाएगा।
- (ग) नजफगढ़ मे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ग्रिड की स्थापना की संभावित तिथि दिसम्बर 2013 है।

89. श्री साहब सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि घोण्डा विधान सभा के अन्तर्गत बार-बार शिकायत के बाद भी स्ट्रीट लाईट संतोषजनक ठिक नहीं की जा रही है,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि लिखित शिकायतों के बाद भी टेढ़े, टूटे खम्बों को नहीं बदला गया है और न ही ट्रासंफार्मर की दशा नहीं सुधारी गई है, और
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि पांचवां पुस्ता गावड़ी से सुदामापुरी जय प्रकाश नगर, अरिवन्द नगर फीडर व घोण्डा एम सी डी स्कूल फीडर की बिजली दिन में

लगातार कई कई घण्टे बाधित रहती हैं इसके लिए उचित उपाय कब तक होंगे और क्या-क्या होंगे?

ऊर्जा मंत्री

- (क) जी नहीं। सभी स्ट्रीट लाईटों की शिकायत का निश्चित समयाविध के अन्दर निवारण किया जाता है। माननीय विधायक जी से प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में उचित कार्यवाही के पश्चात् कार्यवाही की सूचना दी जाती है तथा नगर निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण प्रति माह किया जाता है।
- (ख) जी नहीं। टेढ़े टूटे खम्भों को चरणबद्ध तरीके से बदल दिया जाता है। तथा वितरण ट्रांसफार्मर की उचित मरम्मत या लोड की आवश्यकतानुसार बदलने का कार्य किया जाता है।
- (ग) इन कालोनियों में यथोचित निरोधक अनुरक्षण (Preventive maintenance) हेतु बिजली बाधित की जाती है। तथा बिजली चोरी रोकने के लिए जनता द्वारा अवांछित तौर पर लगाए गए तारों को हटाया जाता है जोकि बिजली उपकरणों की सुरक्षा तथा ब्रेकडाउन रोकने के लिए आवश्यक है।

90. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुल पुरी विधानसभा क्षेत्र में घोण्डा से मीत नगर तथा मीत नगर से मण्डोली गांव तक की हाई टेंशन तारें हटाने की कोई योजना थी,
- (ख) यदि हाँ, तो अब तक नहीं हटाने के क्या कारण हैं, और

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

(ग) उक्त तारें कब तक हटा दी जायेंगी?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख एवं ग) यह मामला शहरी विकास विभाग में भूमि श्रेणी जानने हेतु लम्बित है।

139

91. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2011-2012 में किन-किन विभागों में कितने
 कितने नये कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त किये गये, और
- (ख) उसका पूर्ण विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री

(क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2011-2012 में 1005 कर्मचारी नियुक्त किए गये जिसका विवरण श्रेणी अनुसार निम्नलिखित है:-

प्रथम-शून्य,

द्वितीय-05,

तृतीय-45,

चतुर्थ-955

कुल योग-1005

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

92. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2011-2012 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, और
- (ख) उसका पूर्ण विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री

(क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2011-2012 में 1005 कर्मचारी नियुक्त किए गये जिसका विवरण श्रेणी अनुसार निम्नलिखित है:-

प्रथम-शून्य,

द्वितीय-05,

तृतीय-45,

चतुर्थ-955

कुल योग-1005

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

93. चौ. मतीन अहमद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बेरोजगारों की संख्या बढ रही है,

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 141 मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

- (ख) यदि हां, तो रोजगार कार्यालयों में अभी तक कितने लोगों के नाम दर्ज हैं; और
- (ग) प्रत्येक माह कितने लोगों को इनके द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है?

ऊर्जा मंत्री

(क) जी हाँ। गत तीन वर्षों का विवरण निम्नलिखित है:-

2009-107751

2010-127351

2011-164417

2012 (नवंबर तक)-114910

- (ख) रोजगार कार्यालयों में, बेरोजगारों की कुल संख्या 868043 दर्ज हैं।
- (ग) दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने दिनांक 15.06.2009 से पंजीकरण प्रक्रिया को ऑन लाइन किया हुआ है तथा बेरोजगारों का नाम नियोक्ताओं को भी नाम प्रिषित करने का कार्य दिनांक 06.12.2009 से ऑन लाइन कर दिया है। परन्तु यह विभाग न तो रोजगार मुहैया कराता है और न ही रोजगार सृजन करता है। विभाग, बेरोजगार युवको को रोजगार दिलवाने के लिए स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन करता है।

94. श्री साहब सिंह चौहान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) दिल्ली सरकार की रोजगार नीति क्या है;

- (ख) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालय कहां-कहां हैं, तथा उनमें किन-किन श्रेणी के रोजगार के लिए Registration होता है;
- (ग) Employment Registration की औपचारिकता क्या है;
- (घ) पिछले 10 वर्षो में प्रत्येक वर्ष के अनुसार कितने-कितने लोगों को रोजगार दिया
 गया है:
- (ड) प्रत्येक रोजगार कार्यालय में कुल कितने-कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं?

ऊर्जा मंत्री

- (क) दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग में दिनांक 15.06.2009 से पंजीकरण प्रक्रिया को ऑन लाइन किया हुआ है। तथा बेरोजगारों का नाम नियोक्ताओं को भी नाम प्रेषित करने का कार्य दिनांक 06.12.2009 से ऑन लाइन कर दिया है। परन्तु यह विभाग न तो रोजगार मुहैया कराता है और न ही रोजगार सृजन करता है विभाग, बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाने के लिए स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन करता है।
- (ख) दिल्ली रोजगार निदेशालय के अन्तर्गत 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विशेष रोजगार कार्यालय (विकलांक व्यक्तियों हेतु), 1 विशेष रोजगार कार्यालय (भूतपूर्व सैनिकों हेतु) तथा 3 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्यरत हैं। इन कार्यालयों की सूची पते सहित प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है तथा सभी श्रेणियों के लिए Registration होता है।

- (ग) रोजगार विभाग ने दिनांक 15.06.2009 से पंजीकरण प्रक्रिया को ऑन लाइन किया हुआ है। कोई भी अभ्यर्थी अपना पंजीकरण किसी भी रोजगार कार्यालय व जीवन सेन्टर में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार अपना पंजीकरण करा सकता है।
- (घ) पिछले दस वर्षो मे प्रत्येक वर्ष के अनुसार सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया इसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष		प्लेसमेंट	
2003	-	00	
2004	-	64	
2005	-	20	
2006	-	10	
2007	-	28	
2008	-	05	
2009	-	08	
2010	-	8651	
2011	-	175	
30.11.2012	2 तक -	1306	

⁽ड) रोजगार कार्यालयों में, बेरोजगारों की कुल संख्या 868043 दर्ज हैं।

95. श्री साहब सिंह चौहान: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) वर्तमान में विभिन्न श्रेणी की बसों में किराये की क्या दरें है:
- (ख) उच्च श्रेणियों में विभिन्न पासों की शर्त दरें क्या है;
- (ग) विभिन्न श्रेणी की परिचालन में डी टी सी की बसों की संख्या क्या है; और
- (घ) क्या यह सत्य है कि बार-बार लिखने के बाद भी मार्जिनल बंध पुस्ता रोड, शास्त्री पार्क से खजूरी तक, खजूरी चौक से यमुना विहार तक व यमुना विहार से मौजपुर रोड नं 66 पर नये प्रकार के बस क्यू शैल्टर नहीं लगे हैं कब तक कहां-कहां लग जायेंगे?

परिवहन मंत्री

- (क) विभिन्न श्रेंणी की बसों में किराये की दरें परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।
- (ख) पास दरें परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।
- (ग) दिल्ली परिवहन निगम में 2506 बसें लो-फ्लोर नॉन ए.सी.ए 1275 लो-फ्लोर ए. सी. व 1732 स्टैंडर्ड बसों का फ्लीट है।
- (घ) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यु शैल्टर्स चरणबद्ध तरीके से बनाने का आदेश दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्स्ट्क्चर डेवलेपमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी. एल) को दिया है। जिसमें मार्जिनल बंध पुस्ता रोड, शास्त्री पार्क से खजूरी तक,

खजूरी चौक से यमुना विहार तक व यमुना विहार से मौजपुर रोड नं. 66 भी शिमल है। जहां पर निर्माण कार्य संभव होगा वहां बस क्यु शैल्टर बना दिये जायेंगे। इनमें से 100 नये बस क्यु शैल्टर्स पी.पी.पी (सार्वजिनक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगित पर है। अन्य 100 नये बस क्यु शैल्टर्स पी.पी.पी के आधर पर बनाने का आदेश डी.टी.आई.डी.सी.एल. द्वारा 22 अक्टूबर, 2012 को जारी कर दिया गया है। ये बस क्यु शैल्टर इस तिथि से 6 माह के अंदर तैयार हो जायेंगे।

145

परिशिष्ट 'क'

वर्तमान में नगरीय बस सेवाओं का किराया

सामान्य बस सेवा

दूरी कि. मी.	किराया वयस्क का	किराया बच्चों का
0-4	5.0	3.00
4-10	10.00	5.00
10 कि. मी. से अधिक	15.00	8.00
दैनिक पास	40.00	

उपरोक्त साधारण किराया सामान्य बसों के साथ ही सामान्य जीएल, आरएल व सीमित सेवा की बसों में भी मान्य होगा।

र 146

वातानुकूलित बस सेवा का किराया

दूरी कि. मी.	किराया वयस्क का	किराया बच्चों का
0-4	10.00	5.00
4-8	15.00	8.00
8-12	20.00	10.00
12 कि.मी. से अधिक	25.00	13.00
और सीमित सेवा/रात्रि सेव	Π	
दैनिक पास	50.00	

एअरपोर्ट एक्सप्रेस बस सेवा का किराया

दूरी कि. मी.	किराया वयस्क का	किराया बच्चों का
0-10	25.00	13.00
10-20	50.00	25.00
20-30	75.00	38.00
30.00 कि.मी. से अधि	াক 100.00	50.00
वापिसी	की टिकट पर 7.5% की छूट	मिलेगी।

एक्सप्रेस बस सेवा का किराया

- 1. एक्सप्रेस बस सेवा नॉन एसी का फलैट रेट किराया 20/-
- 2. एक्सप्रेस बस सेवा एसी का फलैट रेट किराया 30/-

परिशिष्ट 'ख'

पास दरों का विवरण

सामान्य	800/-(गैर-वातानुकूलित) 1000/-(वातानुकूलित)
प्रैस	100/- (गैर-वातानुकूलित) 200/-(वातानुकूलित)
स्कूल छात्र (सरकारी/नगर निगम)	100/- (गैर-वातानुकूलित)
वरिष्ठ नागरिक	250/- (गैर-वातानुकूलित)
	350/- (वातानुकूलित)
कालेज छात्र एवं अन्य स्कूल	100/- (गैर-वातानुकूलित)
स्वतंत्र्ता सेनानी, विकलांग, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, युद्ध शहीदों की विधवाएं, एमएलए आदि।	नि:शुल्क

- रू. 200/- का भुगतान सरकार करेगी तथा रू. 50/- वरिष्ठ नागरिक द्वारा।
- रू. 200/- का भुगतान सरकार करेगी तथा रू 150/- वरिष्ठ नागरिक द्वारा।

96. श्री जसवंत सिंह राणा: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के भोरगढ़ डिपों में बसो की हालत बहुत खराब है और इस डिपो में लो-फ्लोर बसें नहीं है।

- (ख) क्या इस डिपो में नई बसें भेजने की कोई योजना है, और
- (ग) यदि हां, तो इस डिपो में नई व लो-फ्लोर बसें कब तक भेज दी जायेंगी?

परिवहन मंत्री

- (क) नरेला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम का नेरला डिपो के नाम से डिपो बना हुआ है जिसमें लो फ्लोर बसें नहीं हैं
- (ख) वर्तमान समय में कोई योजना नहीं है।
- (ग) दिल्ली सरकार की स्वीकृति ने 1100 स्टैंडर्ड फ्लोर हाईट (900 मि.मी) बसो व 625 नॉन ए.सी. लो-फ्लोर बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। नई बसों के खरीदने के बाद इस डिपो में नई बसों को चलाने पर विचार किया जायेगा।

97. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान कराने के लिये कोई उपाय किये हैं; यदि हां तो उसका विवरण क्या है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार दिल्ली में और लो-फ्लोर बसों की संख्या बढ़ानेपर भी विचार कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितनी बसों की व्यवस्था की जायेगी?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हां। दिल्ली के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिये दिल्ली सरकार ने प्रमुख रूप से निम्न उपाय किये हैं:-
 - ◆ दिल्ली में 11,000 स्टेज कैरिज बसें चलाने की योजना है जिसमें 5500 बसें दिल्ली परिवहन निगम व 5500 बसें क्लस्टर स्कीम के तहत होंगी।
 - सभी स्टेज कैरिज बसें जी.पी.एस.सेवा से युक्त होंगी एवं इनमें इलैक्ट्रॅनिक
 टिकट प्रणाली चालू की जायेगी। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम की सभी
 लो-फ्लोर व सभी क्लस्टर बसें जी.पी.एस. सेवा से युक्त हैं।
 - ◆ दिल्ली के दूर-दराज के क्षेत्रों में करीब 1500 मिनी बसें चलाई जायेंगीं।
 दिल्ली मैट्रों रेल निगम को भी 300 नई मिनी बसों को चलाने की अनुमाति
 दी गई है।
 - ◆ 45,000 नए ऑटो परिमट जारी करके कुल एक लाख ऑटो चलाए जायेंगे।
 - करीब 6,000 ग्रामीण सेवा उन क्षेत्रों में चलाई गयीं जहां बसों को चलाना मुश्किल है।
 - ◆ दिल्ली मैट्रो का फेज-3 व फेज-4 के तहत विस्तार किया जा रहा है।
- (ख) जी हां।
- (ग) हाल ही में दिल्ली सरकार ने डी.टी.सी. को 625 लो फ्लोर नॉन ए.सी. व 1100

स्टैंडर्ड फ्लोर (हाईट 900 मि.मी.) बसो को खरीदने का आदेश दिया है। इससे डी.टी.सी. में नई बसों की संख्या 5506 हो जायेगी। इसके अतिरिक्त 5500 बसें क्लस्टर योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जायेंगी।

98. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 24.09.2012 को दिल्ली सिचवालय में बैठक के दौरान यह तय हो गया था कि वजीराबाद गांव से दिल्ली विश्वविद्यालय और तीस हजारी कोर्ट तक ML-07 मेट्रो फीडर बस सेवा चला दी जाएगी, परंन्तु अभी तक नहीं चलाई गई है:
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और
- (ग) इन रूट पर कब तक ML-07 फीडर बस सेवा चला दी जाएगी?

परिवहन मंत्री

(क, ख एवं ग) दिनांक 24.09.2012 को दिल्ली सिचवालय में बैठक के दौरान दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिल्ली विश्वविद्यालय से वजीराबाद गांव तक ML-07 मैट्रो फीडर बस सेवा चलाने के लिये कहा गया था। दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 300 नई नॉन ए.सी. मैट्रो फीडर बसें प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रियान्वयन में है जिसके बाद इस रूट को प्रारंभ कर दिया जायेगा।

99. श्री नसीब सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली परिवहन निगम के ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी है जो दिल्ली परिवहन निगम से बाहर अन्य किसी विभाग मे डेपुटेशन पर कार्य कर रहे है; और
- (ख) उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का पूर्ण विवरण कार्य करने के स्थान की जानकारी सहित दिया जाये?

परिवहन मंत्री

- (क) दिल्ली परिवहन निगम का केवल एक अधिकारी व एक कर्मचारी दिल्ली परिवहन निगम से बाहर अन्य किसी विभाग में डैपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं।
- (ख) (1) श्री अनुज कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (यातायात) वे.टो.-53258, 25.09. 2007 से डिम्ट्स में कार्य कर रहे हैं।
 - (2) श्री जसवंत सिंह, चालक, बि.स.-11578, जुलाई 2011 से डिप्टी कमिशनर (उत्तर) दिल्ली सरकार में कार्य कर रहे हैं।

100. श्री नसीब सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सत्य है कि आई.पी. एक्सटेंशन को आईएसबीटी आनन्द विहार, रेलवे स्टेशन आनन्द विहार, मेट्रो स्टेशन आनन्द विहार से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) मेट्रो फेस-3 योजना के तहत मार्च 2016 तक पूरा करने का प्रावधान है।

101. श्री कुलवंत राणा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के कुल कितने बस डिपो हैं और कहां-कहां पर स्थित हैं;
- (ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पास बसों के अनुपात में बस डिपो की संख्या पर्याप्त है:
- (ग) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सैक्टर-11 एक्सटैंशन में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना में बस डिपो के लिए भूमि आरक्षित कर रखी है;
- (घ) यदि हां, तो क्या इस भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग ने कोई कारवाई की है व इस भूमि को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;
- (ड) क्या यह भी सत्य है कि रोहिणी सैक्टर-4 एक्सटेंशन में भी बस टर्मिनल के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आरक्षित है, यदि हां, तो क्या इस भूमि को

प्राप्त करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने कोई कारवाई की हैं इस भूमि को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा, पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री

- (क) बस डिपों की संख्या-46 हैं तथा सूची संलग्न परिशिष्ट-'क' पर है।
- (ख) जी नहीं।
- (ग व घ) रोहिणी सैक्टर-11 एक्सटैंशन में बस डिपों की दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी दिल्ली परिवहन निगम इस विषय में दिल्ली विकास प्राधिकरण से शीघ्र पत्राचार कर भूमि आवंटन के लिये अनुरोध करेगी।
- (ड) रोहिणी सैक्टर-4 एक्सटेंशन में बस टर्मिनल की दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी दिल्ली परिवहन निगम इस विषय में दिल्ली विकास प्राधिकरण से शीघ्र पत्राचार कर भूमि आंवटन के लिये अनुरोध करेगी।

दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो स्थान सहित

क्र.स	ा. डिपो		क्षेत्र	स्थान
1.	ब ब म डिपो प्रथम	स्टैण्डर्ड	उत्तर	बन्दा बहादूर मार्ग
2.	ब ब म डिपो प्रथम	स्टैण्डर्ड	उत्तर	बन्दा बहादूर मार्ग
3.	वजीरपुर	लो फ्लोर	उत्तर	नेताजी सुभाष प्लेस (रिंग रोड़)

क्र.स	. डिपो		क्षेत्र	स्थान
4.	सुभाष प्लेस	लो फ्लोर	उत्तर	नेताजी सुभाष प्लेस (रिंग रोड़)
5.	रोहिणी प्रथम	लो फ्लोर	उत्तर	रोहिणी सैक्टर-5
6.	रोहिणी द्वितीय	स्टैण्डर्ड	उत्तर	रोहिणी सैक्टर-15
7.	रोहिणी तृतीय	लो फ्लोर	उत्तर	रोहिणी सैक्टर-3(आऊटर रिंग रोड़)
8.	रोहिणी चतुर्थ	लो फ्लोर	उत्तर	रोहिणी सैक्टर-18
9.	जी.टी.के	लो फ्लोर	उत्तर	जी.टी.के रोड़
10.	वसन्त विहार	लो फ्लोर	दक्षिण	मुनिरका मोड
11.	कालका जी	स्टैण्डर्ड	दक्षिण	माँ आन्नदमयी मार्ग
12.	श्रीनिवास पुरी	स्टैण्डर्ड	दक्षिण	नजदीक औखला सब्जी मंडी
13.	सुखदेव विहार	लो फ्लोर	दक्षिण	मथूरा रोड़
14.	अम्बेडकर नगर	लो फ्लोर	दक्षिण	महरोली बदरपुर रोड खानपुर
15.	तेखण्ड	लो फ्लोर	दक्षिण	तेखण्ड गांव
16.	हसनपुर	लो फ्लोर	पूर्वी	हसनपुर गांव
17.	नन्द नगरी	लो फ्लोर	पूर्वी	नन्द नगरी
18.	नौएडा	लो फ्लोर	पूर्वी	नौएडा सैक्टर-16
19.	ईस्ट विनोद नगर	लो फ्लोर	पूर्वी	नेशनल हाईवे-24
20.	सीमपुरी	स्टैण्डर्ड	पूर्वी	सीमापुरी
21.	इन्द्रप्रस्थ	स्टैण्डर्ड	पूर्वी	इन्द्रप्रस्थ एस्टेट-(रिंग रोड़)
22.	दिलशाद गार्डन	स्टैण्डर्ड	पूर्वी	सीमापुरी

क्र.स.	डिपो		क्षेत्र	स्थान
23.	यमुना विहार	स्टैण्डर्ड	पूर्वी	यमुना विहार
24.	गाजीपुर	स्टैण्डर्ड	पूर्वी	गाजीपुर गांव
25.	मिलेनियम-प्रथम	लो फ्लोर	एस.बी.यू	(रिंग रोड़) मिलेनियम पार्क के सामने
26.	मिलेनियम-द्वितीय	लो फ्लोर	एस.बी.यू	(रिंग रोड़) मिलेनियम पार्क के सामने
27.	मिलेनियम-तृतीय	लो फ्लोर	एस.बी.यू	(रिंग रोड़) मिलेनियम पार्क के सामने
28.	मिलेनियम-चतुर्थ	लो फ्लोर	एस.बी.यू	(रिंग रोड़) मिलेनियम पार्क के सामने
29.	सरोजिनी नगर	लो फ्लोर	एस.बी.यू	विनय मार्ग नेताजी नगर
30.	राजघाट	लो फ्लोर	एस.बी.यू	रिंग रोड़ बाई पास राजघाट
31.	हरी नगर-प्रथम	लो फ्लोर	पश्चिम	जेल रोड़ हरी नगर
32.	हरी नगर-द्वितीय	लो फ्लोर	पश्चिम	जेल रोड़ हरी नगर
33.	हरी नगर-तृतीय	स्टैण्डर्ड	पश्चिम	जेल रोड़ हरी नगर
34.	केशव पुरम	लो फ्लोर	पश्चिम	आऊटर रिंग रोड़ नजदीक विकास पुरी
35.	मायापुरी	लो फ्लोर	पश्चिम	मायापुरी चौक
36.	नारायणा	स्टैण्डर्ड	पश्चिम	पांडव नगर
37.	शादीपुर	लो फ्लोर	पश्चिम	पटेल रोड़
38.	द्वारका-8	लो फ्लोर	पश्चिम	द्वारका सैक्टर-8
39.	द्वारका-2	लो फ्लोर	पश्चिम	द्वारका सैक्टर-2
40.	बवाना	स्टैण्डर्ड	ग्रामीण	बवाना गांव
41.	नांगलोई	लो फ्लोर	ग्रामीण	नांगालोई कैम्प-4 रोहतक रोड़

क्र.स. डिपो		क्षेत्र	स्थान
42. दिचायूँकला	स्टैण्डर्ड	ग्रामीण	दिचायूँकला गांव
43. पीरागढ़ी	लो फ्लोर	ग्रामीण	आऊटर रिंग रोड़ भैरा एन्कलेव के सामने
44. घुम्मनहेडा़	स्टैण्डर्ड	ग्रामीण	घुम्मनहेडा़ गांव
45. नरेला	स्टैण्डर्ड	ग्रामीण	नरेला
46. कंझावला	स्टैण्डर्ड	ग्रामीण	कंझावला गांव

102. श्री कुलवंत राणा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम ने कॉमनवैल्थ गेम्स से पहले और बाद में कुल कितने व किन-किन स्थानों पर आधुनिक बस स्टैंडो एवं शैल्टरों का निर्माण करवाया है, प्रत्येक बस स्टैंड पर कितनी-कितनी लागत आई है और किस-किस कम्पनी ने इस कार्य को किया है, सूची सहित पूर्ण विवरण दिया जाए;
- (ख) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में एक भी आधुनिक बस स्टैंड या शैल्टर नहीं बनाया गया है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित मंत्री को उनके कक्ष में दिनांक 18.09.2012 को हुई बैठक में रिठाला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एस स्टैंडों को सूची सुपुर्द की गई थी; और
- (घ) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्यवाई की गई हैं, पूर्ण विवरण दें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री

(क) परिवहन विभाग द्वारा कॉमनवैल्थ गेम्स से पहले और बाद मे बनायें गए आधुनिक स्टैनलेस स्टील बस शैल्टर्स का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

क्र.स	बस शैल्टर्स बनाने वाली कम्पनी का नाम	बस शैल्टर्स की संख्या	लागत (प्रति बस कयू शैल्टर्स)
1.	मै. ओजोन के.एल.ए.जे.वी.एच-40, बाली नगर, नई दिल्ली	157	12,33,000 रूपए
2.	मै. डिम्टस, प्रथम तल आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट>, दिल्ली-6	750	11,58,844 रूपए
3.	मै. डिम्टस, प्रथम तल आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट, दिल्ली-6	250	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)
4.	मै. जे.सी.डीकाक्स एडबरटाइजिंग इंडिया प्रा. लि., 231. ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020	04	सार्वजनिक निजी भागदारी (पी.पी.पी)

उपरोक्त बस क्यू शैल्टर्सो की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

- (ख) जी हां, रिठाला विधानसभा क्षेत्र में एक भी आधूनिक बस क्यू शैल्टर नहीं बनाया गया।
- (ग) जी हां, यह सत्य है।
- (ड) दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1600 नए आधुनिक बस क्यु शैल्टर्स चरणबद्ध तरीके से बनाने का आदेश

दिल्ली ट्रास्पोर्ट इन्फा्स्ट्क्चर डेवलेपमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डी.टी.आई.डी.सी. एल.) को दिया है। जिसमे रिठाला विधान सभा क्षेत्र भी शिमल है। जहां पर निर्माण कार्य संभव होगा वहां बस क्यु शैल्टर बना दिये जायेंगें। इनमें से 100 नये बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. (सार्वजिनक निजी भागीदारी) आधार पर बनाने का कार्य प्रगाति पर है। अन्य 100 नये बस क्यू शैल्टर्स पी.पी.पी. के आधार पर बनाने का आदेश डी.टी.आई.डी.सी.एल. द्वारा 22 अक्टूबर, 2012 को जारी कर दिया गया है। ये बस क्यू शैल्टर इस तिथि से 6 माह के अंदर तैयार हो जायेंगे।

103. श्री विपिन शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि पूर्व में नन्द नगरी से हौज खास तक बस रूट संख्या-335 की अनेको बसे दूर्गापूरी-मौजपुर-सीलमपुर-स्वर्ण सिनेमा-लक्ष्मी नगर- आई.टी.ओ. से होती हुई हौज खास तक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा चलाई जाती थी;
- (ख) यिद हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी थी तथा किस-किस समय पर नन्द नगरी से हौज खास और हौज खास से नन्द नगरी की ओर चलती थी;
- (ग) वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा इस रूट पर कुल कितनी बसें चलाई जा रही है;
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि जनता की मांग पर परिवहन विभाग को बार-बार निवेदन करने के उपरांत भी इस रूट पर बसों का चलना शुरू नहीं किया गया; और
- (ड) क्या मंत्री महोदय इस संबंध में जनरल मैनेजर को ओदश देंगे जिससे इस रूट पर चलने वाले यात्रियो को सुविधा प्राप्त हो सके?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) रूट संख्या-335 पर 6 बसें चल रही थीं, जिनकी समय-सारणी परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।
- (ग) वर्तमान में इस रूट पर तीन बसें चल रही है। इस रूट का जांच पड़ताल करने पर पाया कि इस पर आय/यात्री भार कम होने के कारण तीन बसें हटा दी गयी हैं।

(घ एवं ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

दिनांक 08.10.2011 की रूट संख्या 335 की समय-सारिणी

	नन्द नगरी टर्मि	हौज खास	शाहजहां रोड
0730	1530	0920	0800
0810	1550	1000	1340
0830	1610	1030	1600
0840	1630	1040	1640
0900	1750	1140	1720
0930	1850	1720	1800
1130	1910	1800	2020
1210	1930	1940	2100
1430	1950	2100	2140
1450	2010	2140	

104. श्री विपिन शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) जी.टी. रोड शाहदरा पर डी.टी.सी. का जो बस स्टैंड है उसके रख-रखाव की देख-रेख कौन सा विभाग व अधिकारी करते है:
- (ख) क्या यह सत्य है कि इस स्टैंड पर न तो शौचालय है, न कोई पानी की व्यवस्था है और न ही बस स्टैंड की दशा ही ठीक है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इस बस स्टैंड पर यात्रियों के न तो बैठने की कोई उचित व्यवस्था है और न ही बस स्टैंड के अन्दर वाले भाग की सड़क की कोई मरम्मत आदि को ठीक करने का प्रयत्न करता है;
- (घ) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस बस स्टैंड का दौरा कर, इस के जार्णोद्धार हेतु कोई आदेश देंगें; और
- (ड) यदि हां, तो कब तक?

परिवहन मंत्री

(क) शाहदरा बस टर्मिनल का रखरखाव दिल्ली परिवहन निगम का सिविल विभाग करता है। सिविल का कार्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)-4 तथा विद्युत का कार्य श्री रमेश चन्द्रा, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत)-2 द्वारा किया जाता है।

(ख,ग,घ एवं ड़)शाहदरा बस टर्मिनल पर शौचालय व पानी की व्यवस्था है तथा बस स्टैंड

पर बैठने की व्यवस्था भी है। चूंकि बस टर्मिनल का तल मेन रोड़ से काफी नीचा है, इसलिए बरसात में यहां पानी भर जाता है। अत: इस तल को ऊंचा करने व बस टर्मिनल के पूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया है।

105. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह सत्य है कि रूट नं. 518 जो तिलक नगर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे
 स्टेशन के बीच चलने वाली बस अब समयानुसार नहीं चल रही है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि उत्तम नगर से राजा गार्डन की ओर जानेवाली बसें जो तिलक नगर फलाई ओवर से होकर गुजरती हैं पुल के ऊपर से जाती है, क्या यात्रियों की सुविधा के लिये इन बसों के रूट को पुल के ऊपर की बजाय पुल के नीचे डायवर्ट करने की कोई प्रक्रिया है;
- (ग) क्या यह सत्य है कि मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग के नजदीक झुग्गी में रहने वाले के पुनर्वास की स्थिति को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को अग्रेषित कर दिया गया है; और
- (घ) उपरोक्त प्रश्न की अद्यतन स्थिति क्या है?

परिवहन मंत्री

(क) जी नहीं। इस रूट पर दो बसें हरीनगर डिपो से समयानुसार चलाई जा रही है।

- (ख) जी हां। यह सत्य है। फ्लाई ओवर के नीचे दुकानदारों आदि के वाहन खड़े होने के कारण इन रूटों को फ्लाई ओवर के नीचे से चलाना संभव नहीं है
- (ग) जी हां।
- (घ) प्रस्तावित झुग्गी झोपडियों का पुर्नवास हेतु संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना है।

106. श्री सुनील कुमार वैद्य: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग मे त्रिलोकपुरी ब्लाक 16-17 में डी.यू.एस. आई.बी की जमीन पर बस टर्मिनल बनाने की सहमित दी है और जिसके लिए डी यू एस आई बी ने भूमि आंबटन राशि लगभग 5 करोड़ रूपये देने के लिए आपके विभाग को पत्र भेजा हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो भूमि आंबटन की राशि कब तक डी.यू.एस.आई.बी को दे दी जायेगी,
- (ग) इस संबंध मे परिवहन मंत्री जी के साथ मेरी मीटिंग की मिनट्स की प्रति उपलब्ध करवाये;
- (घ) इस बस टर्मिनल का निर्माण कब तक चालू हो जाएगा;
- (ड) यदि नहीं, तो क्यों, और
- (च) इस संबंध में डी.यू.एस.आई.बी से हुए अभी तक के पत्राचार की प्रति उपलब्ध करवायें?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हां। परन्तु डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा मांगी गयी राशि रू. 5.00 करोड़ की बजाय रू. 21.52 करोड़ है।
- (ख) 2277.13 वर्ग मीटर का आवंटन मूल्य (रू. 21.52 करोड़) सरकारी/डी.डी.ए. द्वारा निर्धारित दरों से बहुत अधिक है। अत: सम्बंधित विभाग से अनुरोध किया गया है कि राशि का आंकलन सरकारी दरों पर किया जाये। तत्पश्चात ही कोई कार्यवाही हो सकती है।
- (ग) कापी संलग्न है।
- (घवड) डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा जमीन की सही लागत राशि का फैसला होने के बाद ही इस विषय में निर्णय लिया जा सकता है।
- (ड) कापी संलग्न है।

OFFICE THE MINISTER OF TRANSPORT & EDUCATION GOVERNMENT OF NCT OF DELHI 6TH LEVEL: DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

No. F-296/MOT&E/11/1144-1154 Dated: 20.06.2011

MINUTES OF HE MEE TING HELD IN THE CHAMBER OF HON'BLE MINISTER OF TRANSPORT & EDUCATION ON 08.06.2011 AT 04.30 PM REGARDING PROBLEMS RELATED TO ASSEMBLY CONSTITUENCY OF SUNIL KUMAR, MLA

The following officers attended meeting:

- 1. Shri S.S. Parihar, Jt. DE Land & Estates,
- 2. Ms. Neelam Verma. DDE/RDE East.
- 3. Shri A.K. Goyal, CGM, DTC.
- 4. Shri A.K. Chawla, Dy CGM (T), DTC
- 5. Shri Suresh Chandra, Sr. Manager DTC.
- 6. Shri S.S. Singh, DSIIDC.
- 7. Jatinder Singh, DSIIDC.
- 8. Shri Anil Kohli, Vice President, DIMTS.
- 9. Shri R.C. Meena, DUSIB
- 10. Shri Jeet Ram, DUSIB.

1. DTC

(i) BQS at Trilokpuri

Shri Kohli informe the Hon'ble MOT that the work on 5 of the 8 BQSs has been completed and the work on rest of three BQSs is nearing comletion.

(ii) Bus Terminal to be shifted from block no. 27 to open land in Block 17, Trilokpuri.

165

The matter related to vacant land in Block No. 27 for allotment to DTC was also discussed. Officers from DUSIB apprised the Hon'ble Minister that the land in question shall be considered for allotement to DTC, after checking the land use.

Hon'ble MLA apprised the Hon'ble Minister that there a plot of land behind DDA Staff Club near block No. 351 Trilokpuri is lying vacant and the same can be utilized construction of a new Pratibha Vikas Vidyalaya. The Officer from DUSIB apprised the Hon'ble Minister that he will check the status of ownership of the land and shall inform the Hon'ble MLA as well as this office. (Action: DUSIB)

Bus Service from new Ashok Nagar.

Shri Vaid, Hon'ble MLA, requested the Hon'ble Minister of Transport for starting a new direct bus from New Ashok Nagar linking with Central Delhi. Hon'ble Minister directed Shri Goyal, CGM to look into the matter and do the needful.

(Action: CGM Traffic DTC)

Repair of Boundary wall in RSKV Block No. 20

Shri Vaid, Hon'ble MLA apprised the Hon'ble Minister about the bad condition of the boundary wall of the school which may lead to any untoward incident. The DSIIDC officers informed the Hon'ble Minister that the damaged wall has been repaired ohn some portions. Hon'ble Minister directed the DSIIDC officers to visit the site and the repair of the boundary

wall be taken up on priority basis in consulation with the area MLA.

(Action: Project Direction DSIIDC)

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair.

Sd/-

(ANOOP SARDANA)
P.S. TO MINISTER OF
TRANSPORT & EDUCATION

Copy to:

- 1. Shri Sunil Kumar, MLA,
- 2. Shri S.S. Parihar, Jt. DE Land & Estates
- 3. Ms. Neelam Verma. DDE/RDE East.
- 4. Shri A.K. Goyal, CGM, DTC
- 5. Shri A.K. Chawla, Dy. CGM (T), DTC.
- 6. Shri Suresh Chandra, Sr. Manager DTC.
- 7. Shri S.S. Mishra, DM, ENVD, DTC.
- 8. Jatinder Singh, DSIIDC
- 9. Shri Anil Kohli, Vice President, DIMTS.
- 10. Shri T.C. Meena, DUSIB
- 11. Shri Jeet Ram, DUSIB.

DELHI TRANSPORT CORPORATION OFFICE oF THE SR. MANAGER 1 I.P. ESTATE: NEW DELHI

167

No. Sr. Mgr. (C)I/PMC/F-181/2012/384 Dated: 5.12.2012

Shri Ashish Mohan, The Director (IAL), Delhi Urban Shelter Improvement Board, Punarwas Bhawan, ITO, New Delhi

- Sub:- Allotment of land for DTC Bus Terminal in Block-17, Trilokpuri.
- Ref:- Your office letter No. DD/IAL/JJ/DUSIB/Misc./2012/D-167 dated 23.9.2012

Sir,

Your letter dated 23.9.2012 referred above has been perused and it is observed and it is observed that for piece of land measuring 2277.13 Sqm., the cost of the land has been demanded as Rs. 21,52,57,099 which is exorbitantly high as compared to Govt./DDA rates for institutional land. Accordingly, I am directed to request you to raise the demand towards the cost of land Govt./DDA institutional rates.

Thanking you,

Yours faithfully, Sd/- (R.S. Ranga) Sr. Mgr. (C) I

Ccto: Shri Subodh Kumar, PCO, Transport Deptt., 5/9, Underhill Road, Delhi-54..... for information. The copy of the letter of DUSIB is enclosed for ready reference.

Ccto: Dy. CGM (C)..... for kind information

107. श्री अरविन्दर सिंहः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन द्वारा रूट नं. 521 की बस को अम्बेडकर नगर से केन्द्रीय सचिवालय तक चलाया जाता था;
- (ख) यदि हां, तो इस रूट पर चलाई जाने वाली बस सेवा को समाप्त करने के क्या कारण है;
- (ग) क्या संगम विहार क्षेत्र देवली में किसी प्रकार की डी.टी.सी बस की कोई सेवा नहीं है, यदि हां, तो इस क्षेत्र में डी.टी.सी की बस सेवाऐं कब तक बहाल कर दी जायेगी; और
- (घ) यात्रियों की असुविधा को देखते हुए यह बस सेवायें कब तक पुन:चालू कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री

- (क) जी नहीं! रूट सं.-521 अंबेडकर नगर से राजेन्द्र नगर मार्किट/कर्मपुरा के मध्य वाया क्नॉट प्लेस परिचालन में है।
- (ख) जी नहीं! रूट सं.- 521 अभी भी परिचालन में है।
- (ग एवं घ) संगम विहार क्षेत्र देवली से रूट सं.-423ए देवली से मोरीगेट तथा 581 देवली से केन्द्रीय सचिवालय के मध्य परिचालन में है।

मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

108. चौ. सुरेन्द्र कुमार : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

169

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुल पुरी विधानसभा क्षेत्र में जौहरी पुर रोड से कुछ बसें चलाने की योजना थी;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि इन्द्रापुरी से यू.पी बार्डर तक भी कुछ बसें चलती थी;
- (ग) यदि हां, तो ये बसें क्यों बंद की गई, और
- (घ) कब तक चला दी जायेंगी?

परिवहन मंत्री

- (क) जी हां! लेकिन सर्वे करने पर पाया गया कि जौहरीपुर गांव में बसो को वापसी के लिए घुमाने / मोड़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। अत: यहां से बस सेवा प्रदान करना संभव नहीं है।
- (ख, ग एवं घ) रूट सं.-273, 263 व सीमित सेवा के फेरे वर्तमान में इन्द्रापुरी (लोनी) से वाया यू.पी. बार्डर लोनी चौक होकर परिचालन में है।

खण्ड-12 सत्र-12 अंक-87 बृहस्पतिवार <u>13 दिसम्बर, 2012</u> मार्गशीर्ष 22, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा बारहवाँ सत्र

अधिकृत विवरण (खण्ड-12 में अंक-85 से 88 सम्मिलित है)

> दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

<mark>लाल मणी</mark> उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-12 बृहस्पतिवार, 13 दिसम्बर, 2012/मार्गशीर्ष् 22, 1934 (शक) अंक-87

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	विविध, सदन में व्यवधान, सदस्यों का निलम्बन	3
3.	सिमिति के प्रतिवेदन पर सहमित (सरकारी आश्वासन सिमिति का तीसरा प्रतिवेदन)	18
4.	सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात	19
5.	विधेयक पर विचार एवं पारित करना (दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2012 (2012 का विधेयक सं. 15)	20
6.	चर्चा (अंधेरिया मोड़ में मस्जिद तोड़े जाने के संबंध में)	23
7.	मंत्री द्वारा वक्तव्य (दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में पांच बच्चों की मौत के मामले में)	29
8.	अल्पकालिक चर्चा (बिजली, पानी और एल.पी.जी. गैस के सिलेण्डर के दामों में हुई बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति पर)	32
9.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. 41 से 60)	59
10.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र. 61 से 108)	80